स्थानीय निकायों

ij

वार्षिक तकनीdh निरीक्षण प्रतिवेदन

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के

तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण पर आधारित

31 ekpZ 2012 dks lekIr o"kZ ds fy,

e/; izns'k 'kklu

विषय सूची		
	संदर्भ	
	कंडिका क्र.	पृष्ठ क्र.
प्राक्कथन		
विहंगावलोक		
भाग-प्रथम-शहरी स्थानीय निकाय		
अध्याय-प्रथम शहरी स्थानीय निकायों की लेखा प्रक्रियाओं सहित वित्त पर विंहगावलोकन		
प्रस्तावना	1.1	1
प्रशासनिक व्यवस्थायें	1.2	1
लेखापरीक्षा का क्षेत्र	1.3	2
लेखांकन की व्यवस्थायें	1.4	2
लेखापरीक्षा की व्यवस्थाये	1.5	3
राजस्व के स्त्रोत	1.6	4
बजट आवंटन एवं व्यय	1.7	4
अनुदान का कम जारी किया जाना	1.8	5
उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना	1.9	6
लेखापरीक्षा की बकाया आपत्तियों की स्थिति	1.10	6
बैंक समाधान पत्रक तैयार नहीं किया जाना	1.11	7
कर राजस्व/गैर कर राजस्व की वसूली नहीं की जाना	1.12	7
अग्रिमों का समायोजन न किया जाना	1.13	8
दुंकानों के किराये तथा प्रीमियम राशि की वसूली न किया जाना	1.14	8
निष्कर्ष	1.15	9
अध्याय-द्वितीय निष्पादन लेखापरीक्षा		
नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	2.1	10 से 39
शहरीय नगरीय निकाय खंडवा, शिवपुरी तथा भोपाल द्वारा प्रारंभ किये गये निजी सार्वजनिक भागेदारी परियोजनाओं पर थेमेटिक कंडिका	2.2	40 से 51
अध्याय-तृतीय लेनदेन लेखापरीक्षा कंडिकाऐं		
तेरहवें वित्त आयोग द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को जारी अनुदान और उसका उपयोग	3.1	52 से 55
विद्युत बिलों पर परिहार्य अधिभार का राशि ₹ 1.23 करोड़	3.2	55

अस्थाई परियोजना के लिये परिहार्य दायित्व राशि ₹ 15.67 करोड़	3.3	56
राजस्व की हानि ₹ 7.90 करोड़	3.4	57
भाग-2 पंचायती राज संस्थायें		
अध्याय-प्रथम पंचायती राज संस्थाओं की लेखा प्रक्रिया सहित वित्त पर विहंगावलोकन		
प्रस्तावना	1.1	59
प्रशासनिक व्यवस्थायें	1.2	60
त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका और जिम्मेदारियां	1.3	61
लेखापरीक्षा क्षेत्र	1.4	61
लेखांकन व्यवस्था	1.5	61
लेखापरीक्षा व्यवस्थायें	1.6	63
राजस्व के स्त्रोत	1.7	63
पंचायती राज संस्थाओं की प्राप्तियाँ और व्यय	1.8	63
राज्य वित्त आयोग के अनुदानों का हस्तांतरण	1.9	64
बैंक समाधान विवरण तैयार न किया जाना	1.10	64
लेखा परीक्षा की लंबित कंडिकाओं की स्थिति	1.11	65
भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्रों की त्रुटिपूर्ण जानकारी प्रस्तुत किया जाना	1.12	65
अग्रिमों का समायोजन नहीं किया जाना	1.13	66
निष्कर्ष	1.14	66
अध्याय-द्वितीय लेनदेनों की लेखापरीक्षा		
तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा राशि का पंचायती राज संस्थाओं को जारी किया जाना तथा उसका उपयोग	2.1	67 से 74
बैंक के दिवालिया होने के कारण राशि ₹1.82 करोड़ की हानि	2.2	74

परिशिष्ट नगरीय स्थानीय निकाय

	परिशिष्ट	पृष्ठ क्र.
परिशिष्ट 1.1	वर्ष 2011-12 के लेखा परीक्षा की गई शहरीय स्थानीय निकायों की सूची	77 से 78
परिशिष्ट 1.2	बैंक समाधान विवरण तैयार नहीं किया जाना	79
परिशिष्ट 1.3	असंग्रहित कर राजस्व का विवरण (शहरी स्थानीय निकाय)	80
परिशिष्ट 1.4	असंग्रहित गैर कर राजस्व का विवरण दिनांक 31.3.12 की स्थिति में	81
परिशिष्ट 1.5	वर्ष 2011-12 में समायोजित अग्रिमों का विवरण	82
परिशिष्ट 2.1	चयनित शहरीय स्थानीय निकायों की सूची	83
परिशिष्ट 2.2	शहरीय स्थानीय निकायों की सूची जल राशि अवरूद्व रखी गयी	84 से 85
परिशिष्ट 2.3	निधियों के व्ययपर्तन का विवरण	86
परिशिष्ट 2.4	जन जागरूकता अभियान संचालित किये जाने की स्थिति	87
परिशिष्ट 2.5	नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये शहरीय स्थानीय निकायों में कर्मचारियों के नियोजन की कमी को दर्शाने वाला विवरण	88
परिशिष्ट 3.1	तेरहवें वित्त आयोग की वर्ष 2011-12 हेतु निधि का प्रावधान	89
परिशिष्ट 3.2	अव्ययित अनुदान का विवरण	90
परिशिष्ट 3.3	कनेक्शन कोड क्र. 502022 के विद्युत बिलों पर अधिभार भुगतान का विवरण	91
परिशिष्ट 3.4	कनेक्शन कोड क्र. 502023 के विद्युत बिलों पर अधिभार भुगतान का विवरण	92
परिशिष्ट 3.5	अप्राधिकृत टी.आई.टी की सूची	93

परिशिष्ट-पंचायती राज संस्थायें

	परिशिष्ट	पृष्ठ क्र.
परिशिष्ट 1.1	वर्ष 2011-12 के दौरान लेखापरीक्षित जिला पंचायतों की सूची	94 से 98
परिशिष्ट 1.2	जिला पंचायत नरसिंहपुर की प्राप्ति एवं भुगतान का विवरण	99
परिशिष्ट 1.3	पंचायती राज संस्थाओं में बैंक समाधान पत्रक तैयार नहीं किया जाना	100
परिशिष्ट 1.4	भारत सरकार को पेंशन योजना अंतर्गत अनुदान के उपयोगिता प्रमाण पत्रों की त्रुटिपूर्ण स्थिति सूचित किया जाना	101
परिशिष्ट 1.5	वर्ष 2011-12 में पंचायती राज संस्थाओ में असमायोजित अग्रिमों का विवरण	101
परिशिष्ट 2.1	वर्ष 2011-12 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त अनुदान राशि को पंचायती राज संचालनालय द्वारा कोषालय से आहरण तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों को अंतरित किया जाना।	102
परिशिष्ट 2.2	पंचायती राज संस्थाओं को अंतरित तेरहवें वित्त आयोग की सामान्य मूल अनुदान तथा विशेष क्षेत्र मूल अनुदान को दर्शाने वाला विवरण	103 से 106
परिशिष्ट 2.3	ग्राम पंचायत के लेखों में अव्ययित राशि को दर्शाने वाला पत्रक	107 से 109
परिशिष्ट 2.4	दिनांक 31.3.12 की स्थिति में वसूली योग्य सम्पत्ति कर का विवरण	110 से 112
परिशिष्ट 2.5	लंबित उपभोक्ता प्रभारों की वसूली नहीं किया जाना (मार्च 2012 की स्थिति में)	113 से 115
परिशिष्ट 2.6	ग्राम पंचायतों के नाम जिनमें वर्ष 2011-12 के दौरान सामाजिक अंकेक्षण नहीं की गई।	116 से 118

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन नगरीय स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं पर तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिये तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में वर्ष 2011-12 के अवधि में पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय स्थानीय निकायों पर की गई टिप्पणियों को शामिल किया गया है यह प्रतिवेदन दो भागों में है। भाग- प्रथम में नगरीय स्थानीय निकाय तथा भाग- द्वितीय में पंचायती राज संस्थाओं पर टिप्पणियां की गई हैं।

प्रतिवेदन में उल्लेखित प्रकरण वर्ष 2011-12 की लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आये लेखाओं की लेखा परीक्षा से संबंधित है तथा ऐसे प्रकरण जो विगत वर्षों में प्रकाश में आया परन्तु विगत प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं हो सके, ऐसे प्रकरण भी जो वर्ष 2011-12 के बाद के है आवश्यतानुसार प्रतिवेदन में शामिल किए गए हैं।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानक जो कि सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लेखापरीक्षा मानकों पर आधारित हैं कि पुष्टी के लिए लेखा परीक्षा की गयी है।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन के दो भाग है भाग- प्रथम नगरीय स्थानीय निकाय और भाग- द्वितीय पंचायती राज संस्थाऐं। भाग- प्रथम में तीन अध्याय हैं प्रथम अध्याय में शहरी स्थानीय निकायों के लेखा प्रक्रिया सहित वित्त पर विहंगावलोकन, अध्याय- द्वितीय में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा तथा सार्वजनिक एवं निजी साझेदारी परियोजनाओं पर कथ्यात्मक कंडिका से संबंधित हैं। अध्याय तृतीय में तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत अनुदान के जारी एवं उपयोग करने तथा लेनदेनों की लेखापरीक्षा का विवरण है। भाग- द्वितीय में दो अध्याय है जिसके अध्याय- प्रथम पंचायती राज संस्थाओं के लेखांकन प्रक्रियाओं सहित वित्त पर विहंगावलोकन और अध्याय- द्वितीय में तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत अनुदान के जारी एवं उपयोग करने तथा लेनदेनों की लेखापरीक्षा का विवरण है।

भाग- प्रथम,

नगरीय स्थानीय निकाय

नगरीय स्थानीय निकायों की लेखांकन प्रक्रियाओं सहित वित्त पर विहंगावलोकन

- भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त टास्क फोर्स द्वारा निर्धारत लेखांकन प्रपत्र नगरीय निकायो द्वारा नहीं अपनाये गये

  (कंडिका 1.4)

- नगरीय निकायों द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग सृजित नहीं किया गया।

  (कंडिका 1.5.2)

- नगरीय निकायों को अनुदान की राशि ₹ 49.55 करोड़ कम जारी की गई।

  (कंडिका 1.8)

- 11 नगरीय निकायों के रोकड़बही एवं बैंक पास बुक में अंतर की राशि का समाधान नहीं किया गया।

  (कंडिका 1.11)

- नगरीय निकायों द्वारा कर राजस्व के ₹ 49.23 करोड़ तथा गैर कर राजस्व के ₹ 21.95 करोड़ वसूली नहीं किया गया।

  (कंडिका 1.12)

- 13 नगरीय निकायों मे कार्यायलीन कार्य के लिये कर्मचारियों को तथा एजेन्सियों को प्रदान किये गये ₹ 8.56 करोड़ के अस्थायी अग्रिम 1 से 33 वर्ष की अवधि से लंबित रहे।

  (कंडिका 1.13)

अध्याय-द्वितीय

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की निष्पादन लेखापरीक्षा

नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लागू करने हेतु प्रदाय निधि राशि ₹ 10.23 करोड़ अवरूद्ध रही।

(कंडिका 2.1.6.4)

नगर पालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्रावधानों में शामिल नहीं किये गये मदों पर राशि ₹ 87.77 लाख व्यय किया गया।

(कंडिका 2.1.6.5)

घर-घर से नगरपालिका ठोस अपशिष्ट एकत्रित करने हेतु उपभोक्ता प्रभार की वसूली राशि ₹ 1.28 करोड़ लंबित रही।

(कंडिका 2.1.7.5)

भूमिभरण स्थल के लिये भूमि के आवंटन में असाधारण विलंब हुआ।

(कंडिका 2.1.7.9)

बूचड़खानों से उत्पन्न होने वाले तरल के पूर्व उपचार की व्यवस्था नहीं की गई।

(कंडिका 2.1.10.1(अ))

नगरीय निकाय खंडवा, शिवपुरी एवं भोपाल द्वारा क्रियान्वित एवं सार्वजनिक एवं निजी साझेदारी परियोजनाओं पर कथ्यात्मक कंडिका।

(कंडिका 2.2)

अध्याय-तृतीय
लेनदेनों की लेखापरीक्षा पर कंडिका

तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के जारी एवं उपयोग करने में नगरीय निकायों द्वारा अनियमितताऐं

(कंडिका 3.1)

बिजली बिलों के नियमित भुगतान न करने से नगर पालिका निगम उज्जैन को ₹1.23 करोड़ का अधिभार वहन करना पड़ा।

(कंडिका 3.1)

नगर पालिका उज्जैन द्वारा अस्थायी परियोजना के लिये अनुदान प्राप्त कर उसे सहायता अनुदान में परिवर्तित नहीं करने के कारण राशि ₹ 15.67 करोड़ के दायित्व का निर्माण

(कंडिका 3.3)

भोपाल नगर पालिका निगम क्षेत्र के अंतर्गत दूरसंचार/मोबाईल टॉवर स्थापित किये जाने हेतु दूरसंचार कम्पनी से शुल्क की वसूली न किये जाने से राजस्व हानि राशि ₹ 7.90 करोड़

(कंडिका 3.4)

भाग-द्वितीय
पंचायत राज संस्थाऐं

अध्याय-प्रथम
पंचायत राज संस्थाओं की लेखांकन प्रकियाओं सहित वित्त पर विहंगावलोकन

पंचायत राज संस्थाओं के लेखे ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में नहीं रखे गये।

(कंडिका 1.5.1)

जिला पंचायत नरसिंहपुर द्वारा वार्षिक बजट तैयार नहीं किया गया।

(कंडिका 1.5.3)

पंचायत राज संस्थाओं के अनुदान राशि ₹195.28 करोड़ का कम हस्तांतरण किया गया।

(कंडिका 1.9)

आठ जिला पंचायतों तथा 13 जनपद पंचायतों द्वारा बैंक सामाधान विवरण तैयार नहीं किये गये।

(कंडिका 1.10)

उपयोगिता प्रमाणपत्र की त्रुटिपूर्ण जानकारी भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया।

(कंडिका 1.12)

अस्थायी अग्रिम राशि ₹ 19.42 लाख का समायोजन नहीं किया गया।

(कंडिका 1.13)

अध्याय-द्वितीय
लेनदेनों की लेखापरीक्षा पर कंडिका

तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान को जारी एवं उपयोग करने में नगरीय निकायों द्वारा अनियमितताऐं।

(कंडिका 2.1)

बैंक के दिवालिया होने के कारण योजना राशि ₹ 1.82 करोड़ की हानि तथा योजना का क्रियान्वयन न होना।

(कंडिका 2.2)

भाग-1 uxjh; स्थानीय निकाय

अध्याय-प्रथम

uxjh; स्थानीय निकायों की लेखांकन प्रक्रियाओं सहित वित्त पर विहंगावलोकन

1.1 प्रस्तावना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(डब्ल्यू) में परिकल्पित है कि राज्य शासन विधि द्वारा नगरीय निकायों को ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान कर सकती है जो उन्हें स्वशासी सरकारी संस्था के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिये आवश्यक हो और ऐसी विधियों में है जो नगरीय निकायों को शक्तियों और जिम्मेदारियों के हस्तांतरण के प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।

संविधान संशोधन अधिनियम 1992 (74वां संशोधन) के पश्चात नगरीय निकायों को स्पष्ट रूप से परिभाषित कार्यों और जिम्मेदारियों को निहित करते हुये स्थानीय स्वशासी सरकार के रूप में संपूर्ण और जीवंत संस्थायें बनाये गये थे। तद्नुसार राज्य शासन ने इन संस्थाओं को नगरीय निकायों की त्रिस्तरीय प्रणाली में, बड़े शहरी क्षेत्र के लिये नगर पालिक निगमों, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिये नगर पालिकाओं तथा संक्रमणकालीन क्षेत्रों[1] के लिये नगर परिषद मे पुर्नगठित किया है।

मध्य प्रदेश राज्य की सामान्य जानकारी नीचे दी गई है-

fooj.k	इकाई	राज्य ऑकड़े	संपूर्ण देश के ऑकड़े
जनसंख्या*	करोड़	7.26	121.02
देश की जनसंख्या में भाग*	प्रतिशत	6	--
शहरी जनसंख्या*	करोड़	2	38
शहरी जनसंख्या का भाग*	प्रतिशत	28	31
साक्षरता दर*	प्रतिशत	71	74
लिंगानुपात* (स्त्री प्रति हजार पुरूष)	अनुपात	930/1000	940/1000
नगर निगम	संख्या	14#	139@
नगर पालिका	संख्या	100#	1595@
नगर परिषद	संख्या	263#	2108@

स्त्रोतः *आंकडे 2011 की जनगणना के अनुसार
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल
@ तेरहवें वित्त आयोग प्रतिवेदन

1.2 प्रशासनिक व्यवस्थाऐं

मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत सभी नगरीय निकायों को अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सौंपे गये कार्यों के निर्वहन के लिए राज्य के प्राधिकारियों को पर्यवेक्षण कार्य सहित, उसके अंतर्गत शक्ति प्राप्त है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं शहरी नगरीय निकाय की संगठनात्मक संरचना निम्नानुसार हैः-

[1] इससे अभिप्राय है कि राज्य वार जनसंख्या धनत्व, राजस्व उत्पत्ति, कृषि गतिविधियों, आर्थिक महत्व आदि के आधार पर निर्णय ले सकते हैं।

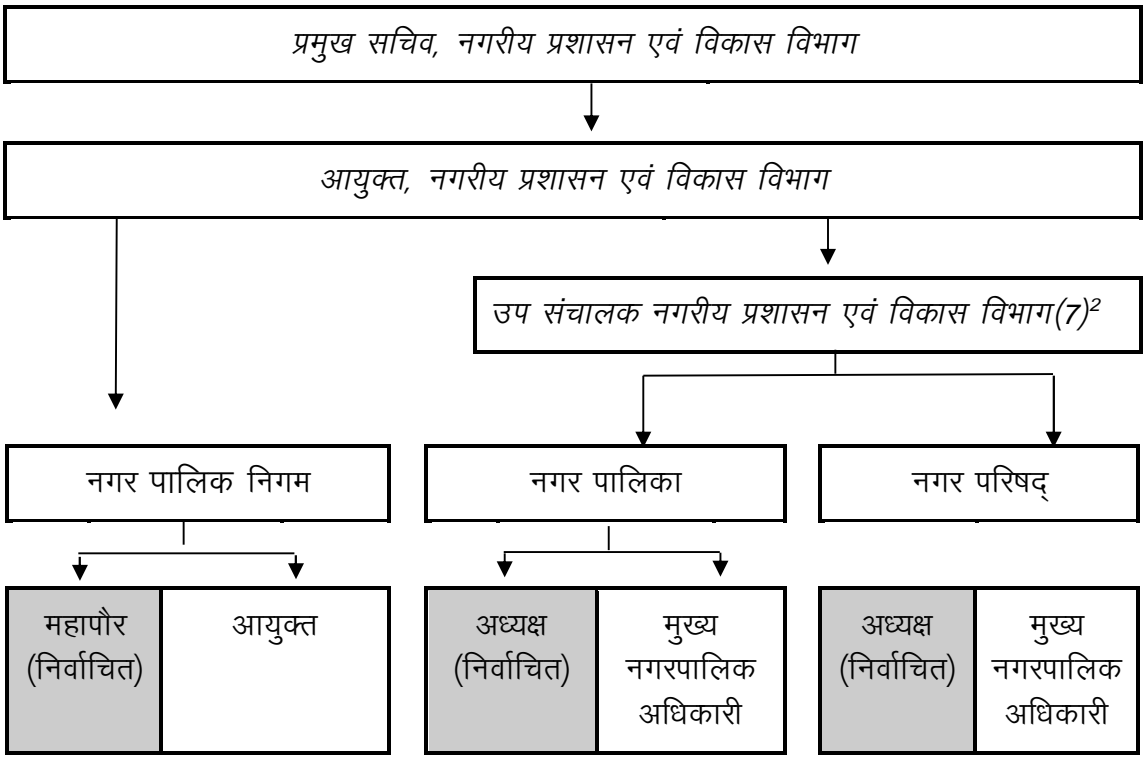

1.3- लेखापरीक्षा का क्षेत्र

राज्य के कुल 377 शहरी स्थानीय निकायों में से (14 नगर पालिक निगम, 100 नगर पालिका और 263 नगर परिषद) लेखा परीक्षा योजना में 80 शहरी स्थानीय निकाय (10 नगर पालिक निगम, 20 नगर पालिका तथा 50 नगर परिषद) शामिल किये गये थे। जिसमें से 68 शहरी स्थानीय निकायों के (10 नगर पालिक निगम,18 नगर पालिका तथा 40 नगर परिषद) अभिलेखों की लेखा परीक्षा की गई। वर्ष 2011-12 में जिसका विवरण **(परिशिष्ट 1.1)** में दर्शाया गया है। लेखा परीक्षा आयोजना की तुलना में कम लेखा परीक्षा का मुख्य कारण मनरेगा समीक्षा में अमले की पदस्थापना रही।

1.4 लेखांकन की व्यवस्थायें

ग्यारहवें वित्त आयोग की संस्तुति और भारत सरकार वित्त मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने शहरी स्थानीय निकायों के बजट और लेखा प्रारूपों की अनुशंसा हेतु एक कार्यदल गठित किया गया। कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रोम्दवन आधारित लेखाओं को अपनाने का सुझाव दिया। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जुलाई 2007 में प्रकाशित नगर पालिका लेखा मैन्यूअल में उक्त् प्रारूपों (फार्मेट) को अपनाया गया है।

वर्ष 2011-12 में 68 शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं की जांच के दौरान पाया गया है कि मात्र 10 नगर पालिक निगमों[3] द्वारा लेखाओं को प्रोम्दवन आधार पर बनाया गया।

---

[2] इन्दौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रीवा

[3] इन्दौर, सतना, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रीवा, सिंगरौली, कटनी, बुरहानुपर

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर (अगस्त 2012) आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा तथ्य को स्वीकार किया गया (अगस्त 2012)

1.5 लेखापरीक्षा की व्यवस्थाऐं-

1.5.1 ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार नगरीय स्थानीय निकायों की संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वार की जाने वाली लेखापरीक्षा (नवंबर 2001) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के तकनीकी मार्गदर्शन ओर पर्यवेक्षण के अधीन लायी गयी। तदनुसार, वर्ष 2011-12 के दौरान 68 नगरीय स्थानीय निकायों जिसमें 10 नगर पालिक निगम शामिल है की नमूना जांच की गयी और संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा को तकनीकी मार्गदर्शन हेतु निरीक्षण रिपोर्ट भेजी गयी।

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के पैरा 10.121 में उल्लेख है कि राज्य की सभी स्थानीय निकायों की तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौपा जाये एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन तथा संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा की वार्षिक रिपोर्ट को राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाए। तदनुसार राज्य शासन ने जनवरी 2012 में मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 तथा मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 में संशोधन किया गया। वित्त मंत्रालय मध्य प्रदेश शासन ने मार्च 2012 में उक्त् प्रतिवदेनो को राज्य विधानसभा के समक्ष रखने हेतु अपनी सहमति प्रदान की। स्थानीय निकायों पर तैयार लेखा परीक्षा सामग्री पर कार्यवाही करने हेतु लोक लेखा समिति के अनुरूप एक समिति गठित करने हेतु फरवरी 2013 में एक पत्र राज्य शासन को लिखा गया।

1.5.2 आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली

मध्य प्रदेश नगर पालिका लेखा नियमावली के अध्याय-2 के पैरा 2.2 के अनुसार एक आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग सृजित किया जाना चाहिये। आंतरिक लेखा परीक्षा का क्षेत्र औचित्य लेखा परीक्षा, वित्तीय लेखा परीक्षा तथा आंतरिक नियंत्रण व कार्यप्रणाली मे पारदर्शिता सुनिश्चित करना होगा।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विकास विभाग के वर्ष 2011-12 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि प्रत्येक शहरी स्थानीय निकायों में आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली अगस्त 2012 तक स्थापित नहीं की जा सकी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा अगस्त 2012 में इंगित किये जाने पर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया।

1.5.3 तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण अंतर्गत सौंपे गये दायित्वों को पूर्ण करने हेतु किये गये प्रयास।

लेखा एवं लेखापरीक्षा नियम 2007 की धारा 152 से 154 के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा सी.ए.जी (डी पी सी) एक्ट 1971 की धारा 20(I) के अंतर्गत की जाती है। लेखापरीक्षा विभाग तथा राज्य शासन के अधिकारियों की माह नवंबर 2008 में हुई बैठक में पंचायती राज संस्थाओं तथा

शहरी स्थानीय निकायों के अधिनियम व संहिताओं में आवश्यक संशोधन किये जाने की सहमति प्रदान की गयी। लेखा प्रारूपों को स्वीकार करने वित्त के डाटाबेस को तैयार करने तथा आंतरिक नियंत्रक प्रणाली विकसित की जानी थी। लेखा संहिताओं में आवश्यक संशोधन किये जायेगे तथा राज्य स्तर कमेटी तथा एपेक्स कमेटी गठित की जायेगी।

उपरोक्त कार्यों हेतु लगातार प्रयास किये जाने से नेशनल म्युनिसिपल एकाउटिंग मैन्यूअल के आधार पर (मार्च 2013) राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश म्युनिसिपल एकाउटिंग मैन्यूअल जुलाई 2007 में प्रकाशित किया गया तथा अप्रैल 2008 में लेखा प्रारूपों को अपनाया गया। स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा लेखा परीक्षा आयोजना तैयार की जाती है तथा उसे अनुमोदन हेतु प्रधान महालेखाकार को प्रेषित किया जा रहा है। स्थानीय निधि संपरीक्षा के अमले को प्रधान महालेखाकार कार्यालय द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है।

राज्य स्तरीय समिति के गठन हेतु नियमित पत्र व्यवहार किया जा रहा है जिससे समिति द्वारा स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा आपत्ति पर कार्यवाही की जा सके। आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा नगरीय निकायों में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं वित्त के डाटा बेस विकसित करने हेतु सहमति हुई है।

1.6 राजस्व के स्त्रोत

मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 105 और मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 87 के अनुसार स्थानीय निकायों के राजस्व प्राप्ति के मुख्यतः दो स्त्रोत है (I) सरकारी अनुदान और (II) स्वयं का राजस्व। स्वयं का राजस्व स्त्रोत में नगरीय स्थानीय निकायों के स्वयं के कर राजस्व और गैर कर राजस्व जो उनके द्वारा संग्रहित किया गया हो सम्मिलित किया जाता है।

शासकीय अनुदानों में राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा राज्य वित्त आयोग तथा केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर जारी अनुदान तथा विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन तथा भारत सरकार का अंशदान सम्मिलित है।

शहरी स्थानीय निकाय, शहरी विकास के लिए राज्य शासन से या राज्य शासन की अनुमती से अन्य स्त्रोतों से भी ऋण प्राप्त करते हैं।

1.7 बजट आवंटन एवं व्यय

भारत सरकार की योजनाओं में राज्यांश तथा केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर अनुदान सहित बजट के माध्यम से राज्य शासन द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के लिये आवंटित निधि (राज्य के कर राजस्व में अंश, योजना निधि, तथा अनुदान आदि) निम्नानुसार रही:-

तालिका क्र. – 1

(₹करोड़ में)

l-क्र.	बजट आवंटन				व्यय			बचत (5-8)	बचत का प्रतिशत
	वर्ष	राजस्व	पूंजीगत	कुल	राजस्व	पूंजीगत	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2007-08	2027.08	306.30	2333.38	1695.40	305.55	2000.95	332.43	14
2.	2008-09	2263.38	355.24	2618.62	2112.90	205.42	2318.32	300.30	11
3.	2009-10	2878.76	391.83	3270.59	2726.60	208.54	2935.14	335.45	10
4.	2010-11	3577.21	323.15	3900.36	2983.60	202.64	3186.24	714.12	18
5.	2011-12	4148.30	208.00	4356.30	3743.23	152.54	3895.77	460.53	11

स्त्रोत- विनियोग लेखें

उपरोक्त् तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष् 2007-12 के दौरान बचत 10 से 18 प्रतिशत तक थे।

स्वयं के स्त्रोतो से नगरीय निकायों की प्राप्तियाँ एवं व्यय का विवरण संचालनालय स्तर पर संधारित नहीं किया गया। आयुक्त् नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा अगस्त 2012 में बताया गया कि उक्त् का संलकन किया जायेगा तथा लेखा परीक्षा को प्रस्तुंत किया जायेगा। इस संबंध में पुनः नवंबर 2012 में राज्य शासन एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से जानकारी मांगी गयी तथा मई 2013 में स्मरण पत्र जारी किया गया किन्तु उत्तर अप्राप्त रहा।

1.8 अनुदान का कम जारी किया जाना

राज्य शासन ने तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर विभाजनीय कोष[4] की एक प्रतिशत राशि शहरी स्थानीय निकायों को सौंपे जाने की सहमति (जनवरी 2010) प्रदान किया, किन्तु राज्य शासन द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को निर्धारित अंश की देय राशि जारी नहीं की गयी जिसका विवरण निम्नानुसार है-

तालिका क्र- 1.2

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य शासन का विभाजनीय कोष	तृतीय राज्य वित्त vk;kx की अनुशंसा के अनुसार सौंपे जाने वाली निधि	राज्य शासन द्वारा स्थानीय निकायों को वास्तविक रूप से सौंपी गयी निधि	कम जारी की गयी fuf/k
2010-11	13960.22	139.60	122.74	16.86
2011-12	17410.17	174.10	141.41	32.69
योग	**31370.39**	**313.70**	**264.15**	**49.55**

स्त्रोत- आयुक्त्, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

[4] विभाजनीय कोष से आशय पूर्व वर्ष के कुल कर राजस्व में से 10 प्रतिशत कर एकत्रित करने पर उस व्यय को धटाकर तथा नगरीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को सौंपें गये कर राजस्व धटाकर प्राप्त राशि से है।

विभाग द्वारा शहरी स्थानीय निकायो को कम राशि जारी किये जाने के कारण स्पष्ट नहीं किये गये (नवंबर 2012)। मई 2013 में स्मरण पत्र जारी किये जाने के बावजूद उत्तर अप्राप्त रहा।

1.9 उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना

सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 212(I) के अनुसार आवर्ति अनुदानों के संबंध में संबंधित मंत्रालय या विभाग द्वारा पूर्व वर्ष मे जारी अनुदान संबंधी उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित द्वारा प्रस्तुत किये जाने के पश्चात ही अगले वित्तीय वर्ष के लिये अनुदान जारी किया जाना चाहिये । तेरहवें वित्त आयोग के दिशा निर्देशों के पैरा 6.2 के अनुसार पूर्व में आहरित किश्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही आगामी किश्त जारी की जानी चाहिये।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र अगस्त 2012 तक प्राप्त नहीं किये गये जिसका विवरण निम्नानुसार है-

Rkkfydk d:-&1-3

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य वित्त आयोग	केन्द्रीय वित्त आयोग	योग	नगरीय स्थानीय निकायों से अप्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या
2008-09	115.73	72.20	187.93	338
2009-10	131.09	72.20	203.29	357
2010-11	122.74	139.39	262.13	360
2011-12	141.41	202.10	343.51	360
योग	**510.97**	**485.89**	**996.86**	**1415**

स्त्रोत- जानकारी आयुक्त संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी

आयुक्त्, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल से वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त करने हेतु (मई 2013) पत्र जारी किया गया। आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा (जूलाई 2013) प्रतिउत्तर में कहा गया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नही हुये ।

1.10 लेखा परीक्षा की बकाया आपत्तियों की स्थिति

तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के प्रावधानों के अनुसार, संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन उसी रीति से करेगें जैसा कि वे अपनी रिपोर्ट की कंडिकाओं में करते हैं।

शहरी स्थानीय निकायों संबंधी प्रधान महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदनों की बकाया कंडिकाओं की स्थिति निम्नानुसार है।

तालिका क्र.- 1.4

l- क्र.	वित्तीय वर्ष	नगरीय स्थानीय निकाय			
		निरीक्षण प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं का प्रारंभिक शेष	वृद्धि	निराकृत आपत्तियों की संख्या	लंबित आपत्तियों की संख्या
1.	2007-08	3109	514	0	3623
2.	2008-09	3623	778	61	4340
3.	2009-10	4340	598	0	4938
4.	2010-11	4938	453	193	5198
5.	2011-12	5198	797	409	5586

स्त्रोत- सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा-I का मासिक बकाया प्रतिवेदन

संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा से नियमित पत्राचार करने के बावजूद लम्बित कंडिकाओं के निराकरण हेतु कोई सक्रिय प्रयास नहीं किये गये। अप्रैल 2013 में अंतिम बार इस संबंध मे पत्राचार किया गया।

1.11 बैंक समाधान पत्रक तैयार नहीं किया जाना-

मध्य प्रदेश नगर पालिका लेखा नियम 1971 के नियम 97-98 के प्रावधानों के अनुसार रोकड़ बही शेष एवं बैंक खाता शेष के अंतर की राशि का प्रत्येक माह समाधान किया जाना चाहिये।

लेखा परीक्षा के दौरान (2011-12) पाया गया कि वर्ष 2011-12 के अंत में नौ नगरीय निकायों मे बैंक पासबुक की तुलना में रोकड़ बही का शेष ₹ 5.70 करोड़ कम था तथा दो नगरीय निकायों में बैंक पास बुक की तुलना में रोकड़ बही का शेष ₹1.09 करोड़ अधिक था। अंतर की राशि का विवरण **परिशिष्ट 1.2** में दर्शाया गया है।

इंगित किये जाने पर शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उत्तर में बताया गया कि समाधान शीध्र ही किया जायेगा। मासिक बैंक समाधान पत्रक तैयार नहीं किये जाने के कारण स्थानीय नगरीय निकायों की वास्तविक वित्तीय स्थिति स्पष्ट रूप से प्रस्तुत नहीं हो सकी। अद्यतन स्थिति मई 2013 में मांगी गयी किन्तु उत्तर अप्राप्त रहा।

1.12 कर राजस्व/गैर कर राजस्व की वसूली नहीं किया जाना।

मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 87 के अनुसार नगरीय स्थानीय निकाय स्वयं के स्त्रोतों जैसे कर, किराया फीस, लाइसेंस जारी किये जाने इत्यादि से राजस्व अर्जित करते हैं।

लेखा परीक्षा मे पाया गया कि 18 नगरीय स्थानीय निकाय (चार नगर निगम[5], आठ नगर पालिका[6] तथा छः नगर परिषद[7]) में सम्पत्ति कर भवन व दुकानों के किराये से संबंधित राशि ₹ 49.23 करोड़ का कर राजस्व मार्च 2012 तक कर दाताओं के विरूद्ध वसूली हेतु (**परिशिष्ट-1.3**में दर्शाये अनुसार) लंबित था। । इसी प्रकार 17 नगरीय

[5] नगर पालिका निगम खंडवा, रतलाम उज्जैन

[6] दमोह, झाबुआ, करेली, खरगौन, मुरैना, नागदा, नरसिंहपुर एवं पेटलाबाद

[7]बानमोर, व्यौहारी, कन्नौद, मानपुर, सतवास एवं ओरछा

स्थानीय निकायों में जल कर संबंधी गैर कर राजस्व की राशि ₹21.95 करोड़ जो चार नगर निगमों[8] , सात नगर पालिकाओं[9] तथा छः नगर परिषदों[10] से संबंधित, माह मार्च 2012 तक वसूली लंबित रही विवरण **परिशिष्ट 1.4** में दर्शित है। यद्यपि उपरोक्त् अधिनियम की धारा 173 से 183 में नगरीय स्थानीय निकायों को यह शक्तियां दी गई है कि वसूली के लिये यथोचित निर्णय लेकर बकायादारों की चल/ अचल संपत्ति को बेचने और कुर्क करने संबंधित कार्यवाही कर सकता है, किन्तु निकाय बकाया की वसूली की कार्यवाही करने मे विफल रहे जिससे विकास कार्य प्रभावित हुये।

वर्ष 2012 में इंगित किये जाने पर नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा उत्तर में बताया गया कि वसूली की जायेगी। मार्च 2013 में अद्यतन स्थिति की जानकारी मांगी गई किन्तु उत्तर अप्राप्त रहा।

1.13 अग्रिमों का समायोजन न किया जाना-

मध्य प्रदेश नगर पालिका लेखा नियम 1971 के नियम 112(2) के अनुसार जबतक व्यय एक माह के अंदर किया जाना संभावित न हो तब तक किसी भी प्रकार के अग्रिम का आहरण नहीं किया जाना चाहिये। नियम 112(6) के प्रावधानों के अनुसार अग्रिम लेजर के लेखाओं का शेष प्रत्येक तिमाही में निकाला जाना चाहिये तथा लेखा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिये।

अभिलेखों की नमूना जाँच वर्ष 2011-12 मे पाया गया कि छः नगर निगमों[11], तीन नगर पालिकाओं[12] तथा चार नगर परिषदों[13] में अस्थायी अग्रिम की राशि ₹ 8.56 करोड़ **(परिशिष्ट 1.5)** कर्मचारियों एवं एजेन्सियों के विरूद्ध एक माह से 33 वर्षों की अवधि तक समायोजित नहीं किये गये।

वर्ष 2012 में इंगित किये जाने पर संबंधित नगरीय स्थानीय निकायों के आयुक्त तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारियों ने उत्तर दिया कि अग्रिमों की वसूली की जायेगी। माह मार्च 2013 में अद्यतन स्थिति मांगी गई किन्तु उत्तर अप्राप्त रहा।

1.14 दुकानों के किराये तथा प्रीमियम राशि की वसूली नहीं की जाना।

मध्य प्रदेश नगर पालिका लेखा नियम 1971 के नियम 57,59 तथा 60 के अनुसार नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा अचल सम्पत्तियों पर किराया/प्रीमियम लगाया तथा वसूल किया जाना है।

नगर निगम रतलाम, तीन नगर पालिकाओं (झाबुआ, नरसिंहपुर तथा शहडोल) तथा तीन नगर परिषदों (बागौर, हरदा तथा सतवास) के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2012 के अंत तक दुकान किराया तथा प्रीमियम की राशि ₹ 1.41 करोड़[14] वसूली हेतु लंबित थी।

---

8 भोपाल, खंडवा, रतलाम, उज्जैन

9 दमोह, करेली, खरगौन, मुरैना, नागदा, नरसिंहपुर, पेटलाबाद

10 बानमोर, व्यौहारी, कन्नौद, मानपुर, सतवास, ओरछा

11 भोपाल, ग्वालियर, खंडवा, रतलाम, रीवा व उज्जैन

12 दमोह,हरदा व जावरा

13 बानमोर व्यौहारी, सतवास एवं ओरछा

14 रतमाम ₹ 43.85 लाख, झाबुआ ₹ 15.66 लाख, नरसिंहपुर ₹ 5.92 लाख, शहडोल ₹ 55.73 लाख, बानमोर ₹1.10 लाख, हरदा ₹ 18.28 लाख तथा सतवास ₹ 0.90 लाख

वर्ष 2012 में लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर आयुक्त नगर निगम रतलाम तथा उक्त् निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा उत्तर दिया गया कि आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। मार्च 2013 में अद्यतन जानकारी मांगी गई किन्तु उत्तर अप्राप्त रहा।

1.15 निष्कर्ष-

- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में नगरीय निकायों द्वारा बजट एवं लेखे संधारित नहीं किये गये।

(पैरा 1.4)

- नगरीय स्थानीय निकायों में आंतरिक लेखापरीक्षा व्यवस्था स्थापित नहीं की गई।

(पैरा 1.5.2)

- नगरीय स्थानीय निकायों के प्राप्ति एवं व्यय की जानकारी संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में संधारित नहीं की गई।

(पैरा 1.7)

- नगरीय स्थानीय निकायों को कम निधियां जारी किया गया।

(पैरा 1.8)

अध्याय-f}rh;

निष्पादन लेखापरीक्षा

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

मुख्य बिन्दु-

नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम 2000, (भारत सरकार द्वारा तैयार) सितम्बर 2000 से लागू किया गया। इन नियमों के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिये नगरपालिका प्राधिकारी उत्तरदायी होगें। नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियमों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण तथा पृथक्कीकरण, भंडार केन्द्रों या कूड़ेदानों में रखा जाना तथा भूमिभरण स्थल के लिये ढ़के हुये वाहनों में परिवहन किया जाना था। इसके प्रकृति के अनुरूप कम्पोस्ट, पुर्नचक्रित या निपटान किया जायेगा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा इन नियमों को भारत के राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से अपनाया गया। नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की निष्पादन लेखा परीक्षा में पाया गया कि अधिकांश नगरीय स्थानीय निकायों में भूमिभरण स्थल हेतु भूमि चिन्हित नहीं किये जाने के कारण इन नियमों का क्रियान्वयन सही रूप से नहीं किया गया। नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के विषय में नागरिकों को जानकारी देने के लिये जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन नहीं किया गया, नगरीय ठोस अपशिष्ट का पृथक्कीकरण नहीं किया गया, पृथक से कर्मचारियों का नियोजन नहीं किया गया, तथा राज्य एवं जिला स्तर पर पर्याप्त निगरानी नहीं की गयी। निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नानुसार है-

- नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन हेतु प्रदाय की गयी राशि ₹ 10.23 करोड़ अवरूद्ध रही।

(पैरा 2.1.6.4)

- राशि ₹ 87.77 लाख ऐसी मदों पर व्यय किया गया जो नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते है।

(पैरा 2.1.6.5)

- नगर पालिक निगम इंदौर द्वारा राशि ₹ 1.38 करोड़ का व्यय किये बिना कपटपूर्ण उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये।

(पैरा 2.1.6.6(अ)(ब))

- नगरीय ठोस अपशिष्ट के पृथक्कीकरण के लिये समुदाय की भागीदारी तथा गैर- सरकारी संगठनों को शामिल किये जाने हेतु प्रभावी प्रयास नहीं किये गये।

(पैरा 2.1.7.3)

- नगरीय ठोस अपशिष्ट का घर-घर जाकर संग्रहण करने हेतु लगाये गये उपभोक्ता प्रभार की राशि ₹ 1.28 करोड़ वसूली हेतु लंबित रही।

(पैरा 2.1.7.5)

- भूमिभरण स्थल हेतु भूमि आवंटित किये जाने में असाधारण विलंब किया गया।

(पैरा 2.1.7.9)

- भूमिभरण स्थल पर नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण हेतु उचित तकनीकी नहीं अपनाया गया।

(पैरा 2.1.8.1)

- बूचड़खानों से उत्पन्न होने वाले तरल को पूर्व उपचारित किये जाने हेतु व्यवस्था नहीं की गयी।

(पैरा 2.1.10.1(अ))

2.1.1 प्रस्तावना:

मनुष्य की गतिविधियों से अपशिष्ट उत्पन्न होता है तथा जिस रीति से अपशिष्ट को हथालित, भंडारित संग्रहित तथा निपटान किया जाता है उससे पर्यावरण तथा जन स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो सकता है। ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन मे वे सभी गतिवधियाँ सम्मलित हैं जो ठोस अपशिष्ट के स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर प्रभाव को कम कर सके। नगरीय क्षेत्रों मे विशेष रूप से ऐसे शहरों में जहां शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है वहां नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का मुद्दा तथा समस्या तत्कालीक रूप से महत्वपूर्ण है। नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के महत्व को ध्यान मे रख कर भारत सरकार ने नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2000 को विकसित करने का निर्णय लिया। मध्य प्रदेश शासन द्वारा भारतीय नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन व हथालन) नियम 2000[1] को (सितम्बर 2000) अपनाया गया जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि नगरीय ठोस अपशिष्ट को कूड़ेदान में संग्रहित किया जाना चाहिये तथा छांटा जाना चाहिये तत्पश्चात भूमिभरण स्थल की ओर ढके हुये वाहनों में परिवहन किया जाना चाहिये। नगर पालिका अधिकारियों को ऐसी उपयुक्त तकनीक तथा तकनीकों के समूह को अपनाना चाहिये जिससे अपशिष्ट का उपयोग किया जा सके तथा भूमिभरण स्थल पर भार कम किया जा सके। राज्य में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लागू किये जाने हेतु पृथक से काई निर्देश जारी नहीं किये गये। नगरीय प्रशासन एवं विकास के प्रभारी सचिव को नियमों को लागू किये जाने की जिम्मेदारी दी गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव को प्राधिकार प्रदान करने तथा नियमों को पालन सुनिश्चित कराने हेतु प्राधिकृत किया गया।

2.1.2 लेखा परीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखा परीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिये की गई थी कि क्याः-

[1] नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन व हथालन) नियम 2000 प्रतिवेदन में आगे नियम की तरह दर्शाया गया

- नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमों के प्रावधानों का अनुपालन किया गया;
- नियमों को लागू किये जाने हेतु निधियाँ एवं संसाधन पर्याप्त थे तथा राशि का उपयोग मितव्ययी, प्रभावी व दक्षतापूर्ण रीति से किया गया;
- अपशिष्ट का संग्रहण, पथक्करण व प्रसंस्करण तथा निपटान योजनाबद्व व वैज्ञानिक रीति से किया गया;
- एक प्रभावी पर्यवेक्षण कार्यविधि स्थापित की गई थी जिससे क्रियान्वयन ऐजेंसियों/नगरीय ठोस अपशिष्ट सृजित करने वालों द्वारा नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

2.1.3 लेखापरीक्षा मानदंड

निष्पादन लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्त्रोतों से प्राप्त किये गये-

- भारतीय नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम 2000;
- भारत सरकार नगरीय विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किये गये नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली;
- नियमों को लागू किये जाने हेतु राज्य शासन तथा संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेश/परिपत्र;
- म0प्र0 कोषालय संहिता तथा म0प्र0 वित्तीय संहिता
- वार्षिक प्रतिवेदन व बजट दस्तावेज;
- तेरहवें वित्त आयोग के दिशा निर्देशों में अनुदानों को जारी एवं उपयोग के संबंध में उल्लेखित "सर्विस लेवल बेन्चमार्क"।

2.1.4 लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं पद्वति

वर्ष 2007-12 की अवधि हेतु निष्पादन लेखा परीक्षा माह जून से दिसम्बर 2012 में सम्पादित की गई। निष्पादन लेखा परीक्षा हेतु 360 नगरीय स्थानीय निकायों[2] में से 33 नगरीय स्थानीय निकायों[3] का चयन प्रोबेबिलिटि-प्रयोजनित टू साईज सेंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट पद्वति के आधार पर किया गया (**परिशिष्ट 2.1**)। निष्पादन लेखा परीक्षा के दौरान आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, 33 चयनित नगरीय स्थानीय निकायों तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अभिलेखों की नमूना जांच की गई। प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एंव विकास विभाग के साथ निष्पादन लेखा परीक्षा हेतु प्रवेश सम्मेलन दिनांक 9 अगस्त 2012 को आयोजित किया गया एवं निर्गम सम्मेलन 25 अप्रैल 2013 को आयोजित किया गया जिसमें लेखा परीक्षा परिणामों पर चर्चा की गई।

[2] चौदह नगर पालिक निगम, 100 नगरपालिकायें तथा 246 नगर परिषद

[3] चार नगर पालिक निगम, 16 नगरपालिकायें तथा 13 नगर परिषद

लेखा परीक्षा निष्कर्ष

2.1.5 योजना

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली के अध्याय 26 के अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये एक नगर आयोजना बनायी जानी थी जिसमें अपशिष्ट के एकत्रीकरण, परिवहन, प्रसंस्करण तथा निपटान के साथ उपकरणों को उन्नत करने, परिवर्तित करने तथा अपशिष्ट प्रबंधन हेतु समुचित स्थान को शामिल किया जाना था। प्राथमिकताओं के निर्धारण एवं संसाधनों के निर्बाध उपयोग तथा निर्धारित समय सीमा में उद्येश्यों की पूर्ति हेतु दिशा निर्देश जारी किया जाना था।

हमने 33 नगरीय स्थानीय निकायों में से 25 नगरीय स्थानीय निकायों में पाया कि 10 नगरीय निकायों[4] द्वारा किसी प्रकार की योजना, निष्पादन लेखा परीक्षा किये जाने तक (जून-दिसम्बर 2012) तैयार नहीं की गयी। यद्यपि 15 नगरीय स्थानीय निकायों[5] द्वारा वर्ष 2001 से 2011 के मध्य योजना तैयार की गयी, किन्तु किसी भी नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा योजना के अनुरूप नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को लागू नहीं किया गया, जिसका उल्लेख रिपोर्ट में आगे किया गया है। आठ नगरीय स्थानीय निकायों[6] के संदर्भ में योजना तैयार किये जाने की स्थिति स्पष्ट नहीं थी।

अनुपयुक्त योजना तैयार किये जाने से राज्य में नियमों का संगत रूप मे पालन नहीं किया जा सका।

निर्गम सम्मेलन में (अप्रैल् 2013), शासन द्वारा उत्तर दिया गया कि शहरी विकास योजना तैयार की गई है, जिसमें प्रत्येक शहर के लिये ठोस अवशिष्ट प्रबंधन का एक पृथक अध्याय शामिल किया गया है।

शासन का उत्तर लेखा परीक्षा परिणाम के अनुरूप नहीं है।

अनुशंसाः-	शासन को नगरीय ठोस अपशिष्ट को कम तथा पुर्नचक्रित करने के उद्देश्य को ध्यान मे रखते हुये योजना तैयार करनी चाहिये।

2-1-6 वित्तीय 0;oLFkk,¡

2.1.6.1 वित्तीय प्रक्रियायें

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के पैरा 3.1(XIV) के अनुसार प्रत्येक राज्य को नगरीय स्थानीय निकायों हेतु उपलब्ध कराये गये अनुदान की कम से कम 50 प्रतिशत राशि निजी एवं सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु उपलब्ध कराया जाना चाहिये । राज्य शासन द्वारा 12वें वित्त आयोग के अंतर्गत वर्ष 2005-10 की अवधि में प्राप्त की गयी राशि नियमों को लागू किये जाने हेतु नगरीय स्थानीय निकायों को जारी की गयी। नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु नगर पालिक

[4] अलीराजपुर, ब्यौहारी, भोपाल, बुढ़ार, बुधनी, खजुराहो, लौड़ी, मक्सी, नौरोजाबाद तथा सीहोर

[5] भिण्ड, छतरपुर, चित्रकूट, इन्दौर, मंडीदीप, मोहगांव, नागौद, नेपानगर, सतना, शहडोल, शुजालपुर, सोहागपुर, सिवनीमालवा, उमरिया तथा विदिशा

[6] चांदामेटा, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, इटारसी, कोलार, नसरूल्लागंज, परासिया तथा राधोगढ़

निगम इंदौर को भारत सरकार से जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत राज्य शासन के अंश के साथ राशि प्राप्त हुई।

13वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के पैरा 10.160 के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की जाने वाली चार[7] अनिवार्य सेवाओं के क्षेत्र में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा भी (अगस्त 2010) 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रदान की गयी राशि से किये जाने कार्यों में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को प्राथमिकता क्रम में द्वितीय स्थान पर रखा है, यद्यपि 13 वें वित्त आयोग के अंतर्गत वर्ष 2010-11 से 2011-12 की अवधि में कोई राशि नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु चिन्हित नहीं की गई थी (मार्च 2013)।

2.1.6.2 निधियों का आवंटन

12वें वित्त आयोग अंतर्गत वर्ष 2005-10 की अवधि में राज्य को प्राप्त राशि ₹ 361 करोड़ में से राशि ₹ 180.50 करोड़ नगरीय स्थानीय निकायों को नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन लागू किये जाने हेतु चिन्हित की गई। जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन अंतर्गत अर्बन इन्फ्रास्ट्रेक्चर गर्वनेंस में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु इंदौर नगर पालिक निगम को वर्ष 2007-12 की अवधि में राशि ₹ 24 करोड़ प्रदान की गयी। नगरीय स्थानीय निकायों को जारी की गयी राशि का विवरण तालिका- 1 में दर्शाया गया है:

तालिका-1 वित्तीय प्रबंधन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बारहवॉ वित्त आयोग	नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु चिन्हित की गई राशि (टी.एफ सी ग्रांट का 50 प्रतिशत)	जे एन एन यू आर एम			कुल योग
			केन्द्रीय अंश	राज्य अंश	योग	
1	2	3	4	5	6	7
पूर्वशेष	144.40	72.20	0.00	-	-	72.20
2007-08	72.20	36.10	5.41	2.16	7.57	43.67
2008-09	72.20	36.10	0.00	0.00	0.00	36.10
2009-10	72.20	36.10	10.81	4.32	15.13	51.23
2010-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	0.00	0.00	0.00	1.30	1.30	1.30
	361.00	**180.50**	**16.22**	**7.78**	**24.00**	**204.50**

स्त्रोत- uxjh; i'kklu ,oa fodkl foHkkx **भोपाल**

टीप-1. 12वें वित्त आयोग अंतर्गत 2006-07 से 2009-10 के दौरान राशि प्राप्त हुई। वर्ष 2010-11 एंव 2011-12 में कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई। वर्ष 2011-12 में जेएनएनयूआरएम अंतर्गत राज्य अंश राशि ₹ 1.30 करोड़ उपलब्ध कराई गई।

2. 13 वें वित्त आयोग अंतर्गत प्राप्त राशि मे नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु कोई भी राशि पृथक से चिन्हित नहीं की गई।

[7] जलापूर्ति, सिवरेज, वर्षा जल निकासी तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

2.1.6.3 मासिक सामाधान का कार्य नहीं किया जाना

मध्य प्रदेश नगरपालिका लेखा नियमावली के अध्याय 2 (जुलाई 2007) के पैरा 1.11.3 तथा मध्य प्रदेश नगर पालिका लेखा नियम 1971 के नियम 97 व 98 के अनुसार प्रत्येक माह के अंत में रोकड़ बही के शेष का मिलान बैंक खातों के शेष से किया जाना चाहिये तथा यदि कोई अंतर पाया जाता है तो एक समाशोधन विवरण तैयार कर मिलान किया जाना चाहिये।

हमने पाया कि चयनित नगरीय स्थानीय निकायों में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये प्रदाय की गयी राशि या तो चालू बैंक खातों में (12 नगरीय स्थानीय निकायों) या बचत बैंक खातों में (21 नगरीय स्थानीय निकायों) रखी गयी, जिसमें में 27 नगरीय स्थानीय निकायों[8] द्वारा बैंक समाधान पत्रक तैयार नही किये गये। शेष चार नगरीय स्थानीय निकायों[9] द्वारा बैंक खातों के शेषों का मिलान किया गया। जबकि दो नगरीय स्थानीय निकायों में (नगर पालिक निगम ग्वालियर व नगर पालिक निगम इंदौर) बैंक समाधान की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। जिन नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा बैंक समाधान पत्रक तैयार नहीं किया गया था बैंक जमा पर अर्जित ब्याज की राशि तथा उसके उपयोग को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

निर्गम सम्मेलन (अप्रैल 2013), के दौरान शासन ने उत्तर दिया कि लेखाओं में सुधार की कार्यवाही प्रचलन में है तथा सुधारात्मक कार्यवाही की जाने के लिये आवश्यक निर्देश जारी किये जायेंगें।

2.1.6.4 नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के असंगत क्रियान्वयन से राशि अवरूद्ध रहना

(अ) नियमों के अनुसूची-। के प्रावधानों के अनुसार नगर पालिका के अधिकारियों की यह जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि अपशिष्ट के प्रसंस्करण एवं निपटान संबंधी सुविधायें समय पर स्थापित की जाये तथा उनकी निगरानी के साथ वर्तमान में उपलब्ध भूमिभरण स्थल को विकसित किया जाये तथा भविष्य की आवश्यकताओं हेतु भूमिभरण स्थल की पहचान की जाये एवं उसको संचालन हेतु तैयार रखा जाये। 12वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के पैरा 3.1(XIV) में यह उल्लेख किया गया था कि नगर पालिकाओं द्वारा ठोस अपशिष्ट के एकत्रीकरण, पृथ्क्कीकरण और परिवहन पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिये। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल द्वारा (सितम्बर 2006) में यह निर्देश जारी किये गये कि 12वें वित्त आयोग अंतर्गत जारी की गयी राशि का उपयोग भूमिभरण स्थल के विकास एवं अपशिष्ट के संग्रहण हेतु छोटे वाहनों का क्रय, कम्पोस्टिग तथा ऊर्जा उत्पादन इकाई हेतु मशीनरी स्थापित करने पर किया जायेगा।

हमने पाया कि नमूना जांच की गयी 33 इकाईयों मे से 25 नगरीय स्थानीय निकायों को 12 वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के माध्यम

---

[8] अलीराजपुर, भिण्ड, व्यौहरी, बुधनी, बुढ़ार, चांदामेटा, छिन्दवाडा, चित्रकूट,इटारसी, खजुराहो, कोलार, मोहगांव, मक्सी, मंडीदीप, नागौद, नसरूल्लागंज, नौरोजाबाद, नेपानगर, परासिया, राधोगढ़, सतना, शहडोल, सीहोर, सिवनीमालवा, शुजालपुर, सोहागपुर तथा उमरिया

[9] भोपाल, छतरपुर, लौड़ी तथा विदिशा

से वर्ष 2006-10 में राशि ₹ 18.72 करोड़[10] प्राप्त हुई (**परिशिष्ट 2.2**) जिसमें से मात्र राशि ₹ 8.49 करोड़ उपरोक्त उल्लेखित कार्यों पर माह नवम्बर 2012 तक व्यय की गयी। इस प्रकार ₹ 10.23 करोड़ (55 प्रतिशत) अव्ययित रहा जिसका विवरण तालिका-2 में दर्शाया गया है:

तालिका: 2 जारी तथा व्यय राशि का विवरण

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से प्राप्त राशि	शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सूचित व्यय	बैंक जमा के रूप में अवरूद्ध राशि
पूर्व वर्षों का शेष (2006-07)	निरंक	600.89	131.67	469.22
2007-08	469.22	367.82	100.07	736.97
2008-09	736.97	487.77	169.02	1055.72
2009-10	1055.72	370.37	130.48	1295.61
2010-11	1295.61	15.89*	112.39	1199.11
2011-12	1199.11	28.72*	205.24	1022.59
;kx	**4756.63**	**1871.46**	**848.87**	

*वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में 13वें वित्त आयोग मद में प्राप्त राशि व्यय की गयी।

स्त्रोत- नमूना जांच किये गये नगरीय स्थानीय निकाय।

यद्यपि, आठ नगरीय स्थानीय निकायों[11] में कोई राशि अवरूद्ध नहीं पायी गयी। पूर्व वर्ष की अव्ययित राशि को प्रारंभिक शेष के रूप में दर्शाया गया ।

(ब) यह भी देखा गया कि छः नगरीय स्थानीय निकायों[12] द्वारा राशि ₹ 3.53 करोड़, बैंक मे सावधि जमा के रूप में रखी गयी। मुख्य नगर पालिका अधिकारियों द्वारा राशि को अवरूद्ध रखने का कारण यह बताया गया (अगस्त-नवंबर 2012) कि भूमिभरण स्थल के लिये भूमि उपलब्ध न होने/अधिग्रहण न होने के कारण राशि का उपयोग नहीं किया जा सका।

निर्गम सम्मेलन के दौरान (अप्रैल 2013), शासन ने लेखा परीक्षा आपत्ति की पुष्टि की तथा उत्तर दिया कि सावधि जमा पर अर्जित ब्याज को नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर व्यय करने के निर्देश जारी किये जायेंगें।

2.1.6.5 निधियों का व्ययपर्तन

12वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के पैरा 3.1(XIV) के अनुसार 50 प्रतिशत राशि नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु चिन्हित की जानी थी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल द्वारा (अक्टूबर 2006) निर्देश जारी किये गये कि नगरीय ठोस अपशिष्ट

---

[10] वास्तविक आवंटन ₹ 1871.46 लाख

[11] भोपाल, व्यौहारी, ग्वालियर, इन्दौर, कोलार, खजुराहो, सतना तथा शुजालपुर

[12] भिण्ड ₹2.00 करोड़, मंडीदीप ₹ 0.62 करोड़, नागौद ₹ 0.25 करोड़, सिवनीमालवा ₹ 0.20 करोड़, परासिया ₹ 0.04 करोड़ तथा विदिशा ₹ 0.42 करोड़

प्रबंधन हेतु चिन्हित राशि भूमिभरण स्थल के विकास, वाहनों के क्रय, कन्टेनर, कूड़ादान तथा अन्य उपकरण जो इस प्रयोजन हेतु आवश्यक हो पर व्यय किया जाना चाहिये।

पाँच नगरीय स्थानीय निकायों[13] के लेजर, रोकड़ बही, प्रमाणकों तथा बैंक स्टेटमेंट/पासबुक आदि की जांच में हमने पाया कि राशि ₹ 87.77 लाख का व्यय उपरोक्त् वर्णित प्रावधानों के कार्यों पर नहीं किया गया। यद्यपि अन्य 28 नगरीय स्थानीय निकायों में राशि का व्यपवर्तन किया जाना नहीं पाया गया।

इंगित किये जाने पर आयुक्त तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारियों ने उत्तर दिया कि प्रावधानित मदों के अलावा अन्य मदों पर तत्काल आवश्यकता होने पर ड्रेनेज, विद्युत तथा जल आपूर्ति के कार्यों पर व्यय किया गया।

उत्तर नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

निर्गम सम्मेलन के दौरान (अप्रैल 2013), शासन ने उत्तर दिया कि व्यपवर्तित राशि की वसूली किये जाने के निर्देश जारी किये जायेंगे।

2.1.6.6 काल्पनिक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना।

(अ) नियमों के अनुसूची-II के पैरा 2 के प्रावधानों के अनुसार नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिये नगरपालिका के अधिकारियों को जागरूकता कार्यक्रम संचालित करना चाहिये जिसमें अपशिष्ट के पृथक्कीकरण तथा उसे पुर्नचक्रित करने तथा पृथक की गयी सामग्री को पुनः उपयोग किये जाने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिये।

इंदौर नगर पालिक निगम के अभिलेख की नमूना जांच में हमने पाया कि जे एन एन यू आर एम अंतर्गत वर्ष 2007-12 के दौरान नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु उपलब्ध करायी गयी राशि ₹ 24 करोड़ में से परिषद के अनुमोदन के अनुसार उपर्युक्त कार्यों पर ₹ 50 लाख के व्यय का अनुमान था तथा जागरूकता कार्यक्रम पर बिना कोई व्यय किये राशि ₹ 50 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को प्रेषित किया गया।

यह तथ्य आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की जानकारी में लाया गया (30 अक्टूबर 2012)। आयुक्त् नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा (31 अक्टूबर 2012) को उत्तर दिया गया कि तथ्यों को सुनिश्चित करने के लिये इंदौर नगर पालिक निगम को पत्र जारी किया गया है (नवंबर 2012)। माह जून 2013 में आयुक्त नगर पालिका निगम ने उत्तर दिया कि मानवीय भूल के कारण यह त्रुटि हुई।

(ब) नगर पालिक निगम इंदौर के अभिलेखों की नमूना जांच मे पाया गया कि इंदौर की जनसंख्या के आधार पर तिपहिया वाहनों की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया तथा 2243 कंटेनर युक्त तिपहिया वाहनों का क्रय आदेश आयुक्त इन्दौर नगर पालिक निगम द्वारा लागत राशि ₹ 2.56 करोड़ का आदेश मैसर्स तिरूपति सायकल रिक्शा, नागपुर को फरवरी 2009 में दिया गया। उक्त् फर्म द्वारा 900 सायकिल रिक्शा प्रदाय किये गये तथा इस हेतु राशि ₹ 1.03 करोड़ का भुगतान किया गया। प्रदाय किये गये तिपहिया वाहनों की गुणवत्ता के संबंध मे शिकायत प्राप्त होने पर प्रदाय आदेश को

---

[13] छिन्दवाड़ा (2 कार्य) ₹ 4.59 लाख, ग्वालियर (6 कार्य) ₹40.51 लाख, नौरोजाबाद (01 कार्य) ₹ 2.98 लाख, परासिया (14कार्य)₹ 11.71 लाख तथा सीहोर (08 कार्य) ₹ 27.98 लाख।

निरस्त कर दिया गया। किन्तु आयुक्त नगर पालिका निगम इंदौर द्वारा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को राशि ₹ 1.90 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किया गया। इस प्रकार राशि ₹ 87.86 लाख अधिक का उपयोगिता प्रमाण पत्र संचालनालय को जारी किया गया।

निर्गम सम्मेलन के दौरान (अप्रैल 2013), शासन ने उत्तर दिया कि नगर पालिक निगम इंदौर से जानकारी मांगी गयी है तथा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

2.1.7 नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का क्रियान्वयन

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का संबंध अपशिष्ट के सृजन भंडारण, एकत्रीकरण, स्थानांतरण, परिवहन, प्रसंस्करण तथा अपशिष्ट का निपटान के उस तरीके से है जो लोक स्वास्थ्य, आर्थिक, यांत्रिकी, संरक्षण, सौंदर्यीकरण तथा अन्य पर्यावरणीय स्थितियों के अनुरूप स्थापित सबसे उपयुक्त् सिद्वांतों से है।

2.1.7.1 नियमों का अपर्याप्त क्रियान्वन किया जाना

नियम 8.1 के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन के संबंध में 15 सितम्बर तक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा तथा उसे केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित करेगा। वार्षिक प्रतिवेदन मे प्रतिदिन उत्सर्जित कुल ठोस अपशिष्ट की मात्रा एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, भूमिभरण स्थल का क्षेत्र, भूमिभरण स्थल को विकसित करने की स्थिति तथा अंतिम रूप से निपटान किये गये अपशिष्ट का विवरण शामिल किया जायेगा।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अभिलेखों की नमूना जांच एवं उपलब्ध कराई गयी जानकारी के आधार पर राज्य में नियमों के क्रियान्वयन की स्थिति तालिका 3 मे निम्नानुसार दर्शाई गई हैः-

तालिकाः 3 नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन की स्थिति

स. क्र.	मानदंड	कुल नगरीय निकायों की संख्या	नगर पालिक प्राधिकारियों की संख्या					
			मानदंड लागू किया जाना		आंशिक रूप से लागू किया जाना		मानदंड का पालन नहीं किया जाना	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	नगरीय ठोस अपशिष्ट का एकत्रीकरण	360	04	1.11	285	79	71	20
2	नगरीय ठोस अपशिष्ट का पृथक्कीकरण	’’	04	1.11	23	6.39	333	92
3	नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण	’’	02	0.56	237	66	121	34
4	नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन	’’	06	1.67	300	83	54	15
5	नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण	’’	01	0.28	03	0.83	356	99
6	नगरीय ठोस अपशिष्ट का निपटान	’’	01	0.28	142	39	216	60

स्त्रोत- मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 0.28 से 1.67 प्रतिशत नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा विभिन्न मानदंडों को लागू किया गया। 0.83 से 83 प्रतिशत नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा आंशिक रूप से मानदंड लागू किये गये । 15 से 99 प्रतिशत नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा उपरोक्त नियमों के मानदंडों का पालन सुनिश्चित नहीं किया गया।

निर्गम सम्मेलन (अप्रैल 2013), में शासन ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा उत्तर दिया कि भूमि आवंटित नहीं किये जाने के कारण अधिकांश नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा नियमों को लागू नहीं किया जा सका।

शासन द्वारा मई 1996 में दिये गये नगरीय स्थानीय निकायों को भूमि आवंटन संबंधी निर्देश के विपरीत होने से उत्तर औचित्यपूर्ण नहीं है।

2.1.7.2 नगरीय स्थानीय निकायों को प्राधिकार पत्र जारी नहीं किया जाना एवं नवीनीकरण नहीं किया जाना।

नियमों के पैरा 6.2 तथा 6.4 के अनुसार अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा निपटान संयत्र को स्थापित करने के लिये (जिसमें भूमिभरण भी शामिल है) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नगरीय स्थानीय निकायों को प्राधिकृत किया जाना आवश्यक है जो कि एक निश्चित समयावधि के लिये वैध होगा तथ वैधता अवधि की समाप्ति पर पुनः प्राधिकृत किया जाना आवश्यक होगा।

(1) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों (नवंबर 2012) में यह पाया गया कि 298 नगरीय स्थानीय निकायों को (360 में से) वर्ष 2004 में एक वर्ष के लिये अस्थाई प्राधिकार प्रमाण पत्र जारी किये गये। शेष 62 नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा प्राधिकार प्राप्त नहीं किये गये। यह भी देखा गया कि नगर पालिक निगम ग्वालियर तथा इंदौर को छोड़कर किसी भी नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकार का नवीनीकरण नहीं कराया गया जिससे उन नगरीय स्थानीय निकायों मे अपशिष्ट का एकत्रीकरण, परिवहन तथा अपशिष्ट का यहाँ वहाँ खाली स्थानों पर ढेर लगा रहा तथा अवशिष्ट का प्रसंस्करण और निपटान नहीं की गई।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव द्वारा (नवंबर 2012) उत्तर दिया गया कि अपूर्ण आवेदनों, भूमि को चिन्हित नहीं किये जाने तथा प्राधिकार हेतु आवेदन न किये जाने के कारण इसे नवीनीकृत नहीं किया जा सका।

(ii) 33 नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 20 नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा अस्थाई प्राधिकार प्राप्त किये गये किन्तु नगर पालिक निगम ग्वालियर तथा नगर पालिक निगम इंदौर के अलावा किसी भी निकाय द्वारा नवीनीकरण नहीं कराया गया। शेष 13 नगरीय स्थानीय निकायों में से नौ नगरीय स्थानीय निकायों[14] ने प्राधिकार हेतुं आवेदन नहीं किया तीन नगरीय स्थानीय निकायों[15] ने प्राधिकार हेतु आवेदन किये जाने की स्थिति स्पष्ट नहीं थी तथा एक नगरीय स्थानीय निकाय[16] द्वारा प्राधिकार हेतु आवेदन किया गया किन्तु प्राधिकार प्राप्त नहीं हुआ।

इंगित किये जाने पर (जून 2012, अक्टूबर 2012 अथवा नवंबर 2012) आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारियों ने उत्तर दिया (जूलाई 2012, नवंबर 2012 तथा दिसंबर 2012) कि भूमि की अनुपलब्धता के कारण प्राधिकार नवीनीकृत नहीं किया जा सका।

उत्तर तथ्यों के अनुरूप नहीं हैं, क्योकि 20 नगरीय स्थानीय निकायों में से 5 नगरीय स्थानीय निकायों के पास भूमिभरण स्थल उपलब्ध था।

---

[14] ब्यौहारी, भिण्ड, भोपाल, इटारसी, कोलार, नौरोजाबाद,सीहोर,शुजापुर तथा विदिशा

[15] नेपानगर,परासिया तथा राधोगढ़

[16] खजुराहो

निर्गम सम्मेलन के दौरान (अप्रैल 2013), शासन ने लेखा परीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया तथा उत्तर दिया कि भूमि शीघ्र आवंटित किये जाने के प्रयास किये जायेगें।

2.1.7.3 जन जागरूकता अभियान क्रियान्वयन नहीं किया जाना

नियमों की अनुसूची-।। के पैरा 2 के अनुसार नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिये स्थानीय निकायों द्वारा अपशिष्ट के पृथक्करण और पुर्नचक्रण कर पृथक की गई सामग्री के पुनः उपयोग हेतु जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिये। नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा अपशिष्ट के पृथक्करण में समुदाय की भागीगारी सुनिश्चित की जानी चाहिये। इसके लिये नगरीय स्थानीय निकाय को स्थानीय कल्याणकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों तथा गैर शासकीय संस्थाओं के साथ नियमित रूप से त्रैमासिक बैठक की जानी चाहिये।

33 चयनित नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेख की नमूना जांच में पाया गया कि 24 नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा वर्ष 2006-12 में कोई भी जन जागरूकता अभियान संचालित नहीं किया गया **(परिशिष्ट 2.4)**। नौ नगरीय स्थानीय निकायों[17] द्वारा अगस्त 2009 से जनवरी 2012 के मध्य पर्चे प्रकाशित कर तथा समाचार पत्रों में अपील जारी कर जन जागरूकता अभियान किये गये। दो नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा (नगरपालिका खजुराहों तथा विदिशा) सेमीनार/वर्कशॉप वर्ष 2011 में आयोजित किये गये किन्तु किसी भी नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा वर्ष 2006-12 में आवधिक बैठकें आयोजित नहीं की गई जिससे स्पष्ट है कि नियमों के प्रावधानों के अनुरूप जागरूकता अभियान संचालित नहीं किये गये।

निर्गम सम्मेलन के दौरान (अप्रैल 2013), शासन ने उत्तर दिया कि 12वें वित्त आयोग अंतर्गत चिन्हित निधि उपलब्ध न होने के कारण जन जागरण अभियान संचालित नहीं किये गये यद्यपि जागरूकता अभियान आयोजित किये जाने हेतु आदेश जारी किये जायेगें।

अनुकरणीय प्रयासः इंदौर नगर पालिक निगम द्वारा ए टू जेड कंपनी के साथ नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप के आधार पर एक अनुबंध किया गया और नगरीय ठोस अपशिष्ट के पृथक्कीकरण हेतु नियमित जन-जागरूकता अभियान चलाया गया।

अनुशंसाः नगरीय स्थानीय निकायों को रहवासी कल्याण संगठनों, गैर शासकीय संस्थाओं तथा स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ जागरूकता कार्यक्रम संचालित किये जाने चाहिये।

2.1.7.4 नगरीय ठोस अपशिष्ट को स्त्रोत से अव्यवस्थित एकत्रीकरण

अनुसूची-।। के नियम 1(।) के अनुसार पूर्व सूचित समय पर नियमित रूप से घर-घर जा कर उत्सर्जित नगरीय ठोस अपशिष्ट संग्रहित किया जाना चाहिये।

33 चयनित नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 14 नगरीय स्थानीय निकायों[18] में घर-घर जा कर नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण

[17] भोपाल, छतरपुर, ग्वालियर, इन्दौर, खजुराहो, नसरूल्लागंज, शहडोल, सोहागपुर तथा विदिशा

[18] व्यौहारी, भिण्ड, बुढ़ार, छतरपुर, इन्दौर, कोलार, मक्सी, नौरोजाबाद, नेपानगर, परासिया, राधोगढ़, सीहोर, सिवनीमालवा तथा उमरिया

नहीं किया गया। पॉच नगरीय स्थानीय निकायों[19] में घर-घर जाकर नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण किया गया जो 9 से 33 प्रतिशत था, छः नगरीय स्थानी निकायों[20] में संग्रहण का प्रतिशत 47 से 67 प्रतिशत तक रहा, तथा शेष छः नगरीय स्थानीय निकायों[21] में संग्रहण का प्रतिशत 78 से 94 रहा, जबकि नियमों को लागू किये जाने के पश्चात 10 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। जिस कारण से कूड़ा-कचरा खुले स्थानों पर सड़क किनारे तथा प्राथमिक संग्रहण केन्द्रों पर कूड़ेदान के पास बिखरा हुआ है जैसा कि फोटोग्राफ में देखा जा सकता है-

फोटोग्राफ- खुले स्थान तथा सड़क किनारे फैला हुआ कूड़ा-कचरा

यद्यपि दो नगरीय स्थानीय निकायों नसरूल्लागंज तथा विदिशा द्वारा धर-धर जाकर शत प्रतिशत नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण किया जा रहा है।

कूड़ेदान के पास फैले हुये कचरे के संबंध में कारणों को स्पष्ट करने के लिये (मार्च 2013) में लिखा गया। आयुक्त्/मुख्य नगर पालिका अधिकारियों द्वारा (मार्च 2013) में उत्तर दिया गया कि तत्समय की जनसंख्या के मान से कूड़ेदान स्थापित किये गये थे जनसंख्या की वृद्वि के कारण स्थापित कूड़ेदान छोटे पड़ने लगे जिससे कचरा आस-पास फैला हुआ है। परिषद से प्रस्ताव पारित होने के पश्चात कूड़ेदान बदले जायेगें।

निर्गम सम्मेलन के दौरान (अप्रैल 2013), शासन ने उत्तर दिया कि घर-घर जाकर समूह स्तर से आदर्श स्थिति तक कचरा संग्रहण के सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं।

[19] बुधनी,(13प्रतिशत),इटारसी (9 प्रतिशत),लौड़ी (27 प्रतिशत), नागौद (33 प्रतिशत) तथा शुजालपुर (23 प्रतिशत)

[20] अलीराजपुर (67प्रतिशत),भोपाल (39 प्रतिशत),चित्रकूट (60 प्रतिशत), ग्वालियर (35 प्रतिशत), खजुराहो (47 प्रतिशत) तथा मोहगांव (67 प्रतिशत)

[21] छिन्वाड़ा (82 प्रतिशत), चांदमेटा (80 प्रतिशत), मंडीदीप (78 प्रतिशत),सतना (78 प्रतिशत),शहडोल (94 प्रतिशत),सोहागपुर (87 प्रतिशत)

सराहनीय प्रयासः नगर पालिका नसरूल्ला गंज तथा विदिशा द्वारा घर-घर जाकर शत प्रतिशत नगरीय ठोस अपशिष्ट संग्रहण कार्य किया जा रहा है।

अनुशंसाः स्व सहायता समूह को बढ़ावा देकर एक समयबद्व कार्यक्रम अनुसार घर-घर जाकर कचड़ा संग्रहण का कार्य किया जाना चाहिये तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन कड़ाई से ढके हुये वाहनों में किया जाना चाहिये।

1.7.5 उपभोक्ता प्रभार वसूल नहीं किया जाना राशि ₹ 1.28 करोड़

अनूसूची 2 के पैरा 1 (I) के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण किसी एक रीति से किया जाना था यथा- सामुदायिक कूड़ेदान (केन्द्रीय डिब्बा) घर-घर जाकर संग्रहण, नियमित पूर्व सूचित समय पर संग्रहण और ध्वनि युक्त वाहनों की घंटी बजाकर। 12वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के पैरा 4.1(IV) के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण पर उपभोक्त प्रभार लगाया जाना आवश्यक है।

33 नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेखों की नमूना जांच में हमने पाया कि नगर पालिक निगम भोपाल (₹ 30/- प्रतिमाह प्रति आवास तथा ₹ 60 प्रति दुकान/ गैर शासकीय कार्यालय) एवं नगर पालिका, शहडोल (₹300 प्रति आवास तथा ₹1500/- प्रति दुकान/गैर शासकीय कार्यालय) को छोड़कर किसी अन्य नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा उपभोक्ता प्रभार अधिरोपित नहीं किया गया है। यद्यपि, नगर पालिक निगम इंदौर (व्यावसायिक संगठनों से जनित होने वाले कूड़ा कचरा की मात्रा के अनुसार ₹1000/- से 30000/- प्रतिमाह तक अधिरोपित किया जा रहा था। आवासीय घरों पर उपभोक्ता प्रभार अधिरोपित नहीं किये गये थे।) द्वारा अप्रैल् 2007 से उपभोक्ता प्रभार वसूल किया जा रहा था। नगर पालिका शहडोल द्वारा गैर शासकीय संगठन के माध्यम से ठेके के आधार पर उपभोक्ता प्रभार की वसूली की जा रही थी। आगे यह देखा गया कि नगर पालिक निगम भोपाल तथा नगर पालिक निगम इंदौर द्वारा निर्धारित दर से उपभोक्ता प्रभार की वसूली नहीं की गयी थी परिणामस्वरूप राशि ₹ 1.28 करोड़ उपभोक्ता प्रभार की वसूली शेष थी जैसा कि तालिका 4 में दर्शाया गया हैः

तालिका-4 उपभोक्ता प्रभार की शेष वसूली का विवरण

(₹ करोड में)

इकाई का नाम	अवधि जिसके लिये उपभोक्ता प्रभार वसूल किये जाना है	उपभोक्ता प्रभार की मांग	वसूल की गयी राशि (मांग का प्रतिशत)	वसूली हेतु शेष राशि (मांग की तुलना मे प्रतिशत)
नगर पालिक निगम भोपाल	2011-12	1.35	0.60(44)	0.75 (56)
नगर पालिक निगम इंदौर	2007-12	2.31	1.79(77)	0.53 (23)
	योग	**3.66**	**2.39 (65)**	**1.28 (35)**

स्त्रोत- नमूना जांच की गयी नगरीय स्थानीय निकाय

इस विषय में इंगित किये जाने पर (जुलाई 2012, सितम्बर 2012) मुख्य नगर पालिका अधिकारियों ने उत्तर दिया कि (जुलाई 2012, सितम्बर 2012 और मार्च 2013), परिषद की सहमति प्राप्त न होने के कारण उपभोक्ता प्रभार अधिरोपित तथा वसूल नहीं

किये जा सके। यद्यपि आयुक्त नगर पालिक निगम इंदौर द्वारा उत्तर दिया गया कि (सितम्बर 2012), कर्मचारियों की कमी के कारण वसूली में कठिनाई आ रही है। वर्ष 2007 के पूर्व घर-घर जाकर कचरा-संग्रहण हेतु उपभोक्ता प्रभार अधिरोपित नहीं किये गये। उपभोक्ता प्रभार केवल वर्ष 2007 से अधिरोपित किये गये थे।

उपभोक्ता प्रभार अधिरोपित नहीं किये जाने के लिये नगर पालिका अधिकारियों से कारण स्पष्ट करने हेतु कहा गया था (मार्च 2013)। नगर पालिका अधिकारियों द्वारा उत्तर दिया गया कि (मार्च 2013), नागरिकों में जागरूकता की कमी के कारण वसूली लंबित है।

निर्गम सम्मलेन (अप्रैल 2013) में शासन ने उत्तर दिया कि नगर पालिक निगम भोपाल तथा नगर पालिक निगम इंदौर को लंबित उपभोक्ता प्रभार वसूल किये जाने के निर्देश जारी किये जायेंगे।

2.1.7.6 नगरीय ठोस अपशिष्ट हेतु अस्वास्थ्यकर प्राथमिक संग्रहण केन्द्र (डिब्बा)

नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमों के अनुसूची 2 के पैरा 3 के अनुसार नगरपालिका प्राधिकारी, संग्रहण सुविधाओं की स्थापना और उनका अनुरक्षण ऐसी रीति से करेगा जिससे वे इसके आस-पास अस्वास्थ्यकर/अस्वच्छकारी परिस्थितियां पैदा न करे। भंडारण सुविधा की डिजाइन ऐसा होना चाहिये जिससे की इक्ठ्ठा किया गया कूड़ा खुले वातावरण में न फैले और सौन्दर्यपरक रूप से स्वीकार्य एवं प्रयोक्ता के मित्रवत हो।

चयनित नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 5492 प्राथमिक संग्रहण केन्द्रों/कूड़ेदानों में से 1924 (35 प्रतिशत) कूड़ेदान नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा खुले सूचित किये गये। खुले कूड़ेदानों की स्थिति तालिका 5 में दर्शायी गयी हैः

तालिकाः 5 कूड़ेदानों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

स.क्र.	स्थानीय निकाय का नाम	कुल संग्रहण केन्द्रों/कूड़ेदानों की संख्या	खुले कूड़ेदानों की संख्या (कुल कड़ेदानों की संख्या की तुलना में प्रतिशत)
1	04 नगर पालिक निगम	4302	1279 (30)
2	29 नगर पालिकायें	1190	645 (54)
	योग	**5492**	**1924(35)**

स्त्रोत - नमूना जांच किये गये नगरीय स्थानीय निकाय

खुले कूड़ेदानों का उपयोग नियमों के विपरीत है परिणामस्वरूप कूड़ा-कचरा कूड़ेदान के चारों तरफ फैला रहता है जिससे अस्वास्थकर/अस्वच्छकारी परिस्थितियाँ पैदा होती है जैसा कि नीचे फोटोग्राफ में दर्शाया गया है-

फोटोग्राफ- कूड़ेदान के चारों ओर फैला हुआ कचरा

कूड़ेदान के आस-पास फैला हुआ कचरा भोपाल

कूड़ेदान के आस-पास फैला हुआ कचरा ग्वालियर

निर्गम सम्मेलन (अप्रैल 2013) में शासन ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया तथा उत्तर दिया कि खुले कूड़ेदानों को बंद कूड़ेदानों से बदलने के निर्देश जारी किये जायेंगे।

2.1.7.7 नगरीय ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण नहीं किया जाना

अनुसूची 2 के पैरा 3(iii) के अनुसार अपशिष्ट का पृथक्करण अलग-अलग रंग के कूड़ेदान में किया जायेगा जैसे जैव-निम्नीकरण अपशिष्ट के लिये हरे, और पुनः चक्रण योग्य अपशिष्ट तथा अन्य अपशिष्टों के लिये कूड़ेदान क्रमशः सफेद एवं काले पेंट किये जायेंगे।

सभी चयनित नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेखों की नमूना जांच तथा भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि किसी भी चयनित निकाय में अपशिष्ट का पृथक्करण अलग-अलग रंग के कूड़ेदान में नहीं किया जा रहा है।

इंगित किये जाने पर (मार्च 2013) में आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारियों ने (मार्च 2013) में आपत्ति को स्वीकार किया तथा उत्तर दिया कि लोगों में जागरूकता की कमी के कारण नगरीय ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण अलग-अलग कूड़ेदान में वर्तमान में नहीं किया जा रहा है।

निर्गम सम्मेलन में (अप्रैल 2013), शासन ने आपत्ति को स्वीकार किया तथा उत्तर दिया कि तीन नगरीय स्थानीय निकायों सैलाना,बदनावर और गौतमपुर ने पृथक-पृथक अपशिष्ट का संग्रहण प्रारंभ कर दिया गया है तथा शेष नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा इस संबंध में ईमानदार प्रयास किये जा रहे है किन्तु उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये।

2.1.7.8 नगरीय ठोस अपशिष्ट का अव्यवस्थित परिवहन

नियमों के अनुसूची-II के पैरा 4 के अनुसार अपशिष्टों का परिवहन ढ़के हुये वाहनों से किया जायेगा। अपशिष्ट लोगों को न तो दिखाई दे और न ही खुले वातावरण में बिखरे। परिवहन वाहनों का डिजाइन ऐसी की जानी चाहिये कि अपशिष्ट के अंतिम निपटान के पूर्व हथालन की पुनरावृत्ति से बचा जा सके।

(I) हमने 33 नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेखों की नमूना जांच तथा वाहनों के भौतिक सत्यापन में पाया कि 18 नगरीय स्थानीय निकायों[22] द्वारा शत प्रतिशत नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन खुले वाहनों से किया जा रहा था तथा 15 नगरीय स्थानीय निकायों में 666 वाहनों में से 211 वाहन (32 प्रतिशत) खुले पाये गये। अतः नगरीय स्थानीय निकाय, वाहनों से कचरा सड़क पर फैलने तथा विस्तृत क्षेत्र में दुर्गंध फैलने से रोकने में असमर्थ रहे, जैसा कि फोटोग्राफ में दर्शाया गया हैः-

छायाचित्रः नगरीय ठोस अपशिष्ट के परिवहन में खुले वाहनों का उपयोग

(I)नगरीय ठोस अपशिष्ट का बिना ढ़के हुये वाहनों में परिवहन , इंदौर

(2) नगरीय ठोस अपशिष्ट का बिना ढ़के हुये वाहनों में भूमि भरण स्थल हेतु परिवहन, ग्वालियर

(ii) चयनित नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेखों तथा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों की नमूना जांच में यह भी पाया गया कि प्रतिदिन कुल अनुमानित उत्सर्जित नगरीय ठोस अपशिष्ट की मात्रा 2458.13 मी. टन के विरूद्ध मात्र 1986.89 मी.टन (81 प्रतिशत) कचरे का परिवहन किया जा रहा था। इस प्रकार प्रतिदन 471.24 मी.टन (19 प्रतिशत) नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन नहीं किया गया जिससे वातावरण प्रदूषित हुआ तथा मानव जीवन जोखिम पूर्ण रहा।

इंगित किये जाने (जून-नवंबर 2012) तथा खुले वाहनों के उपयोग का कारण स्पष्ट करने हेतु कहे जाने पर अधिकांश आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारियों द्वारा उत्तर दिया गया (जून-नवंबर 2012) कि परिषद् का अनुमोदन (मार्च 2013) तथा कर्मचारियों एवं उपकरणों के लिये शासन से स्वीकृति प्रतीक्षित है। अतः उत्सर्जित होने वाले नगरीय ठोस अपशिष्ट का पूर्ण रूप से परिवहन नहीं किया जा सका तथा खुले वाहनों को परिषद का अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत परिवर्तित किया जा सकेगा।

निर्गम सम्म्लेन के दौरान (अप्रैल 2013), विभाग द्वारा लेखा परीक्षा आपत्ति की पुष्टि की गयी तथा उत्तर दिया गया कि सुधारात्मक कदम उठाये जाने हेतु निर्देश जारी किये जायेंगे।

[22] व्यौहारी, बुढ़ार, बुधनी, चांदामेटा, छिन्दवाड़ा, चित्रकूट, इटारसी, कोलार, लौंड़ी, मक्सी, नागौद, नौरोजाबाद, नेपानगर, परासिया, सतना, सिवनीमालवा, सोहागपुर तथा शुजालपुर

2.1.7.9(अ) भूमि भरण स्थल के आवंटन में असाधारण विलंब

नियमों की अनुसूची III के पैरा 11-17 के अनुसार वर्तमान भूमिभरण स्थल के चारों ओर कांटेदार तार की बाढ़/झाडियाँ लगाकर पूर्णतः सुरक्षित किया जायेगा। भूमिभरण स्थल पर वाहनों तथा अन्य मशीनरी के सुगम आवागमन के लिये पहुँच मार्ग तथा अन्य आंतरिक मार्ग, अपशिष्ट की मात्रा का वजन करने के लिये तुला (वे-ब्रिज), आश्रय, प्रकाश तथा पीने के पानी आदि की व्यवस्था की जानी चाहिये।

संबंधित नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा भूमि का चयन किया जाना था तथा परिषद का अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत भूमि की आवश्यकता का प्रस्ताव जिला मजिस्ट्रेट को, भूमि के आवंटन हेतु प्रस्तुत किया जाना था।

हमने चयनित 33 नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया कि 15 नगरीय स्थानीय निकायों[23] में भूमिभरण स्थल के लिये आवश्यक भूमि आवंटित की गयी तथा उसका आधिपत्य दिया गया। एक नगरीय स्थानीय निकाय[24] के पास स्वयं की भूमि थी किन्तु नगर पालिक निगम ग्वालियर तथा नगर पालिक निगम इंदौर को छोड़कर शेष किसी भी नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा नियमों के प्रावधानों के अनुरूप आवंटित भूमिभरण स्थल विकसित नहीं किया जा सका। अन्य 15 नगरीय स्थानीय निकायों [25] द्वारा भूमि का आधिपत्य प्राप्त नहीं किया जा सका तथा दो नगरीय स्थानीय निकायों[26] में अतिक्रमण के कारण भूमि आधिपत्य का प्रकरण (नवंबर 2012) न्यायालय में विचाराधीन था।

इस प्रकार 10 वर्ष की अवधि व्यतीत होने के उपरांत भी नियम उचित रूप से लागू नहीं किये जा सके। भूमिभरण स्थल को विकसित किये जाने की स्थिति जैसा कि उपरोक्त नियम में उल्लेखित है, निम्न तालिका में दर्शायी गयी है-

तालिका-6 वर्तमान भूमिभरण स्थलों को विकसित नहीं किये जाने की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

विकास की स्थिति	वर्तमान भूमिभरण स्थल को विकसित नहीं किये जाने की स्थिति					
	बाड़	सड़क	प्रकाश	पानी	वजन करने की सुविधा	आश्रय
विकसित	4	8	2	3	2	4
अविकसित	11	7	13	12	13	11

स्त्रोत- नमूना जांच किये गये नगरीय स्थानीय निकाय

यह भी पाया गया कि अस्थायी भूमिभरण स्थल पर पृथक्कीकरण तथा उपचारित किये बिना अपशिष्ट को यहां वहां डाला गया। निम्न फोटो मे अपशिष्ट का भूमिभरण स्थल में डालना दर्शाया गया है:-

---

23 अलीराजपुर, व्यौहारी, भिण्ड, भोपाल, बुधनी, छतरपुर, छिन्वाड़ा, चित्रकूट, ग्वालियर, इंदौर, खजुराहो, मोहगांव, नागौद, सिवनीमालवा और शुजालपुर

24 सीहोर

25 बुढ़ार, चांदामेटा, इटारसी, कोलार, लौडी, मक्सी, मंडीदीप, नसरूल्लागंज, नेपानगर, परासिया, राधोगढ़, सतना, शहडोल, सोहागपुर, तथा उमरिया

26 नौरोजाबाद तथा विदिशा

भूमिभरण स्थल में खुले स्थानों पर फैले कूड़े कचरे की स्थिति दर्शाने वाले छायाचित्र

भोपाल के भूमिभरण स्थल पर नगरीय ठोस अपशिष्ट का एकत्रीकरण

सिवनीमालवा भूमिभरण स्थल पर नगरीय ठोस अपशिष्ट का एकत्रीकरण

अस्थायी भूमिभरण स्थल पर अपशिष्ट डाले जाने का कारण आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारियों द्वारा भूमि का उपलब्ध न होना बतलाया गया (जून-नवंबर 2012)।

निर्गम सम्मेलन के दौरान (अप्रैल 2013), विभाग ने उत्तर दिया कि भूमि आवंटन शीध्र किये जाने हेतु प्रयास किये जायेंगे।

शासन का उत्तर लेखापरीक्षा आपत्ति के अनुरूप नहीं था क्योकि 15 नगरीय स्थानीय निकायों को भूमि भरण स्थल हेतु भूमि आवंटित की जा चुकी है किन्तु उसे भूमिभरण स्थल के रूप मे विकसित नहीं किया जा सका है (मार्च 2013)।

(ब) नगर पालिक निगम भोपाल द्वारा भूमिभरण स्थल को विकसित नहीं किया जाना।

नगर पालिक निगम भोपाल को भूमिभरण स्थल के लिये भूमि आवंटन संबंधी अभिलेख की नमूना जांच में पाया गया कि भोपाल नगर पालिक निगम को (वर्ष 2004 से पूर्व) 140 एकड़ भूमि, भूमिभरण स्थल हेतु झिरन्या ग्राम मे आवंटित की गयी किन्तु भूमि पर झाड़ियाँ एवं जंगल होने के कारण भूमि का उपयोग नगरीय ठोस अपशिष्ट के निपटान हेतु नहीं किया जा सका। फरवरी 2007 में नगर पालिक निगम भोपाल को एक नये स्थान, आदमपुर छावनी में स्थल आवंटित किया गया किन्तु इस स्थल को भूमिभरण स्थल के रूप में जुलाई 2012 तक विकसित नहीं किया जा सका।

इंगित किये जाने पर (जून-नवंबर 2012) आयुक्त् ने उत्तर दिया (जून-नवंबर 2012) कि पुराना स्थल जो भूमिभरण स्थल हेतु आवंटित किया गया था, शहर से दूर होने तथा जंगल क्षेत्र होने के कारण विकसित नहीं किया जा सका। जबकि आदमपुर छावनी पर आवंटित भूमि को अतिक्रमण के कारण भूमिभरण स्थल के रूप मे विकसित नहीं किया जा सका।

निर्गम सम्मेलन के दौरान (अप्रैल 2013), शासन ने उत्तर दिया कि आयुक्त नगर पालिक निगम भोपाल को भूमिभरण स्थल को शीध्र विकसित करने हेतु निर्देश जारी किये जायेंगें।

2.1.8 नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण

नगरीय ठोस अपशिष्ट एक मूल्यवान स्त्रोत है जिसमें प्रसंस्करण की विभिन्न तकनीक का प्रयोग कर लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

2.1.8.1 प्रसंस्करण तकनीक नहीं अपनाया जाना

नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमों के अनूसूची II के पैरा 5 के अनुसार नगरपालिका प्राधिकारी अपशिष्टों को उपयोगी बनाने के लिये, समुचित तकनीक अथवा ऐसी विविध तकनीकों को अपनाएगा जिससे भूमिभरण पर भार कम किया जा सके।

चयनित नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 33 नगरीय स्थानीय निकायों मे से 31 नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा अपशिष्ट का प्रसंस्करण नहीं किये जाने के परिणास्वरूप अपशिष्ट को भूमिभरण स्थल पर एकत्रित होने से वायु तथा जल दूषित होने की संभावना थी। मुख्य नगर पालिका अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गयी कि (जुलाई 2012 से नवंबर 2012), स्थायी रूप से भूमि आवंटित न किये जाने के कारण प्रसंस्करण सुविधाओं को नहीं अपनाया जा सका।

भूमि आधिपत्य में होने के कारण 16 मुख्य नगर पालिका अधिकारियों का उत्तर त्रुटिपूर्ण था।

निर्गम सम्मेलन के दौरान (अप्रैल् 2013), शासन ने आपत्ति को स्वीकार किया तथा उत्तर दिया कि निर्देश जारी किये जायेगे।

अनुकरणीय प्रयासः- तालिका 7 में दर्शाये विवरण अनुसार दो नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा प्रसंस्करण सुविधाओं को अपनाया गया है।

तालिकाः7 नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा अपनायी गयी प्रसंस्करण तकनीक का विवरण

नगरीय स्थानीय निकाय का नाम	अपनायी गयी तकनीक	प्रक्रिया कब से प्रारंभ है	निर्मित सामग्री का नाम	निर्मित सामग्री का उपयोग
ग्वालियर	कम्पोस्टिक तथा पुर्नचक्रीकरण	वर्ष 2008 से	खाद, आर.डी.एफ*	खाद के रूप में
इंदौर	कम्पोस्टिक तथा पुर्नचक्रीकरण	जनवरी 2012	खाद, आर.डी एफ और कार्बन क्रेडिट*	खाद तथा ईंधन के रूप में

*आर डी एफ एक प्रकार का ईधन है जो औद्योगिक चिमनियों मे प्रयोग किया जाता है।

*कार्बन क्रेडिट (कुल कार्बन क्रेडिट का 50 प्रतिशत) जो अपशिष्ट के बेहतर प्रबंधन हेतु प्रोत्साहन के लिये दिया जाता है।

2.1.8.2 कंपनी से राशि ₹ 11.83 लाख वसूल न किया जाना

नगर पालिक निगम इंदौर (नियोक्ता) द्वारा स्वनिर्माण, संचालन और हस्तान्तरण पद्वति (बूट) पर प्रतिदिन 500 मी. टन की प्रसंस्करण क्षमता वाले प्रसंस्करण संयत्र स्थापित करने हेतु ए टू जेड कम्पनी (ऑपरेटर) के साथ एक अनुबंध (सितम्बर 2010) किया गया। उपरोक्त अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रत्येक माह के अंत में स्थल पर प्राप्त होने

वाले अपशिष्ट के लिये ₹21/- प्रति मिट्रिक टन के मान से कंपनी द्वारा नियोक्ता को भुगतान किया जाना था।

प्रसंस्करण यूनिट के अभिलेख की नमूना जांच में पाया गया कि कंपनी द्वारा जनवरी 2012 से नियमित रूप से अपशिष्ट का प्रसंस्करण प्रारंभ किया गया तथा जनवरी से जुलाई 2012 के दौरान कुल 56312 मि.टन अपशिष्ट का प्रसंस्करण किया गया किन्तु कंपनी द्वारा किसी राशि का भुगतान नहीं किया गया परिणामस्वरूप राशि ₹11.83 लाख का भुगतान कंपनी पर लंबित था।

फोटोग्राफ- भूमिभरण स्थल इंदौर पर बड़ी मात्रा मे एकत्रित अपशिष्ट

निर्गम सम्मेलन के दौरान (अप्रैल 2013), शासन ने उत्तर दिया कि प्रकरण की जांच की जावेगी तथा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

2.1.8.3 लीज रेंट की राशि ₹ 60705/- की वसूली नहीं की जाना

नगर पालिक निगम इंदौर तथा ए टू जेड कंपनी के मध्य किये गये अनुबंध (सितम्बर 2010) की शर्त क्रमांक (ii) के अनुसार नियोक्ता द्वारा कंपनी को प्रसंस्करण संयत्र एवं कार्यशाला स्थापित करने हेतु 15 एकड़ (60705 वर्ग मीटर) भूमि ₹1/- प्रति वर्गमीटर की दर से प्रतिवर्ष अग्रिम लीज रेंट पर 20 वर्षों हेतु उपलब्ध करायी जानी थी।

नगर पालिक निगम इंदौर के अभिलेखों की नमूना जांच में हमने पाया कि कंपनी द्वारा वर्ष 2011-12 में देय लीज रेंट की राशि ₹ 60705 जमा नहीं की गयी।

निर्गम सम्मेलन के दौरान (अप्रैल 2013), शासन ने उत्तर दिया कि प्रकरण की जांच की जायेगी तथा समुचित कार्यवाही की जायेगी।

2.1.9 भूमिभरण स्थल के चारों ओर बफरजोन घोषित नहीं किया जाना।

नियमों की अनुसूची III के पैरा 9 के अनुसार भूमिभरण स्थल के चारों ओर एक बफरजोन बनाये रखा जायेगा और इसे नगर आयोजना विभाग की भूमि उपयोग योजनाओं में शामिल किया जावेगा।

नमूना जांच की गयी 33 नगरीय स्थानीय निकायो में से 16 नगरीय स्थानीय निकायों के पास भूमिभरण स्थल हेतु भूमि उपलब्ध थी किन्तु निकायों द्वारा नगर आयोजना विभाग की भूमि, उपयोग योजनाओं में बफरजोन को शामिल करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी। शेष 17 नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा भूमि आवंटित न होने के कारण इस विषय में कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

इंगित किये जाने पर (जून 2012 से दिसम्बर 2012), अधिकांश आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारियों द्वारा उत्तर दिया गया कि बफरजोन की धोषणा नहीं की गयी थी।

यद्यपि आयुक्त नगर पालिक निगम ग्वालियर द्वारा उत्तर दिया गया (नवंबर 2013) कि टाउन एंव कंट्री प्लानिंग विभाग को (दिसम्बर 2012) बफरजोन धोषित करने हेतु पत्र लिखा गया है और आगामी कार्यवाही टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा की जानी है जो प्रतीक्षित थी। नगर पालिक निगम इंदौर द्वारा उत्तर नहीं दिया गया (सितम्बर 2012)।

निर्गम सम्मेलन (अप्रैल 2013) में शासन ने उत्तर दिया कि समुचित कार्यवाही की जायेगी।

अनुकरणीय कार्यः प्लास्टिक ठोस अपशिष्ट का निपटान

प्लास्टिक, सेल्यूलोज से उत्पन्न एक कार्बनिक सामग्री है जिसे गर्म कर किसी भी आकार मे ठंडा कर ढ़ाला जा सकता है। यह जैव विनष्टीकारक न होने से वातावरण में लम्बे समय तक बनी रहती है। यह कई खराब प्रभाव डालती है जैसे बिखरी प्लास्टिक शहर के नालियों को अवरूद्ध करती है, कई बार गायें एवं अन्य जानवर खाद्य पदार्थों के साथ मिली हुई प्लास्टिक अपशिष्ट को खा लेते है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मौत हो जाती है। अपशिष्ट प्लास्टिक, भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम करती है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा धूर्णीय सीमेन्ट चिमनियों की पहचान की जिनमें अ-चक्री योग्य प्लास्टिक अपशिष्ट को अन्य जलने योग्य ईंधन के साथ मिलाकरण सहायक ईंधन के रूप मे प्रयोग कर अंतिम निपटान किया गया और इसका कोई खराब परिणाम नहीं पाये गये।

नगर पालिक निगम भोपाल के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान (जून 2012), में पाया गया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं नगर पालिक निगम भोपाल के सहयोग से प्लास्टिक अपशिष्ट के समुचित निपटान हेतु पहल की गई। नगर पालिक निगम भोपाल द्वारा सार्थक, गैर शासकीय संस्था एवं राज्य प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड के माध्यम से पांच वार्डों में प्लास्टिक ठोस अपशिष्ट के निपटान हेतु एक पृथक पायलेट परियोजना प्रांरभ की गई। नगर पालिक निगम भोपाल द्वारा गैर शासकीय संस्था को 25000 वर्ग फीट जमीन बेलिंग इकाई प्लास्टिक ठोस अपशिष्ट को कम्प्रेश कर बंडल बनाने वाली मशीन स्थापित किये जाने हेतु जून 2011 मे उपल्ब्ध कराई गई थी। माह सितम्बर से दिसम्बर 2011 के मध्य कुल उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक ठोस अपशिष्ट में से सात से आठ मेट्रिक टन प्लास्टिक ठोस अपशिष्ट को पांच संग्रहण केन्द्रों के 125 कचरा चुनने वालों के माध्यम से एकत्रित किया जाकर उसे दबाया जा कर सीमेन्ट उद्योग में सह- ईंधन के रूप में प्रयोग किये जाने हेतु भेजा गया।

2.1.10 पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रबंध-

नगरीय ठोस अपशिष्ट को भूमि पर रिसाव रोकने की व्यवस्था किये बिना एकत्रित किये जाने से अनेक समस्याऐं जैसे रिसाव से भूमिजल का दूषित होना, सतही जल का दूषित होना, गैस, धास-फूस, धूल, दुर्गध के द्वारा वायु प्रदूषण तथा अन्य समस्याऐं जो कीड़े मकोड़े, पालतू जानवर, अग्नि, खतरनाक पक्षियों, तरल खाद्य पदार्थ तथा क्षरण इत्यादि उत्पन्न होती है।

2.1.10.1(अ) बूचड़खानों से उत्पन्न होने वाले तरल का निपटान नहीं किया जाना

ठोस अपशिष्ट नियमावली के अध्याय-5 के पैरा 5.5.1 के अनुसार बूचड़खानों से उत्पन्न होने वाला अपशिष्ट- जल अत्यधिक प्रदूषित होता है अतः इसे बिना उपचारित किये नगरीय नालियों में मिलाने की अनुमती नहीं दी जानी चाहिये।

चयनित नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि पांच नगरीय निकायों[27] में बूचड़खाने थे किन्तु इन बूचड़खानों से उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट-जल के उपचार हेतु कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। बूचड़खानों में उत्पन्न होने वाले तरल अपशिष्ट नगरीय नालियों मे मिलाया जा रहा था जो उक्त् नियम के प्रावधानों के विपरीत था। 26 नगरीय स्थानीय निकायों में मांस/मछली बाजार में उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट के निपटान हेतु कोई पृथक व्वव्स्था नहीं की गयी थी। जबकि दो (कोलार तथा मंडीदीप) नगरीय स्थानीय निकायों की स्थिति स्पष्ट नहीं थी।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर (सितम्बर 2012 से अक्टूबर 2012), संबंधित आयुक्त् नगर पालिक निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारियों ने उत्तर (सितम्बर 2012 से अक्टूबर 2012) दिया कि तरल अपशिष्ट के निपटान हेतु दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रक्रिया अपनाई जायेगी। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से, नगर पालिक निगम द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में तरल अपशिष्ट के निपटान के प्रावधानों का पालन नहीं करने के विषय में की गई कार्यवाही के लिये (नवम्बर 2012), पूछा गया। सदस्य सचिव , राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा (अप्रैल 2013) में उत्तर दिया गया कि क्षेत्रीय अधिकारियों को जल अधिनियम 1974 की धारा 41 तथा 44 के तहत नगर पालिक निगमों के विरूद्व कार्यवाही करने हेतु पत्र लिखा गया है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उप निदेशक, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जनवरी 2013 मे पत्र लिखा गया।

निर्गम सम्मेलन के दौरान (अप्रैल 2013), में शासन ने उत्तर दिया कि बूचड़खानों के उन्नयन हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है जिसमें बूचड़खानों में उत्पन्न होने वाले तरल अपशिष्ट का उपचार किया जाना शामिल है।

(ब) जैव निम्नीकरण अपशिष्ट के उपयोग के तरीके नहीं अपनाना।

अनूसूची III के पैरा 1 (iii) के प्रावधानों के अनुसार बूचड़खानों, मांस और मछली बाजारों, तथा फल एवं सब्जी बाजारों के अपशिष्ट का जो जैव निम्नीकरण प्रकृति की है, इसमें कागज, पुट्ठा, खाद्य अपशिष्ट, कपड़ा और लकड़ी शामिल होती है। ऐसे अपशिष्टों को उपयोग में लाने हेतु प्रबन्ध किया जाना चाहिये।

[27] नगर पालिक निगम भोपाल, नगर पालिक निगम ग्वालियर, नगर पालिक निगम इन्दौर, नगर पालिका भिण्ड तथा बुढ़ार

सभी चयनित नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि किसी भी नगरीय स्थानीय निकाय में जैव निम्नीकरण अपशिष्ट को उपयोगी बनाने हेतु किसी भी प्रकार की सुविधा जैसे कम्पोस्टिंग, वर्मी- कंपोस्टिंग एवं हाइड्रोपलपिंग[28] उपलब्ध नहीं थी।

निर्गम सम्मेलन के दौरान (अप्रैल 2013), शासन ने लेखा परीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया तथा उत्तर दिया कि निर्देश जारी किये जायेगे।

2.1.10.2 भूमि भरण स्थल पर वायु तथा जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रावधानों की पूर्ति नहीं की जाना।

भूमिभरण स्थल से संबंधित नियमों की अनुसूची III के पैरा 19-20 में वर्णित विशिष्टियों के अनुसार अपशिष्ट को तत्काल अथवा प्रत्येक कार्य दिवस के अंत में न्यूनतम 10 से.मी. मिट्टी से ढ़का जायेगा, और मानसून ऋतु आरंभ होने से पूर्व भूमिभरण स्थल की अच्छी तरह घुटाई तथा ग्रेडिंग करके 40-65 से.मी. मोटाई वाला मिट्टी के अन्तर्वर्ती आवरण से ढ़का जायेगा ताकि पानी के रिसाव को रोका जा सके।

नियमों के अनुसूची III के पैरा 22 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार लीचेट[29] की उत्पत्ति को कम से कम करने के लिये वर्षा जल निकास को आधुनिक तथा सतही जल के प्रदूषण को रोकने और साथ ही साथ दलदली स्थितियों से बचने के लिये अभेद्य लाइनिंग व्यवस्था तथा लीचेट कलेक्शन सिस्टम[30] बनाया जाना चाहिये।

नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमों की अनूसूची III के पैरा 23 के अनुसार किसी भी भूमिभरण स्थल को स्थापित करने से पूर्व क्षेत्र में भूमिगत जल गुणवत्ता के आधार आंकड़े एकत्र किये जाये और उन्हें भविष्य में संदर्भ के लिये अभिलेख में रखा जाएगा। भूमिभरण स्थल के 50 मीटर की परिधि में भूमिगत जल गुणवत्ता की आवधिक मानीटरिंग की जानी चाहिये ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भूमिगत जल स्वीकार्य सीमा से अधिक दूषित न हो। यह मानीटरिंग वर्ष के अलग-अलग ऋतुओं जैसे गर्मी,वर्षा तथा वर्षा के बाद की अवधि में की जानी चाहिये। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह भी सूचित किया (अप्रैल 2013) कि नगरीय निकाय जो पर्यावरण (बचाव) अधिनियम 1986 तथा उसके अधीन जारी निर्देशों का पालन करने मे विफल रहते है उनके विरूद्व अधिनियम की धारा 5 तथा 15 के अधीन कार्यवाही की जायेगी।

चयनित नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि किसी भी निकाय द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट को मिट्टी से नहीं ढ़का गया तथा लीचेट कलेक्शन प्रणाली विकसित नहीं की गयी एवं वायु प्रदूषण तथा भूमिगत जल के प्रदूषण को नियमित करने के लिये आवधिक निगरानी सुनिश्चित नहीं की गयी। नगरीय ठोस अपशिष्ट, नगरीय क्षेत्र में यहां-वहां एकत्रित किया गया था जिससे मानव जीवन को जोखिम उत्पन्न हो रहा था। भूमिभरण स्थल की गंभीर परिस्थितियों को दर्शाने वाले छायाचित्र नीचे दिये गये हैः

---

28 नगरीय ठोस अपशिष्ट में पेपर फायबर प्राप्त किये जाने की एक विधि

29 लीचेट- एक प्रकार का तरल है जो भूमिभरण स्थल पर रिसता है भूमिभरण स्थल की अवधि के अनुसार यह भिन्न हो सकता है

30 लीचेट कलेक्शन सिस्टम एक पाइपों की प्रणाली है जिससे लीचेट को भंडारण तथा प्रसंस्करण स्थल तक पहुंचाया जा सके

छायाचित्र-भूमिभरण स्थल पर गंभीर परिस्थितियाँ

भूमिभरण स्थल सीहोर पर अपशिष्ट का ढ़ेर

भूमिभरण स्थल विदिशा पर अपशिष्ट का ढ़ेर

इंगित किये जाने पर आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारियों द्वारा तथ्य को स्वीकार किया गया। ऐसे नगरीय स्थानीय निकाय जिन्होनें अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया, उनके विरूद्व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में सदस्य सचिव राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा (अप्रैल 2013) में उत्तर दिया गया कि नगरीय निकायों के विरूद्व कार्यवाही करने के लिये क्षेत्रीय कार्यालय जिम्मेदार है। यद्यपि ऐसी नगरीय निकायों के विरूद्व की गयी कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।

निर्गम सम्मेलन के दौरान (अप्रैल 2013) में शासन ने आपत्ति को स्वीकार किया तथा उत्तर दिया कि निर्देश जारी किये जायेगे।

2.1.11 जनशक्ति प्रबंध

राज्य नगर पालिका सेवा (स्वास्थ्य) नियम 2011 उपलब्ध हैं तथा उक्त नियम मे संशोधन हेतु प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। नियमों के अनुसार अतिरिक्त पदों का सृजन जनसंख्या के आधार पर किया जायेगा।

33 नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 28 नगरीय स्थानीय निकायों में इस प्रयोजन हेतु पृथक से कोई अमला पदस्थ नहीं किया गया। यह भी देखा गया कि 10 नगरीय स्थानीय निकायों में सफाई दरोगा तथा स्वच्छता निरीक्षकों के 159 अस्थाई पदों में से 83 पद रिक्त थे। जबकि सफाई अमले के 13 से 54 प्रतिशत तक पद रिक्त थे। इस कार्य हेतु पृथक अमला पदस्थ नहीं किये जाने के कारण नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का क्रियान्वयन नियमों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं किया जा सका।

इंगित किये जाने पर (अगस्त 2012 से मार्च 2013), आयुक्त तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारियों द्वारा उत्तर दिया गया (अगस्त 2012 से मार्च 2013) कि नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु पृथक से अमला उपलब्ध नहीं कराया गया। यद्यपि नौ नगरीय स्थानीय निकायों[31] द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु कर्मचारियों की आवश्यकता का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था (जनवरी 2011 तथा 2012)। तीन नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा (चांदमेटा, छिन्दवाड़ा, शहडोल) उत्तर दिया गया कि कर्मचारियों हेतु

[31] अलीराजपुर, भोपाल, चित्रकुट, इन्दौर, खजुराहो, लौड़ी, नागौद, सीहोर तथा उमरिया

प्रस्ताव भेजा जायेगा तथा शेष नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु कर्मचारियों की आवश्यकता पर कोई टिप्पणी नहीं की गयी।

निर्गम सम्मलेन के दौरान (अप्रैल 2013), विभाग ने लेखा परीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया तथा बताया कि राज्य स्वच्छता सेवाओं के अंतर्गत जनशक्ति प्रबंधन हेतु योजना तैयार की गयी है।

अनुशंसा- नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के बेहतर क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त कर्मचारियों की पदस्थापना सुनिश्चित की जानी चाहिये।

2.1.12 निगरानी तथा मूल्यांकन प्रणाली

2.1.12.1 निगरानी व्यवस्था की कमी

नियमों के पैरा 5(I) के अनुसार राज्य के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रभारी सचिव, महानगरों में इन नियमों के प्रवर्तन हेतु संपूर्ण् रूप से उत्तरदायी होगें, तथा पैरा 5(2) के अनुसार संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट का उनकी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर इन नियमो के उपबंधों के प्रवर्तन का संपूर्ण उत्तरदायित्व होगा। नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमावली के अध्याय 25 के पैरा 25.2 में उल्लेख किया गया है कि स्थानीय निकायों को निर्देशित करने हेतु राज्य शासन को समुचित क्रियाविधि बनानी चाहिये और स्थानीय निकायों को उनके अनिवार्य सेवाओं के प्रभावी निष्पादन हेतु जागरूक करने के लिये मुख्य भूमिका निभानी चाहिये।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि नगरीय स्थानीय निकायों को सहयोग प्रदान करने हेतु राज्य शासन ने कोई योजना व दिशानिर्देश तैयार नहीं किये तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की क्रियान्वयन हेतु निगरानी समिति का गठन भी नहीं किया गया। निगरानी हेतु आवश्यक अभिलेख जैसे एकीकृत निगरानी प्रतिवेदन तथा नगरीय स्थानीय निकाय वार क्रियान्वयन की स्थिति दर्शाने वाले अभिलेख संधारित नहीं किया गया।

इंगित किये जाने पर आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने तथ्य को स्वीकार किया तथा उत्तर दिया कि उप संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को निगरानी हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये गये थे। यद्यपि उप संचालक ग्वालियर तथा इंदौर अपने अधिकार क्षेत्र में नियमों को लागू किये जाने की जानकारी उपलब्ध नहीं करा सके।

सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट को नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की निगरानी से संबंधित सूचना भेजने हेतु पत्र जारी किया गया, किन्तु कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई (मार्च 2013)।

चयनित नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेखों की नमूना जांच मे आगे पाया गया कि नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा न तो निगरानी समिति का गठन किया गया एवं ना ही जिला मजिस्ट्रेट अथवा राज्य शासन को निगरानी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

निर्गम सम्मेलन के दौरान (अप्रैल 2013) शासन ने आपत्ति को स्वीकार किया तथा उत्तर दिया कि नियमित निगरानी हेतु निर्देश जारी किये जायेंगे।

अनुशंसा-	नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के बेहतर क्रियान्वयन हेतु निगरानी तथा मूल्यांकन प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना चाहिये।

2.1.12.2 वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया जाना

नियम 4(4) के अनुसार प्रत्येक नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा प्रपत्र-II में एक वार्षिक रिपोर्ट राज्य के सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को प्रस्तुत करना चाहिये जिसमें उत्सर्जित अपशिष्ट की मात्रा, संग्रहण, प्रसंस्करण तथा भूमिभरण स्थल पर उपलब्ध अन्य सुविधायें जैसे-झारतोलक, बाड़ एवं प्रकाश की जानकारी सम्मिलित होनी चाहिये। राज्य शासन द्वारा यह भी निर्देश दिये गये (मई 2004) कि नियमों को लागू किये जाने संबंधी वार्षिक रिपोर्ट जिला कलेक्टर को प्रस्तुत की जानी चाहिये।

चयनित नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेखों की नमूना जांच मे पाया गया कि 26 नगरीय स्थानीय निकायों[32] द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी। यद्यपि पांच नगरीय स्थानीय निकायों[33] द्वारा प्रतिवर्ष वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी तथा दो नगरीय स्थानीय निकायों[34] द्वारा वर्ष 2008-09 से वार्षिक रिपोर्ट जिला कलेक्टर/उप संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को प्रस्तुत की गयी। आगे नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि नगरीय स्थानीय निकायों की संकलित वार्षिक प्रतिवेदन की जानकारी उपलब्ध नहीं थी किन्तु लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर संचालनालय स्तर से यह जानकारी मांगी गई (दिसम्बर 2012)।

इंगित किये जाने पर (अगस्त-नवंबर 2012), मुख्य नगर पालिका अधिकारियों ने उत्तर दिया कि (अगस्त-नवंबर 2012) रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी है, तथा आयुक्त् नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने उत्तर दिया।(अक्टूबर 2012) कि जानकारी संकलित की जायेगी।

छः जिलों[35] के जिला मजिस्ट्रेट से वार्षिक रिपोर्ट के विषय में जानकारी मांगी गयी (अगस्त 2012-दिसम्बर 2012) किन्तु कोई जानकारी जिला मजिस्ट्रेटों से प्राप्त नहीं हुयी (मार्च 2013)।

निर्गम सम्मेलन के दौरान (अप्रैल 2013), शासन ने लेखा परीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया तथा उत्तर दिया कि नगरीय स्थानीय निकायों को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देश जारी किये जायेगे।

2.1.12.3 नियमों की अवहेलना किये जाने पर दंड अधिरोपित नहीं किया जाना।

नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 418(अ) के अनुपालन में राज्य शासन द्वारा निर्देश जारी किये गये (अप्रैल 2008) कि सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी, गंदा ठोस अपशिष्ट तथा सीवर का पानी फैलाने वाले व्यक्तियों पर अर्थदंड अधिरोपित तथा वसूल किया जाये जो प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 से ₹ 1000 तक होगा।

---

[32]अलीराजपुर, व्यौहारी, भिण्ड, भोपाल, बुढ़ार, बुधनी, छतरपुर, चित्रकूट, इटारसी, खजुराहो, कोलार, लौड़ी, मक्सी, मंडीदीप, मोहगांव, नागौद, नसरूल्लागंज, नौरोजाबाद, नेपानगर, राधोगढ़, सतना, सीहोर, सिवनीमालवा, सोहागपुर, शुजालपुर तथा विदिशा

[33] चांदामेटा, छिन्वाड़ा, इन्दौर, परासिया तथा उमरिया

[34] चित्रकूट तथा शहडोल

[35] छिन्दवाड़ा, ग्वालियर, होशंगाबाद, इन्दौर, शाजापुर तथा विदिशा

चयनित नगरीय स्थानीय निकायों (चार नगर पालिक निगम) के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि दो नगरीय स्थानीय निकायों[36] द्वारा अपने क्षेत्र मे निष्पादन लेखा परीक्षा अवधि (2007-12) के दौरान किसी प्रकार का अर्थदंड अधिरोपित नहीं किया गया।

नगर पालिक निगम सतना द्वारा अर्थदंड अधिरोपित किये जाने का प्रावधान किया गया किन्तु नियमों का उल्लंधन प्रकाश में नहीं आया।

नगर पालिक निगमों के आयुक्तों द्वारा आपत्ति को स्वीकार किया गया तथा उत्तर दिया गया कि (अगस्त से नवंबर 2012) परिषद सदस्यों के सहमति के बिना अर्थदंड अधिरोपित तथा वसूल नहीं किया जा सकता।

निर्गम सम्मेलन के दौरान (अप्रैल 2013), शासन ने उत्तर दिया कि नियमों का उल्लंधन किये जाने पर अर्थदंड अधिरोपित किये जाने हेतु मात्र नगरीय स्थानीय निकाय जिम्मेदार है यद्यपि आवश्यक निर्देश जारी किये जायेगे।

2.1.13 सतर्कता व्यवस्था

नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमावली के पैरा 23.3.1.4 ।।(ब) के अनुसार प्रत्येक माह स्वच्छता नियमों के उल्लंधन संबंधी न्यायालयीन प्रकरणों के आंकड़े एकत्रित किये जाने चाहिये जिससे नियमों के क्रियान्वयन की स्थिति में सुधार किया जा सके।

चयनित नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमों के उल्लंधन संबंधी कोई शिकायत/न्यायालयीन प्रकरण सूचित नहीं किये गये परन्तु नगर पालिका नसरूल्लागंज तथा विदिशा में भूमिभरण स्थल पर अतिक्रमण संबंधी एक-एक न्यायालयीन प्रकरण दर्ज किये गये थे।

निर्गम सम्मेलन के दौरान (अप्रैल 2013), शासन ने उत्तर दिया कि सतर्कता व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये जायेगे।

2.1.14 सेवा प्रदाय का स्तर निर्धारित किया जाना

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के पैरा 10.160 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर (31 मार्च) चार सेवा क्षेत्रों जैसे जलप्रदाय,सीवरेज,बाढ़ के पानी की निकासी तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में प्रदाय की जाने वाली सेवाओं के लिये एक मानक स्तर अधिसूचित किया जायेगा जिसे उन्हें अगले वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक प्राप्त करना होगा। यह नगरीय विकास मंत्रालय द्वारा इन चार सेवा क्षेत्र के लिये प्रकाशित संकेतकों के विरूद्व सेवाओं के न्यूनतम स्तर के विषय में की गई धोषणाओं के रूप में हो सकता है। राज्य के राजपत्र में प्रत्येक वर्ष 31 मार्च के पूर्व एक अधिसूचना प्रकाशित की जायेगी तथा प्रकाशन के तथ्य शर्तों के अनुपालन को प्रदर्शत करेंगें। नगरीय ठोस अपशिष्ट के संबंध में नगरीय विकास मंत्रालय द्वारा निम्न अनुसार सेवा प्रदाय हेतु बेचमार्क निर्धारित किये गये है विवरण तालिका 8 में दर्शाया गया हैः-

[36] इन्दौर (₹ 31.51 लाख) तथा शहडोल (₹ 1.78 लाख)

तालिकाः8 नगरीय स्थानीय निकायों हेतु सर्विस लेवल बेचमार्क का विवरण

स. क्र.	प्रस्तावित मानक	बेंचमार्क
1	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं का परिवार स्तर तक विस्तार	100%
2	नगरीय ठोस अपशिष्ट के एकत्रीकरण में दक्षता	100%
3	नगरीय ठोस अपशिष्ट के पृथक्कीकरण का विस्तार	100%
4	रिकवर किये गये ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का विस्तार	80%
5	नगरीय ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक रीति से निपटान का स्तर	100%
6	उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण का स्तर	80%
7	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं हेतु लागत की वसूली का विस्तार	100%
8	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रभार की वसूली में दक्षता	90%

33 नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेखों की नमूना जांच मे पाया गया कि 13 नगरीय स्थानीय निकायों[37] द्वारा सर्विस लेवल बेंचमार्किंग हेतु किसी प्रकार की योजना नहीं बनायी गयी और सर्विस लेबल बेंचमार्किंग के संबंध में आठ नगरीय स्थानीय निकायों[38] की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। यद्यपि 12 नगरीय स्थानीय निकायों[39] द्वारा सर्विस लेबल बेंचमार्किंग बनाये गये तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को प्रेषित किये गये। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सर्विस लेबल बेंचमार्किंग संबंधी अभिलेख की नमूना जांच मे पाया गया (अक्टूबर 2012) कि 360 नगरीय स्थानीय निकायों में से 113 नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा चाहे अनुसार वर्ष 2010-12 के लिये सर्विस लेबल बेंचमार्क तैयार किये गये तथा उन्हें राजपत्र मे प्रकाशित किया गया।

निर्गम सम्मेलन के दौरान (अप्रैल 2013), शासन ने उत्तर दिया कि नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा सर्विस लेवल बेचमार्क तैयार किये गये थे।

उत्तर लेखापरीक्षा आपत्ति के अनुरूप नहीं था।

2.1.15 अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु

2.1.15.1 सामग्री का अनियमित क्रय

नगर पालिका लेखा नियम 1961 के नियम 160 तथा 162 के अनुसार मुख्य नगरपालिका अधिकारी को सामग्री की आवश्यकता हेतु एक प्राक्कलन तैयार करना चाहिये तथा वित्तीय समिति से अनुमोदन कराया जाना चाहिये। मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा अनुमत्य सीमा तक सामग्री का क्रय किया जा सकता है।
नगर पालिका सिवनी-मालवा तथा शहडोल के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि सामग्री का क्रय वास्तविक आवश्यकता का आकलन किये बिना किया गया जिसका विवरण तालिका- 9 में दर्शाया गया है।

---

37 अलीराजपुर, व्यौहारी, बुढ़ार, चांदामेटा, चित्रकूट, इटारसी, खजुराहो, लौड़ी, नागौद, नसरूल्लागंज, नौरोजाबाद, राधोगढ़, सोहागपुर

38 बुधनी, छतरपुर, कोलार, मोहगांव, मक्सी, नेपानगर, परासिया तथा शुजालपुर

39 भिण्ड, भोपाल, छिन्दवाड़ा, ग्वालियर, इन्दौर, मंडीदीप, सतना, शहडोल, सीहोर, सिवनीमालवा, उमरिया तथा विदिशा

तालिकाः9 क्रय सामग्री का विवरण

(₹लाख में)

स. क.	नगरीय निकाय का नाम	सामग्री का नाम	इकाई दर	भुगतान राशि	उपयोग की मात्रा	अनुपयोगी मात्रा	राशि
1	नगर पालिका सिवनीमालवा	सीमेंट क्रांक्रीट पोल	400@165 प्रति पोल अक्टूबर 2008	0.66	35	365	0.60
2	नगर पालिका शहडोल	कटीले तार	2594 किलो ₹ 93.90 प्रति किलो +13% वेट, नवंबर 2011	2.75	निरंक	2594 किलो	2.75
						योग	3.35

स्त्रोत- नमूना जांच किये गये नगरीय स्थानीय निकाय

नगर पालिका सिवनी मालवा द्वारा अप्रैल 2008 तथा नगरपालिका शहडोल द्वारा नवंबर 2011 मे सामग्री क्रय हेतु वित्तीय अनुमोदन प्राप्त किया गया। उपरोक्त नगरीय निकायों के भंडार में राशि ₹ 3.35 लाख में क्रय की गयी सामग्री 10 से 48 माह तक अनुपयोगी रही।

इंगित किये जाने पर (सितम्बर व अक्टूबर 2012) मुख्य नगर पालिका अधिकारी सिवनी-मालवा द्वारा उत्तर दिया गया (सितम्बर व अक्टूबर 2012) कि आवश्यकता के अनुसार सामग्री क्रय की गयी थी किन्तु भूमि का आधिपत्य प्राप्त न होने के कारण सामग्री का उपयोग नहीं किया गया। मुख्य नगर पालिका अधिकारी शहडोल द्वारा उत्तर दिया गया कि भविष्य में सामग्री का उपयोग किया जायेगा।

निर्गम सम्मेलन के दौरान (अप्रैल 2013), शासन ने उत्तर दिया कि उक्त् सामग्री का उपयोग किये जाने हेतु निर्देश जारी किये जायेगे।

2.1.15.2 भूमिभरण स्थल पर गैस नियंत्रण इकाई तथा अग्नि शमन उपकरण स्थापित नहीं किया जाना।

नियमों की अनुसूची ।।। के पैरा 25-27 के प्रावधानों के अनुसार भूमिभरण स्थल पर गैस नियंत्रण प्रणाली सहित गैस संग्रहण प्रणाली की स्थापना की जायेगी जिससे दुर्गन्ध को न्यूनतम किया जा सके तथा गैसों के अपस्थलीय फैलने से रोका जा सके। भूमि भरण स्थलों से निकलने वाली मीथेन गैस का सान्द्रण न्यूनतम विस्फोटक सीमा 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। भूमिभरण स्थल पर गैस का उपयोग उपलब्धता के अनुसार या तो सीधा तापीय उपयोजना या विद्युत उत्पादन में किया जाएगा।

नगर पालिक निगम ग्वालियर के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि नगर पालिक निगम ग्वालियर द्वारा 25.477 हेक्टेयर भूमि मेसर्स ए.के.सी. डेवलेवमेंट ऑफ इंडिया को केदारपुर चंदोहखुर्द में प्रसंस्करण संयत्र स्थापित करने हेतु दी गई तथा 25 वर्ष के लिये (मार्च 2008) अनुबंध किया। यह देखा गया कि निगरानी समिति द्वारा समय-समय पर (अप्रैल 2011 तथा मई 2011) संयत्र की सुरक्षा हेतु अग्निशमन उपकरण स्थापित करने हेतु निर्देशित किया गया किन्तु कंपनी द्वारा निगरानी समिति के

निर्देशों का पालन नहीं किया गया। यह भी देखा गया कि संयत्र में मई 2010 में आग लग गई तथा संयंत्र को लगभग 60 से 80 प्रतिशत तक क्षति हुई।

नगर पालिक निगम इंदौर के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि गैस नियंत्रण प्रणाली स्थापित नहीं की गई थी।

यद्यपि नगर पालिक निगम ग्वालियर द्वारा तथ्य को स्वीकार किया गया (अक्टूबर 2012) तथा उत्तर दिया गया कि कंपनी को गैस नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने हेतु निर्देश जारी किये जायेगें। नगर पालिक निगम इन्दौर के विषय में आयुक्त् द्वारा उत्तर दिया गया कि गैस नियंत्रण प्रणाली की आवश्यकता नहीं है क्योकि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर वायु जांच किये गये थे।

नगर पालिक निगम इंदौर का उत्तर नियमो के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

निर्गम सम्मेलन के दौरान (अप्रैल 2013), शासन ने उत्तर दिया कि नगर पालिक निगम ग्वालियर को इस विषय में निर्देश जारी किये जायेगे।

2.1.16 **निष्कर्ष**

- राज्य शासन द्वारा राज्य में नियमों के क्रियान्वयन हेतु सम्यक योजना तैयार नहीं की जा सकी।

(पैरा 2.1.5)

- बैंकों में राशि अवरूद्ध रखी गयी।

(पैरा 2.1.6.4)

- बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त राशि को व्यपवर्तित किया गया।

(पैरा 2.1.6.5)

- कपटपूर्ण उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना।

(पैरा 2.1.6.6)

- जन जागरूकता अभियान संचालित नहीं किया जाना।

(पैरा 2.1.7.3)

- पृथक्कीकरण कार्य नहीं किया गया।

(पैरा 2.1.7.7)

- प्रसंस्करण सुविधाओ को विकसित नहीं किया गया।

(पैरा 2.1.8)

- नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु पृथक से अमले का नियोजन नहीं किया गया।

(पैरा 2.1.11)

- नियमों के क्रियान्वयन में निगरानी का अभाव था।

(पैरा 2.1.12.1)

2-2 'kgjh LFkkuh; fudk; [kMok] f'koiqjh ,oa Hkksiky }kjk fdz;kfUor lkoZtfud निजी Òkxhnkjh vk/kkfjr ifj;kstuk ij dF;kRed dfMdk A

सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी परियोजना को परिभाषित की गई है कि "सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा निजी क्षेत्र से अनुबन्ध करें, कि जो परियोजना को समय पर पूर्ण करने हेतु अपनी पूंजी एवं योग्यता प्रदान कर सके जिससे सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा लोगों को प्रदाय किये जाने वाले उत्तरदायित्वों का इस प्रकार उपलब्धता हो सकें जिससे कि उनका आर्थिक विकास तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके ।

खंडवा, शिवपुरी के जल आपूर्ति में वृद्वि के लिये परियोजना तथा भोपाल नगर निगम द्वारा बस स्टॉप/आधुनिक शौचालय जिनका निर्माण सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत किया गया, का चयन लेखा परीक्षा में विस्तृत अध्ययन के लिये किया गया। परियोजनाओं के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैः–

- भुगतान अनुसूची यू को अप्रासंगिक रूप से तैयार करने के परिणामस्वरूप ₹ 10.30 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया। नगर पालिक निगम खंडवा द्वारा त्रुटिपूर्ण अनूसूची तैयार की गई तथा ठेकेदार को अधिक भुगतान किया गया ।
(पैरा 2.2.6.1)
- कर्मचारी आवासों के निर्माण पर राशि ₹ 9.96 लाख का अनियमित व्यय किया गया । इस मद में किया गया भुगतान विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में स्वीकृत नहीं था।
(पैरा 2.2.6.2)
- विलंब शुल्क राशि ₹ 59 लाख का कटौत्रा नहीं किया जाना। परियोजना निर्धारित समयावधि में पूर्ण नही की गई तथा खंडवा नगर निगम द्वारा समयावधि में वृद्वि प्रदान नहीं की गयी परिणामस्वरूप परियोजना के अनुबंध पत्र की शर्त क्रमांक 13.4 के अनुसार देय लिक्विडेटेड डैमेज से कम कटौत्रा किया गया ।
(पैरा 2.2.6.3)
- निविदा सुरक्षा राशि ₹ 1.24 करोड़ (खंडवा 54 लाख तथा शिवपुरी 70 लाख) कम प्राप्त की गई ।
(पैरा 2.2.6.5)
- नगर निगम खंडवा द्वारा कार्य सुरक्षा की राशि ₹ 18 लाख कम प्राप्त किया जाकर ठेकेदार (रियायतकर्त्ता) को अनुचित वित्तीय लाभ प्रदान किया गया ।
(पैरा 2.2.6.6)
- 50 कियोस्क सिस्टम रहित बस अड्डे का निर्माण किये जाने से राशि ₹ 15 लाख की राजस्व हानि हुई । मेयर इन कांउसिल द्वारा बिना किसी तकनीकी आधार के विरोधात्मक निर्णय पारित करने के कारण राजस्व हानि हुई ।
(पैरा 2.2.7.1)
- आधुनिक शौचालयों के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध नहीं होने से राशि ₹ 7. 87 करोड की हानि हुई ।
(पैरा 2.2.7.2)

2-2-1 ifj;kstuk dk ifjp; rFkk laf{kIr tkudkjh

(I) [kaMok rFkk f'koiqjh ty iznk; ifj;kstuk

वर्तमान में खंडवा नगर के लिए जल प्रदाय सुक्ता तथा नागचून जल शुद्धिकरण संयत्र से किया जा रहा है । संयत्र की कुल क्षमता 15.7 मिलीयन लीटर प्रति दिन (एम.एल.डी) है। डीपीआर में जल की कुल आवश्यकता निर्धारित मानकों के अनुसार 215400 जनसंख्या के लिए 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से 29 एमएलडी आंकी गई थी। खंडवा नगर में वर्षाकाल एवं सर्दियों के मौसम में जल प्रदाय लगभग 68 लाख प्रति व्यक्ति प्रति दिन थी जो जल आपूर्ति की औसत आवश्यकता से काफी कम थी ।

शिवपुरी नगर के 1.80 लाख जनसंख्या को वर्ष 2010 में प्रतिदिन 24.30 एमएलडी जल आपूर्ति की आवश्यकता थी परंतु शीतकाल में एक दिन छोडकर केवल 30 मिनिट के लिए जल आपूर्ति करने हेतु 5 एमएलडी जल उपलब्ध था । गर्मियों में जल आपूर्ति 3–4 दिनों में एक बार की जाती थी ।

उक्त नगरों में अनिश्चित अपर्याप्त एवं जलआपूर्ति के संबंध में विचार करते हुए राज्य स्तरीय स्वीकृतकर्ता समिति द्वारा (सितम्बर 2007) संबंधित नगरीय निकायों द्वारा प्रस्तुत विस्तृत कार्ययोजना के आधार पर लघु एवं मध्यम शहरों के लिए शहरी अधोसंरचना विकास योजना के अंतर्गत ₹ 106.72 करोड़ एवं राशि ₹ 59.65 करोड़ की परियोजना स्वीकृत किए गये थे। लघु एवं मध्यम शहरों के लिए शहरी अधोसंरचना विकास योजना के अंतर्गत निधियों की व्यवस्था केन्द्र, राज्य एवं नगरीय निकायों के द्वारा क्रमशः 80:10:10 के अनुपात में की जानी थी।

नगरीय स्थानीय निकायों के खराब वित्तीय स्थिति के कारण तथा परियोजना की लागत का 10 प्रतिशत अंशदान देने में असमर्थता के कारण संबंधित नगरीय निकायों के सामान्य सभा की बैठक में उक्त परियोजना को सार्वजिनक निजी भागीदारी के आधार पर क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया।

निर्माण कार्य के साथ–साथ संबंधित फर्म परियोजना के संचालन एवं संधारण के लिए भी उत्तरदायी थी तथा जल कर की वसूली का अधिकार 25 वर्ष की रियायती अवधि के लिए उनको दिया गया था।

(II) Hkksiky esa vk/kqfud 'kkSpky; ,oa cl LVkWi dk fuekZ.k

भोपाल नगर निगम द्वारा भोपाल में लोक सुविधा के लिए सार्वजिनक निजी भागीदारी के आधार पर 100 बस अड्डे (अप्रैल 2006) तथा 36 आधुनिक शौचालयों (दिसंबर 2007) के निर्माण का निर्णय लिया था। तदनुसार निविदाएं आमंत्रित की गई एवं निविदाकर्ता को कार्यादेश जारी किए गए । इस प्रतिरूपक के अनुसार निजी संस्था द्वारा संपूर्ण लागत वहन की जानी थी। संस्था द्वारा किये जाने वाले व्यय के एवज में संस्था को बस अड्डा हेतु 5 वर्ष के लिए एवं 50 वर्ष आधुनिक शौचालय हेतु विज्ञापन अधिकार दिए गए थे। संस्था राशि ₹ 90 लाख बस स्टॉप के लिए तथा ₹ 7.87 करोड़ आधुनिक शौचालयों के लिए नगरीय निकाय को क्रमशः चार तथा 14 किश्तों में प्रीमियम के रूप में प्रदान करने हेतु भी सहमत थी ।

2-2-2 ys[kk ijh{kk mís';

लेखा परीक्षा यह पता लगाने के लिये किया गया कि क्याः–

- परियोजना प्रबंधन प्रभावपूर्ण एवं उत्तरदायी था जिससे परियोजना के वांछित लाभ प्राप्त किए जा सके।
- निजी संस्था द्वारा लोक निधि का उपयोग मितव्ययता, प्रभावकारिता, दक्षतापूर्वक किया गया है ।
- परियोजना के निविदा कार्य, परियोजना क्रियान्वयन एवं उपयोग हेतु सही प्रक्रिया का पालन किया गया है ।

2-2-3 y[kk ijh{kk ekunM

लेखा परीक्षा मानदंड का आधार निम्नानुसार है–

- मध्य प्रदेश में सार्वजिनक निजी भागीदारी परियोजना के दिशा निर्देश।
- नगरीय निकाय एवं निजी संस्था के मध्य संपादित अनुबंध पत्र।
- राज्य शासन द्वारा स्वीकृत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन एवं निविदा प्रपत्र।
- चल देयक एवं परियोजना से संबंधित अन्य अभिलेख।

2-2-4 y[kk ijh{kk dk;{k= ,o dk;I i.kkyh

- अनुबंध स्थिति से व्यवस्थापन स्थिति एवं अनुमोदन स्तर तक परियोजना अभिलेखों की जांच ।
- विभिन्न अनुबंधों के विधिक एवं दायित्वों जो निजी संस्थाओं एवं निविदकारों के मध्य किए गये से संबंधित प्रपत्रों का सत्यापन ।
- छूट प्रदान करने के लिए वित्तीय आधारों की व्यवहारिकता एवं रियायत प्रदान करने के औचित्य की समीक्षा तथा परिमाणात्मक तकनीक प्रयोग करते हुए राजस्व उगाही के परीक्षणों की समीक्षा ।
- निविदा प्रक्रिया की पूर्णता एवं पारदर्शिता का आंकलन ।
- निर्माण कार्यो एवं अभियांत्रिकीय की गुणवत्ता, नवीनता, मितव्ययता तथा दक्षता के सत्यापन के लिए सीमित लेखा परीक्षा ।
- मानकों के अनुसार विनिर्दिष्टता एवं अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जहां आवश्यक हो गुणवत्ता जांच करना ।
- गुणवत्ता के परीक्षण हेतु यदि आवश्यक हो तो विशेषज्ञ नियुक्त करना ।
- लोक धन की सुरक्षा एवं उपयोग तथा वास्तविक राजस्व उगाही की जांच

2-2-5 vk;kstuk

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार खंडवा नगर की जनसंख्या वर्ष 2040 में 3.47 लाख हो जायेगी जिसके लिए जल की मांग 56 एमएलडी प्रतिदिन आंकी गई थी जबकि शिवपुरी नगर की जनसंख्या वर्ष 2040 में 3.60 लाख होने के आधार पर जल की मांग 61 एमएलडी प्रतिदिन आंकी गई थी । वर्ष 2009 में दोनों परियोजनाओं के लिए कार्यादेश जारी किए गए तथा कार्यपूर्णता की अवधि 24 माह दी गई थी । इंटेक वेल तथा ओव्हर हेड टेंकों का निर्माण, निर्वाद जल आपूर्ति डिस्ट्रीब्यूसन जाल माध्यम से किया जाना था। मुख्य शहर से होते हुए मिसरोद से बैरागढ़ के लिए बस रूट निर्धारित किया गया।

भारत सरकार के आदेश के अनुपालन में आईडीएसएमटी, एयूएसयूपी तथा लघु एवं मध्यम शहरो के लिए शहरी अधोसंरचना विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा जनवरी 2006 में " मध्य प्रदेश विकास प्राधिकरण संघ " को राज्य स्तरीय

नोडल एजेन्सी के रूप में नियुक्त किया गया था। जनवरी 2010 में संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास को नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया ।

2-2-6 ifj;kstukvksa dh foRrh; fLFkfr

खंडवा एवं शिवपुरी की जल आपूर्ति परियोजना केन्द्र द्वारा वित्त पोषित लघु एवं मध्यम शहरों के लिए शहरी अधोसंरचना विकास के अंतर्गत वित्त पोषित थी, जबकि बस स्टाप तथा आधुनिक शौचालय के निधियों की व्यवस्था विज्ञापन अधिकार के आधार पर निजी संस्था द्वारा की जानी थी । संबंधित निजी संस्था से अनुबंध के अनुसार परियोजना की कुल लागत को पूरा करने के लिए एक इस्क्रो खाता संधारित किया जायेगा। उक्त परियोजनाओं की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार थीः—

(I) ty çnk; ifj;¨tuk] [kaMok

(₹ करोड़ में)

uxjh; fudk; dk uke	ifj;kstuk dk uke	va'k	fu/kkZfjr va'k	izkIr fuf/k;k¡ (30-6-12)	mi;¨x fd;s x;s fuf/k (30-6-12)
खंडवा	जलआपूर्ति परियोजना	केन्द्र सरकार	85.38	42.69	41.45
		म0प्र0 शासन	10.67	10.67	10.45
		पी.पी.पी.अंश	10.67	6.64	6.57
		अन्य (ब्याज)	निरंक	2.26	2.26
		;¨x	106-72	62-26	60-73

उपरोक्त् तालिका से स्पष्ट है कि केन्द्र सरकार द्वारा उनके निर्धारित अंश ₹ 85.38 करोड़ में से जून 2012 तक केवल ₹ 42.69 करोड़ (50 प्रतिशत) राशि जारी की गई जिसके कारण परियोजना क्रियान्वयन की प्रगति धीमी रही।

(II) ty iznk; ifj;kstuk f'koiqjh

(₹ करोड़ में)

uxjh; fudk; dk uke	ifj;kstuk dk uke	va'k	fu/kkZfjr va'k	izkIr fuf/k;k¡ (30-6-12)	izkIr fuf/k;ksa dh mi;ksfxrk (30-6-12)
शिवपुरी	जलप्रदाय योजना	केन्द्र सरकार	47.72	42.91	35.62
		म0प्र0 शासन	5.96		
		पीपीपी अंश	5.97	1.01	
		अन्य (ब्याज)	निरंक	1.37	
		;¨x	59-65	45-29	35-62

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि केन्द्र सरकार तथा मध्य प्रदेश शासन द्वारा उनके निर्धारित अंश राशि ₹ 53.68 करोड़ में से ₹ 42.91 करोड़ (80 प्रतिशत) ही जारी किए गये और रियायतकर्त्ता द्वारा कुल उपलब्ध राशि का 79 प्रतिशत उपयोग किया गया ।

(III) uxj ikfyd fuxe Hkksiky dh ifj;¨tuk;s

(₹ करोड़ में)

uxjh; fudk; dk	ifj;kstuk dk uke	futh QeZ dh ifj;kstuk	vuqca/k ds vuqlkj uxjh; fudk; dks	dqy izkIr çhfe;e	izkfIr gsrq 'ks"k

uke		ykxr	diuh }kjk n; çhfe;e		çhfe;e
नगर पालिक निगम भोपाल	100 बस स्टॉप का निर्माण	अनुपलब्ध	0.90	0.68	0.21
	36 आधुनिक शौचालयों का निर्माण	अनुपलब्ध	7.87	निरंक	7.87

उपरोक्त् तालिका के अनुसार हमने देखा कि 36 आधुनिक शौचालयों के निर्माण के लिए नगरीय निकाय को प्रीमियम शुल्क अप्राप्त रहा ।

y[kk ijh{kk ifj.kke

2-2-6 ty ink; ifj;kstuk [kMok@f'koiqjh

2-2-6-1 nk"kiw.kZ Hkqxrku अनुसूची ;s d s dkj.k vf/kd 0;; jkf'k ₹ 10-30 djksM+

खंडवा जल प्रदाय परियोजना सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर क्रियान्वित की गई थी तथा निविदा एकमुश्त अनुबंध के अंतर्गत आमंत्रित की गई थी । परियोजना की कुल लागत ₹103.61 करोड़ थी। इस लागत में से राशि ₹ 93.25 करोड़ केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई थी तथा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत ₹ 10.36 करोड़ रियायतकर्त्ता द्वारा वहन की जानी थी ।

मै0 विश्वा इन्फ्रास्ट्रकचर प्रायवेट लिमिटेड हैदराबाद द्वारा प्रपत्र 15–बी में परियोजना के विभिन्न मदों के लिए एकमुश्त दरें प्रस्तुत की गई। प्रपत्र 15–बी में इंटेकवैल के निर्माण हेतु ₹ दो करोड़ अंकित था तथा क्लीयर वाटर ट्रांसमीशन मेन के निर्माण हेतु ₹ 50.44 करोड़ की दर अंकित की गई थी। भुगतान की अनुसूची नगरीय निकाय द्वारा, निविदाकर्ता के मद वार अंकित की गई लागत दरों के आधार पर तैयार की जानी थी । विवरण निम्नानुसार हैः–

(₹ करोड़ में)

en	i=i= 15ch ds vuqlkj Lohd`r ykxr	Hkqxrku vuqlph ;s e nf'kZr ykxr	py n;d e nf'kZr ykxr	dk;l dh fLFkfr (लागत)	dk;l dh fLFkfr ds vuqlkj n; jkf'k	Qel dk dqy Hkqxrku dh xbl jkf'k	i=i= 15 ch ds vuqlkj Qel dk vf/kd Hkqxrku	dk;l fLFkfr ds vuqlkj Qel dk vf/kd Hkqxrku
1	2	3	4	5	6(2*5)	7	8(7-2)	9 (7-6)
इंटेक वेल	2.00	2.53	2.81	80	1.60	2.25	0.25	0.65
क्लीयर वाटर राईजिंग मेन	50.44	56.25	62.50	80	40.35	50.00	–	9.65
;kx							0-25	10-30

अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि इंटेक वेल निर्माण कार्य के मूल्यांकन के उपरांत फर्म को ₹ 2.25 करोड़ का भुगतान फर्म द्वारा अंकित दर दो करोड़ के स्थान पर किया गया। इस प्रकार प्रपत्र 15– बी में देय राशि से ₹ 25 लाख का अधिक भुगतान किया गया । कार्य की वास्तविक स्थिति के अनुसार इंटेक वेल का निर्माण कार्य 80 प्रतिशत ही पूर्ण था जिसके लिए केवल ₹1.60 करोड़ ही भुगतान किया जाना चाहिये था, परंतु ₹ 2.25 करोड़ का भुगतान किया गया जो स्वीकृत लागत की तुलना

में ₹ 65 लाख अधिक था। क्लीयर वाटर ट्रांसमीशन मेन मद के अंतर्गत स्वीकृत लागत ₹ 50.44 करोड़ थी, अनुसूची यू के अंतर्गत यह लागत ₹ 56.25 करोड़ तथा चल देयक में लागत ₹ 62.50 करोड़ दर्शायी गई थी जो आपस में विरोधाभास दर्शाती थी । कार्य की वास्तविक स्थिति के अनुसार केवल 80 प्रतिशत पूर्ण कार्य हेतु फर्म को 99 प्रतिशत भुगतान किया गया था परिणामस्वरूप फर्म को ₹10.30 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया ।

सितंबर 2012 में यह इंगित किए जाने पर आयुक्त नगर पालिक निगम खंडवा ने उत्तर दिया कि भुगतान अनुबंध के प्रपत्र 15 बी के अनुसार किया गये थे।

उत्तर स्वीकार्य योग्य नही है क्योंकि भुगतान प्रपत्र 15 बी में अंकित दर से अधिक भुगतान किया गया था ।

2-2-6-2 f'koiqjh ty ink; ifj;¨tuk d s vuqefr deZpkjh vkokl fuekZ.k ij vfu;fer O;; jkf'k ₹ 9-96 yk[k

शिवपुरी जल प्रदाय परियोजना के लिए स्वीकृत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के मूल्यांकन प्रतिवेदन में कर्मचारी आवास मद अनुमत्य नहीं थी ।

नगर पालिका परिषद शिवपुरी में परियोजना से संबंधित अभिलेखों की समीक्षा में देखा गया कि ₹ 9.96 लाख (₹ 6.72 लाख एच टाईप आवास मे स्लेब स्तर निर्माण के लिए ₹3.24 लाख आई टाईप आवासों के निमार्ण हेतु) कर्मचारी आवासों के निर्माण हेतु फर्म को भुगतान किया गया ।

इस संबंध में इंगित किए जाने पर (अक्टूबर 2012) , मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने उत्तर में बताया कि इंटेक वेल तथा जल शोधन संयंत्र शहर से दूर जंगल में स्थित है। उक्त मशीनों के संचालन एवं संधारण के लिए 24 घंटे नियुक्त कर्मचारी को निवास की सुविधा की दृष्टि से आवासों का निर्माण आवश्यक था। इस पर किया गया व्यय सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत फर्म के अंश में से किया जायेगा ।

उत्तर अनुमोदित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार नहीं था नगर पालिका शिवपुरी द्वारा भुगतान पूर्व में ही परियोजना निधि से किया जा चुका था।

2-2-6-3 [kMok ty ink; ;kstuk d s vuqcU/k foyac 'kqYd dh jkf'k ₹ 59 yk[k de dVkSrh dh tkuk

अनुबंध (सितंबर 2009) के पैरा 13.4 के अनुसार फर्म से विलंब शुल्क के लिए ₹ 50 लाख प्रति सप्ताह अथवा अधिकतम परियोजना लागत ₹ 103.61 करोड़ का एक प्रतिशत काटा जाना था। तदनुसार (सितंबर 2009) में मै0विश्वा इन्फास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड हैदराबाद को जल प्रदाय परियोजना खण्डवा को चालू करने हेतु कार्यादेश दिया गया तथा जिसमें परियोजना को 24 माह के भीतर सितंबर 2011 तक पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभिलेखों की समीक्षा में देखा गया कि परियोजना निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं की गई। फर्म ने अप्रैल 2012 में समयावृद्धि के लिए आवेदन किया तथा नगर पालिक निगम खंडवा द्वारा (मई 2012) अगस्त 2012 तक की समयावृद्धि के लिए आवेदन अग्रेषित किया गया। परियोजना की कोई भी मद (सितंबर 2012) पूर्ण नहीं किया गया था । नगर पालिक निगम खंडवा द्वारा इसके लिए चल देयक क्रमांक 14 (अवधि दिनांक 1.4.

11 से 24.6.11) से विलंब शुल्क के ₹1.04 करोड़ (₹ 103.61 करोड़ का एक प्रतिशत की दर) से के स्थान पर केवल ₹ 45 लाख की कटौती की गई ।
इस प्रकार विलम्ब शुल्क के रूप में राशि ₹ 59 लाख कम कटौती कर फर्म को अदेय वित्तीय लाभ दिया गया ।

इंगित किए जाने पर (सितंबर 2012) आयुक्त नगर पालिक निगम खंडवा ने उत्तर में दिया कि विलंब शुल्क की शेष राशि आगामी चलदेयक से कटौती की जायेगी।

2-2-6-4 f'koiqjh ty iznk; ifj;kstuk ds vuqca/k esa ik;h xbZ vfu;ferrk,a

यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत शिवपुरी जल प्रदाय परियोजना के अनुबंध की समीक्षा में निम्नलिखित अनियमितताएं पायी गई –

- रियायत अनुबंध के खंड II के पैरा 18A में निहित प्रावधानानुसार फर्म के लेखों की लेखा परीक्षा हेतु एक स्वतंत्र लेखा परीक्षक नियुक्त करने के लिये मुख्य नगर पालिका अधिकारी उत्तरदायी होगा

अभिलेखों की समीक्षा में देखा गया कि स्वतंत्र लेखा परीक्षक नियुक्त नहीं किया गया तथा लेखा परीक्षक के नियुक्त् न किये जाने से परियोजना की वित्तीय निष्पादन की विश्वसनीयता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2012) कि निहित प्रावधानानुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षक की नियुक्ति निविदा आमंत्रित कर किया गया था । परंतु कुछ विवाद के कारणों से लेखा परीक्षक द्वारा कार्य नही किया गया। इस शीर्ष में कोई भुगतान नही किया गया तथा निविदा निरस्त कर दी गई ।

- अनुबंध के खंड II के पैरा 18.1 के अनुसार परियोजना के पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण के लिए एक स्वतंत्र इंजीनियर नियुक्त किए जाने की आवश्यकता थी।

अभिलेखों की समीक्षा में देखा गया कि नगर पालिका में इंजीनियर के पर्यवेक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित कोई प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं पाया गया जो यह प्रमाणित करता है कि कोई इंजीनियर नियुक्त नहीं किया गया था।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने उत्तर दिया कि (अक्टूबर 2012) नगर पालिका के सहायक यंत्री को ही परियोजना इंजीनियर के रूप में कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया था। उत्तर के समर्थन मे पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।

- वसूली किए जाने वाले राजस्व में नगर पालिका अंश के संबंध में कोई प्रावधान अनुबंध में नही किया गया जबकि परियोजना लागत का 90 प्रतिशत अंश सरकार द्वारा दिया गया था ।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2012) कि परियोजना के संचालन एवं संधारण पर व्यय फर्म द्वारा वसूली किए गए राजस्व में से किया जायेगा । संचालक एवं संधारण के लिए नगर पालिका निधि का उपयोग नही किया जायेगा अतः अनुबंध में नगरीय निकाय के अंश के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया।

उत्तर संतोषजनक नही था क्योंकि परियोजना लागत का 90 प्रतिशत अंश नगरीय निकाय की ओर से शासन द्वारा वहन किया गया परंतु राजस्व वसूली की राशि में से नगरीय निकाय के अंश का कोई प्रावधान अनुबंध में नहीं किया गया था।

- परियोजना की रियायत अवधि 25 वर्ष किस आधार पर निर्धारित की गई थी इसका अनुबंध में उल्लेख नही किया गया था।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2012) कि 25 वर्ष की रियायत अवधि का निर्धारण निविदा की पूर्व शर्तो के अनुसार किया गया था। यह पॉलिसी निर्णय परिषद का था।

उत्तर संतोष जनक नहीं था क्योंकि 25 वर्षों की रियासत अवधि की न्यायसंगतता अभिलेखों मे नहीं थी।

- अनुबंध के प्रपत्र 22 में परियोजना की कुल लागत ₹ 80.71 करोड़ थी जिसमें ₹ 3.34 करोड़ अन्य व्यय शीर्ष के अंतर्गत दर्शाये गये थे। विस्तृत शीर्ष वार विवरण के अभाव में स्पष्ट नहीं था कि उक्त राशि का व्यय किन उद्देश्यों पर की जायेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा उत्तर में बताया गया (अक्टूबर 2012) कि प्रपत्र 22 में अन्य शीर्षो का विवरण उपलब्ध नहीं था जो फर्म से प्राप्त किया जायेगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अन्य व्यय शीर्ष के विवरण के अभाव में फर्म को अनुचित लाभ दिए जाने से इंकार नहीं किया जा सकता ।

- अनुबंध के खंड II के पैरा 22.1 के प्रावधानानुसार फर्म द्वारा परियोजना को बीमित किया जाना था तथा बीमा की पॉलिसी नगर पालिका को उपलब्ध कराई जानी थी । लेखा परीक्षा को बीमा पॉलिसी से संबंधित कोई अभिलेख नगर पालिका शिवपुरी में उपलब्ध नहीं पाया गया जिससे यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि परियोजना बीमित थी या नहीं।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2012) कि बीमा पॉलिसी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है इसे फर्म से प्राप्त की जायेगी।

बीमा पालिसी नगर पालिका शिवपुरी से मांगी गई (मई 2012) उत्तर प्रतीक्षित है ।

अनुमानित राजस्व से कम या अधिक प्राप्तियों की स्थिति में रियायत अवधि की पुर्नसमीक्षा के संबंध में अनुबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा उत्तर दिया गया कि राज्य स्तरीय प्राधिकार समिति ने रियायत अवधि के बढाये या घटाये जाने के संबंध में निर्णय लिया है।

उत्तर सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोंजना के प्रावधानों के अनुसार नहीं था।

2-2-6-5 fufonk lqj{kk dh de ikfIr jkf'k ₹ 1-24 djksM

मध्य प्रदेश शासन के सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना के दिशा निर्देशों के पैरा 14 के अनुसार परियोजना के लिए प्रस्तुत निविदा के साथ निविदा सुरक्षा निधी निविदा

अभिलेखों में दिये गये बैंक गारंटी के अनुसार होना चाहिये। निविदा सुरक्षा की राशि ₹ 50 करोड़ से अधिक की लागत की परियोजना, में एक प्रतिशत (न्यूनतम एक करोड़) होगी।

जल प्रदाय योजना खंडवा एवं शिवपुरी की निविदा सुरक्षा संबंधी अभिलेखों की समीक्षा में देखा गया कि फर्मो से राशि ₹1.24 करोड़ की कम निविदा सुरक्षा राशि प्राप्त की गई थी । विवरण निम्नानुसार है –

(₹ करोड़ में)

uxjh; fudk; dk uke	ifj;kstuk dk uke	vuekfur ifj;kstuk ykxr	fn'kkfun'kk ds vuqlkj tks fufonk lqj{kk jkf'k tek djuk Fkh	uxjh; fudk; }kjk okLrfod :Ik ls izkIr jkf'k	fufonk lqj{kk dh de izkfIr
नगर पालिक निगम खंडवा	जल प्रदाय परियोजना	106.72 (103.71+3.32 वर्कचार्ज)	1.04	0.50	0.54
नगर पालिका शिवपुरी	जल प्रदाय परियोजना	59.65 (57.91+1.74 वर्कचार्ज)	1.00	0.30	0.70
योग		166.37	2.04	0.80	1.24

नगर पालिक निगम खंडवा तथा नगर पालिका शिवपुरी द्वारा क्रमशः ₹ 54.00 लाख तथा ₹ 70.00 लाख निविदा सुरक्षा की कम राशि प्राप्त की गई । इस प्रकार फर्म को अनुचित लाभ दिया गया ।

इंगित किये जाने पर आयुक्त् नगर पालिक निगम खंडवा ने उत्तर में बताया कि निविदा सुरक्षा राशि निविदा अभिलेख के पैरा 15 के अनुरूप प्राप्त की गई। मुख्य नगर पालिका अधिकारी शिवपुरी ने उत्तर में बताया कि लोक निर्माण विभाग की नियमावली के अनुसार फर्म से परियोजना लागत की 5 प्रतिशत निविदा सुरक्षा राशि प्राप्त की गई थी।

उत्तर मध्य प्रदेश सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना के दिशा निर्देशों के पैरा 14 के अनुसार नहीं था।

2-2-6-6 QeZ dks jkf'k ₹ 18 yk[k dk vufpr foRrh; ykHk

मध्य प्रदेश सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना के दिशा निर्देशों के पैरा 15 के अनुसार फर्म द्वारा अनुमानित परियोजना लागत के 5 प्रतिशत के बराबर बैंक गारंटी के रूप में एक निष्पादन सुरक्षा प्रस्तुत करना थी। जबकि अनुबंध के पैरा 4.1 में निहित प्रावधानों के अनुसार भी मै0 विश्वा इन्फ्रास्ट्रकचर प्रा0 लिमिटेड द्वारा नगर पालिक निगम खंडवा को ₹ पॉच करोड़ के बराबर निष्पादन सुरक्षा प्रदान करनी थी ।

अनुबंध के अनुसार मै0 विश्वा इन्फ्रास्ट्रकचर प्रा0 लिमिटेड ने खंडवा जल प्रदाय परियोजना के लिए राशि ₹ 5 करोड़ की निष्पादन सुरक्षा जमा कराई थी। दिशा निर्देशों के पैरा 15 के अनुसार मै0 विश्वा इन्फ्रास्ट्रकचर प्रा0 लिमिटेड से ₹ 5.18 करोड (कुल परियोजना लागत ₹ 103.61 करोड़ का 5 प्रतिशत) प्राप्त होने थे ।

इस प्रकार त्रुटिपूर्ण अनुबंध के कारण फर्म से ₹ 18 लाख कम प्राप्त किए गये तथा फर्म को अनुचित वित्तीय लाभ दिया गया ।

इंगित किये जाने पर (सितम्बर 2012), आयुक्त नगर पालिक निगम खंडवा ने (सितम्बर 2012) उत्तर दिया कि जमा करायी गयी राशि नियमानुसार है तथा फर्म को किसी प्रकार का वित्तीय लाभ नहीं दिया गया।

उत्तर सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं था।

2-2-7 Hkkiky e: cl LVki ,o vk/kfud 'kkpky;k dk fuek.k

2.2.7.1 fd;kLd flLVe jfgr 50 clLVki dk fuek.k djk;s tkus ls jktLo dh gkfu jkf'k ₹ 15 yk[k

नगर पालिक निगम भोपाल द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी आधार पर विज्ञापन अधिकार के अंतर्गत 100 नगरीय बस स्टॉप का निर्माण कराने हेतु 23 सितंबर 2006 में खुली निविदा आमंत्रित की गयी। मेयर–इन–कॉउंसिल ने यह निर्णय लिया कि 50 बसस्टॉप कियोस्क सिस्टम सहित होंगे एवं 50 कियोस्क सिस्टम रहित होंगे। चार विज्ञापन फर्मो द्वारा निविदाऐं प्रस्तुत की गई। निविदा समिति द्वारा राष्ट्रीय एडवरटाइजिंग एजेन्सी नई दिल्ली की दरें अनुमोदित की गई । एजेन्सी की दरें निम्नानुसार थी –

50 बस स्टॉप कियोस्क सिस्टम रहित		₹ 45 लाख, 5 वर्षो में (₹11.25 लाख) चार बराबर किश्तों में
50 बस स्टॉप कियोस्क सिस्टम सहित		₹ 60 लाख, 5 वर्षो में (₹15 लाख) चार बराबर किश्तों में ।
कुल प्राप्तियों योग्य राजस्व	=	₹ 105 लाख

उपरोक्त् दरें एमआईसी संकल्प कमांक 19 दिनांक 18.12.2006 द्वारा अनुमोदित की गई थी।

अभिलेखों की समीक्षा मे पाया गया कि संभागीय परिवहन समिति की बैठक (अप्रैल 2006) आयोजित की गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि 100 बस स्टॉप कियोस्क सिस्टम रहित बनाये जाय यद्यपि, बैठक के मिनिट्स उपलब्ध नहीं कराये गये । आगे 50 बस स्टॉप कियोस्क सिस्टम रहित तथा 50 बस स्टॉप कियोस्क सिस्टम सहित बनाये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की गई तथा एम आई सी द्वारा भी (अप्रैल 2007) संभागीय परिवहन समिति के निर्णय का अनुमोदन किया, जो उनके पूर्व में लिए निर्णय का विरोधाभासी था। इस प्रकार संभागीय परिवहन समिति की अनुशंसा पर 100 बस स्टॉप कियोस्क सिस्टम रहित बनाये जाने से ₹ 15 लाख राजस्व की हानि हुई।

लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर (अगस्त 2012) आयुक्त नगर पालिक निगम भोपाल ने उत्तर में (अगस्त 2012) बताया कि कियोस्क सिस्टम रहित बसस्टॉपों के निर्माण का निर्णय उसके अप्राधिकृत उपयोग तथा सुरक्षा की दृष्टि से किया गया था।

दिये गये उत्तर प्रासंगिक नहीं है क्योंकि संभागीय परिवहन समिति ने कियोस्क सिस्टम सहित बस अड्डा बनाने हेतु नहीं लिखा था।

2-2-7-2 vk/kfud 'kkpky;k ds fy, ,tUlh dk Hkfe dk vkcVu u gkus ls uxj ikfyd fuxe Hkkiky dk ₹ 7-87 yk[k jktLo dh gkfu A

नगर पालिक निगम भोपाल के मेयर इन काउंसिल ने (दिसंबर 2007) यह निर्णय लिया कि भोपाल में विभिन्न स्थानों पर विज्ञापन पर आधारित सार्वजनिक निजी भागीदारी पर

आधुनिक शौचालयों का निर्माण कराया जाये। 36 आधुनिक शौचालयों के निर्माण के लिए (फरवरी 2008) दो समूहों (प्रत्येक के लिये 18) में निविदाऐं आमंत्रित की गई थी।

समूह ए के लिए मै0 इमेज एडवरटाईजिंग, नई दिल्ली तथा समूह बी के लिए मै0 लक्ष्य आउटडोर नई दिल्ली की दरें राशि ₹3.36 करोड़ तथा ₹ 4.51 करोड़ के प्रीमियम[42] के साथ स्वीकार की गई। तदनुसार, 15 वर्षो की रियायती अवधि के लिए तथा प्रीमियम राशि 14 बराबर किश्तों में जमा कराने के साथ चार माह की कार्यपूर्णता अवधि के अनुबंध किये गये।

अनुबंध के पैरा 7.8.7 में यह प्रावधान किया गया था कि प्रस्तावित परियोजना के लिए भूमि विभाग द्वारा अधिग्रहित की जायेगी तथा संबंधित फर्म को केवल निर्माण कार्य के लिए हस्तांतरित की जायेगी। उक्त भूमि विवादों से मुक्त होगी तथा सामने एवं बाजू से खुली होगी। ए एवं बी समूह प्रत्येक को 10 आधुनिक शौचालयों के निर्माण हेतु कार्यादेश (सितंबर 2008) जारी किया गया था।

अभिलेखों की समीक्षा में देखा गया कि नगरीय निकाय द्वारा एजेन्सी (समूह ए) को जुलाई 2012 तक केवल दो स्थल उपलब्ध कराये गये थे। तदनुसार एजेन्सी द्वारा केवल दो आधुनिक शौचालयों का निर्माण किया गया जिसे अभी तक उपयोग में नहीं लिया गया।

नगर पालिक निगम भोपाल संबंधित एजेन्सी को भूमि उपलब्ध कराने में असफल रही जिसके कारण से प्राप्ति योग्य प्रीमियम राशि ₹ 7.87 करोड़ की हानि हुई तथा स्वच्छता सेवायें भी बाधित हुई।

लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर (अगस्त 2012) आयुक्त ने उत्तर (अगस्त 2012) में बताया कि जिला कलेक्टर को भूमि अधिग्रहण हेतु पत्र लिखा गया है। भूमि आवंटन के उपरांत कार्यवाही की जायेगी।

अद्यतन जानकारी मांगी गई (मई 2013) उत्तर प्रतीक्षित है।

2-2-8 fu"d"k

- परियोजना लागत के मात्र 10 प्रतिशत अंशदान पर फर्म को 25 वर्षो का मालिकाना हक प्रदान करना तथा अनुबंध में नगरीय निकाय के लिए परियोजना के संचालन एवं संधारण के दौरान राजस्व प्राप्ति का कोई प्रावधान न होना नगरीय निकाय के हित में नहीं था ।

(पैरा 2.2.6.4)

- 25 वर्षो के लिए परियोजना के संचालन एवं संधारण के निर्णय लिए जाने का कोई स्पष्ट आधार नही था ।

(पैरा 2.2.6.4)

- आधुनिक शौचालयों के निर्माण में आयोजना का अभाव था क्योंकि बिना भूमि की उपलब्धता के निविदा आमंत्रित एवं अनुमोदित की गई थी।

(पैरा 2.2.7.2)

2-2-9 vuq'kalk,¡

[42] प्रीमियम से आशय उद्यमी द्वारा दिये गये प्रस्ताव के अनुसार नगरीय निकाय को भुगतान की जाने वाली कुल राशि से है।

- प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिये की निविदा सुरक्षा एवं निष्पादन सुरक्षा दिशा निर्देशों के अनुरूप हो।

(पैरा 2.2.6.5 तथा 2.2.6.6)

- प्राधिकारी को अनुबंध की शर्त के अनुसार परियोजना का बीमा सुनिश्चित करना चाहिये तथा एक स्वतंत्र लेखा परीक्षक की नियुक्ति की जानी चाहिये।

(पैरा 2.2.6.4)

- प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिये की परियोजना के संचालन एवं संधारण की अवधि वसूल किये गये राजस्व में हिस्सेदारी होनी चाहिये।

(पैरा 2.2.6.4)

अध्याय तृतीय

Ykunuk dh ys[kk ijh{kk dfMdk,a
(नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग)

3-1 rsjgoa foRr vk;ksx }kjk uxjh; LFkkuh; fudk;ksa dks tkjh rFkk mi;ksx fd, x;s vuqnku ij ys[kk ijh{kk fu"d"kZ

राज्यों की संचित निधि आवर्धन हेतु आवश्यक उपायों के लिए नगर पालिकाओं को संसाधनों की पूर्ति हेतु तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसाये की गई । इस संबंध में तेरहवें वित्त आयोग ने शहरी स्थानीय निकायों को सामान्य क्षेत्र एवं विशेष क्षेत्र हेतु वर्ष 2010–15 की अवधि के लिए अनुदानों की अनुशंसा की है । इन अनुदानों के अतिरिक्त वर्ष 2011–12 से उन राज्यों के लिए जो इसकी जारी करने की शर्तो को पूरा करते है उनके लिए निष्पादन अनुदान उपलब्ध होगा । अनुदान के चार उप संवर्ग है–

(i) सामान्य मूल अनुदान
(ii) सामान्य निष्पादन अनुदान
(iii) विशेष क्षेत्र मूल अनुदान
(iv) विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान

केन्द्र सरकार से मध्य प्रदेश सरकार को तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर वर्ष 2011–12 में प्राप्त अनुदान का विवरण ifjf'k"V 3-1 में दिया गया है।

इस संबंध में तेरहवें वित्त आयोग के वर्ष 2011–12 के अनुदान को जारी किये जाने एवं उपयोग किए जाने की जानकारी वित्त विभाग मध्य प्रदेश शासन, आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, आयुक्त नगरपालिका निगम सागर तथा नगरपालिका अधिकारी सागर एवं मंडला जिले की नगर पालिकाओं से प्राप्त की गयी । अनुदान के प्राप्ति एवं उनके उपयोग पर लेखा परीक्षा निष्कर्ष निम्नानुसार है–

3-1-1 केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान देरी से जारी किया जाना

तेरहवें वित्त आयोंग के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के पैरा 5.1 तथा 6.2 के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दो किश्तों जुलाई एवं जनवरी में जारी की जाना था। कोई भी अनुदान की किश्त पूर्व में जारी किश्तों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही जारी होना था । केन्द्र सरकार के जारी दिशा निर्देशों के पैरा 7.5 के अनुसार राज्य का वित्त सचिव प्रत्येक किश्त जारी होने के 10 दिवस के भीतर, केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान को जारी किए जाने की राशि एवं दिनांक दर्शाते हुए, एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा ।

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के अभिलेखों के परीक्षण (अगस्त 2012) में देखा गया कि केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2011–12 से संबंधित अनुदान राशि ₹ 122.91 करोड (सामान्य मूल अनुदान के द्वितीय किश्त के ₹ 88.94 करोड, ₹ 3.94 करोड (₹1.97 करोड़ प्रत्येक) विशेष क्षेत्र मूल अनुदान की प्रथम एवं द्वितीय किश्त एवं ₹ 30.03 करोड़ सामान्य निष्पादन अनुदान की प्रथम किश्त) 51 से 244 दिन विलंब से जारी किये गये। जिसका विवरण rkfydk Ø- 3-1 में दर्शाया है।

rkfydk Ø-&3-1

lj y d0	fooj.k	dUæ ljdkj }kjk vuqnku tkjh djus dh fu/kkfjr fnukad	dUnz ljdkj }kjk tkjh fd;k x;k vuqnku		tkjh fd, tkus esa foyac (fnol)	dUnz ljdkj dks mi;ksfxrk iek.k i= Hkstus dh fLFkfr
			fnukad	jkf'k (₹ yk[k esa)		
1	सामान्य मूल अनुदान–II	जनवरी 2012	03.09.2012	8894	216[1]	अप्रस्तुत
2	विशेष क्षेत्र मूल अनुदान–I	जुलाई 2011	8.12.2011	197	130[2]	13.1.2012
3	विशेष क्षेत्र मूल अनुदान–II	जनवरी 2012	22.03.2012	197	51[3]	30.5.2012
4	सामान्य निष्पादन अनुदान–I	जुलाई 2011	31.03.2012	3003	244[4]	30.5.2012

आपत्ति इंगित किए गये (जनवरी 2013), आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल से उत्तर प्रतीक्षित है। मई 2013 में पुनः अद्यतन स्थिति चाही गई थी परंतु उत्तर प्रतीक्षित था ।

3-1-2 vuqnku dks foyac ls LFkkuh; fudk;ksa dks gLrkarfjr fd, tkus ds dkj.k nkf;Roksa dk fuekZ.k gksuk

तेरहवें वित्त आयोग के दिशा निर्देशों के पैरा 4.2 के अनुसार भारत सरकार से प्राप्त अनुदान की राशि राज्य शासन द्वारा यदि आसानी से बैकिंग सुविधा उपलब्ध है तो नगरीय निकायों को पांच दिवस के भीतर हस्तांतरित करना थी । अनुदान हस्तांतरण में निर्धारित अवधि से अधिक विलंब होने पर राज्य शासन को विलंबित अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर से किश्त के साथ ब्याज का भुगतान करना था ।

वित्त विभाग एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अभिलेखों के परीक्षण में पाया गया कि वर्ष 2011–12 में अनुदान निर्धारित अवधि मे जारी नही किया गया। जैसा कि rkfydk 3-2 में दर्शाया गया है ।

rkfydk Ø&3-2

(₹ yk[k esa)

lj y dekad	vuqnku dk uke	dUnz ljdkj ls izkIr		dks"kky; ls vkgj.k		uxjh; LFkkuh; fudk;ksa dks gLrkarj.k		fu/kkZfjr vof/k ds ckn vkrfjr	
		fnukad	jkf'k	fnukad	jkf'k	fnukad	jkf'k	gLrkarj.k esa foyac fnuksa esa	C;kt dh jkf'k[5]
1	सामान्य मूल अनुदान–I	6.7.2011	8710.00	11.8.2011	8710	17.8.11	8710	37	52.98[6]
2	विशेष क्षेत्र मूल अनुदान–I	8.12.2011	197.00	14.12.2011	197	15.12.11	197	02	0.06[7]
3	सामान्य मूल अनुदान.II	3.9.2012	8894.00	13.9.2012	8894	13.9.12	8894	05	11.57[8]
4	सामान्य निष्पादन अनुदान	31.3.2012	2744.10	7.4.2012	2744	9.4.12	2744	04	2.86[9]
								;ksx	67-47

स्त्रोत : वित्त विभाग एवं आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी

---

1 सामान्य मूल अनुदान II=29+31+30+31+30+31+31+3=216

2 विशेष क्षेत्र मूल अनुदान I= 31+30+31+30+8=130

3 विशेष क्षेत्र मूल अनुदान I= 29+22=51

4 सामान्य निष्पादन अनुदान I=31+30+31+30+31+31+2931=244

5 रिजर्व बैंक की बैंक दर दिनांक 13.2.2012 से संशोधित कर 6 से 9.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष किया गया। ब्याज की गणना उसी अनुसार की गई है

6 ₹ 8710.00× 6X37÷100×365=52.98 लाख

7 ₹197.00× 6X2÷100 × 365=00.06 लाख

8 ₹8894.00 × 9.5 X 5 ÷100 × 365=11.57 लाख

9 ₹2744.00× 9.5 X 4 ÷100 × 365=2.86 लाख

तालिका कमांक 3.2 से देखा गया कि नगरीय निकायों को अनुदान 2 से 37 दिनों के विलंब से अंतरित किया गया । केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार वित्त विभाग को भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर के अनुसार नगरीय निकायों को ₹ 67.47 लाख का ब्याज भुगतान करना पड़ेगा ।

प्रकरण फरवरी 2013 में प्रकाश में लाया गया, आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था ।

3-1-3 okLrfod 0;; d mi;kfxrk izek.k i= izLrqr u fd;k tkuk

भारत सरकार के तेरहवें वित्त आयोग के निर्देशों के पैरा 6.2 के अनुसार कोई भी अनुदान की किश्त पूर्व में जारी किश्तों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही जारी किया जाना था।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल के अभिलेखों की समीक्षा (अगस्त 2012) में हमने देखा कि अनुदान के आवंटन एवं जारी किए जाने की जानकारी, नगरीय निकायों को अनुदान की संपूर्ण राशि अंतरित किए जाने के उपरांत, वित्त विभाग को उपयोगिता प्रमाण पत्र के रूप में प्रेषित की गई थी । जबकि नौ नमूना जाँच किये गये नगरीय निकायों के अभिलेखों की समीक्षा में हमने देखा कि ₹ 8.61 करोड (₹2.44 करोड पूर्व वर्ष का शेष तथा 6.17 करोड चालू वर्ष का) में से ₹ 4.66 करोड 2011–12 के दौरान बिना व्यय के लंबित थे । विवरण ifjf'k"V 3-2 में दर्शाया गया है । हमने आगे देखा कि नमूना जांच की गई नगरीय निकायों में से किसी ने भी निधियों का वास्तविक उपयोग नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को प्रतिवेदित नही किया था । अतः यह स्पष्ट है कि पूर्व में जारी अनुदान के वास्तविक व्यय के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना ही अनुदान की आगामी किश्त जारी की गई थी ।

इस संबंध में इंगित (दिसंबर 2012) किए जाने पर, आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने बताया कि वास्तविक व्यय की जानकारी संभागीय कार्यालयों से एकत्रित की जा रही है। उक्त जानकारी के प्राप्त होने पर हीं किए गए वास्तविक व्यय का संकलन किया जायेगा।

आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के उत्तर से स्पष्ट है कि पूर्व में जारी अनुदान के वास्तविक व्यय के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना ही अनुदान की आगामी किश्त जारी कर दिये गये।

3-1-4 fuxjkuh ,o eY;kdu dk vHkko

भारत शासन के दिशा निर्देशों के पैरा 9.1 अनुसार प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय निगरानी समिति गठित की जायेगी जिसमें वित्त सचिव एवं संबंधित विभागों के सचिव सदस्य के रूप में शामिल होंगे । उक्त समिति का यह उत्तरदायित्व होगा कि अनुदान के प्रत्येक वर्ग के लिए, जहां लागू हो, निर्धारित शर्तो का पालन सुनिश्चित किया जाय ।

दिशा निर्देशों के परिपालन में वित्त विभाग द्वारा राज्य के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय निगरानी समिति जुलाई 2010 में गठित की गई थी । उच्च स्तरीय निगरानी समिति की, एक वित्तीय वर्ष के प्रत्येक तिमाही में, न्यूनतम एक बैठक आयोजित की जानी थी ।

यह देखा गया कि दिसंबर 2012 तक आवश्यक 10 बैठकों में से केवल चार बैठकें आयोजित की गई थी जो निगरानी की कमी को दर्शाती है।

3-1-5 fu"d"k

- तेरहवे वित्त आयोग की अनुशंसा पर केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को प्राप्त स्थानीय निकाय अनुदान निर्धारित अवधि में नगरीय निकायों को अंतरित नही किया गया, जिसके कारण राज्य सरकार को नगरीय निकायों को देय ब्याज ₹ 67.47 लाख का दायित्व निर्माण में वर्ष 2011–12 में हुआ ।

पैरा 3.1.2

- संबंधित नगरीय स्थानीय निकायों से वास्तविक व्यय की जानकारी प्राप्त किए बिना ही केन्द्र सरकार को अनुदान के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गये।

पैरा 3.1.3

3-2 fo|r fcy ij ifjgk;Z vf/kHkkj jkf'k ₹ 1-23 djksM+

mTtSu uxj ikfyd fuxe }kjk fo|qr fcyksa ds fu;fer Hkqxrku u djus ls fuxe dks ₹1-23 djksM+ vf/kHkkj dk ogu djuk iMk।

मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 88 मे निहित है कि निगम निधि का उपयोंग सर्व प्रथम ऋणों के भुगतान के लिए किया जायेगा उसके पश्चात निगम पर अधिरोपित दायित्वों की पूर्ति करने लिए किया जायेगा ।

उज्जैन नगर निगम के विद्युत देयकों की समीक्षा (जनवरी 2012) में देखा गया कि निगम द्वारा जुलाई 2009 से दो विद्युत कनेक्शनों[10] के विद्युत देयकों का नियमित रूप से भुगतान नहीं किया गया । मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने जुलाई 2009 से फरवरी 2012 तक की अवधि के मध्य राशि ₹ 1.23 करोड़ का अधिभार आरोपित किया, जिसका विवरण ifjf'k"V 3-3 तथा 3-4 में दर्शित है ।

आगे हमने पाया (फरवरी 2013) कि उज्जैन नगर निगम तथा संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा अधिभार सम्मलित करते हुये कुल देय राशि ₹ 5.74 करोड़[11] (मार्च से अप्रैल 2012) के विरूद्व मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को वास्तविक देय राशि का आंकलन किए बिना हीं राशि ₹ 6.38 करोड़[12] का भुगतान किया गया । हमने देखा कि उज्जैन नगर पालिक निगम तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में आपसी सामंजस्य की कमी होने के कारण ₹ 64 लाख का अधिक भुगतान किया गया (भुगतान की गई राशि ₹ 6.38 करोड़ – वास्तविक देय राशि ₹ 5.74 करोड़) ।

इस संबंध में आपत्ति इंगित किए जाने पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया (अप्रैल 2013) और लिखा कि उज्जैन नगर पालिक निगम के पास पर्याप्त निधि न होने के कारण उन्हें राशि ₹ 1.23 करोड़ का अधिभार

10 कनेक्शन क्र.502022 या सरचार्ज ₹0.36 करोड़ तथा कनेक्शन क्र. 502023 पर सरचार्ज ₹0.87 करोड़ था

11 कनेक्शन क्र. 502022 के ₹ 1.41 करोड़ तथा कनेक्शन क्र. 502023 के ₹ 4.33 करोड़

12 उज्जेन नगर निगम द्वारा राशि ₹ 3.20 करोड़ का भुगतान चैक क्र. 094024 तथा 094056 क्रमशः दि. 27.3.12 एवं 31.3.12 के द्वारा किया। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा ₹ 1.59 करोड़ का भुगतान फरवरी से अप्रैल 2012 के दौरान तथा ₹ 1.59 करोड़ सम्पत्तिकर एवं जल कर जो म.प्र. के वि.क्र. उज्जैन के देय में समायोजित किये गये।

वहन करना पडा, अधिक भुगतान राशि ₹ 64 लाख का भविष्य में समायोजित कर लिया जायेगा।

प्रकरण शासन को (जून 2012, जनवरी 2013 तथा मई 2013) भेजा गया उत्तर अप्राप्त रहा।

3-3 vLFkk;h ifj;kstuk d fy, ifjgk; nkf;Ro jkf'k ₹ 15-67 djkM

uxj ikfyd fuxe mTtu }kjk vLFk;h ifj;kstuk d fy, _.k ikIr dj mlls lgk;rk vunku e ifjofrr djku d i;kl u dju d dkj.k jkf'k ₹ 15-67 djkM d nkf;Ro dk fuek.k

मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 102 (I)(iv)(i) के अनुसार स्थायी निर्माण कार्यो के अतिरिक्त अन्य किसी निर्माण कार्य के लिए कोई ऋण नहीं लिया जायेगा। शासन के मतानुसार इस संदर्भ में कोई भी कार्य जिसका उपयोग कई वर्षों तक किया जा सके।

उज्जैन नगर में वर्ष 2008 में सूखे के कारण जल की कमी की पूर्ति के लिए निरंतर जल आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में, राज्य के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त, राजस्व, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा आयुक्त राज्य के आपदा सहायता के साथ (दिसंबर 2008) एक बैठक आहूत की गई थी । बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि जल परिवहन के लिए आपदा सहायता कोष से राशि ₹ 3.40 करोड़ स्वीकृत किया जायेगा तथा अमलावदाबिका बैराज से गंभीर अंबोडिया शुद्विकरण संयत्र तक अस्थाई सेवाओं के लिए पाईप लाईन बिछाने हेतु उज्जैन नगर पालिक निगम को राशि ₹ 12.22 करोड ऋण के रूप में स्वीकृत किये जायेंगे। यह भी निर्णय लिया गया था, कि ऋण की राशि बाद में अनुदान के रूप में परिवर्तित किए जाने पर विचारणीय होगी ।

अमलावदाबिका जल आपूर्ति परियोजना के अभिलेखों के परीक्षण (जनवरी 2012) में देखा गया कि अमलावदाबिका बैराज से गंभीर अंबोडिया शुद्विकरण संयत्र तक 0.71 एमसीएफटी (22.50 एमएलडी) कच्चा पानी प्रतिदिन ले जाने के लिए 23.6 किलोमीटर लंबी पाईप लाईन बिछाने हेतु (दिसंबर 2008) में निविदाएं आमंत्रित की गई। जल के परिवहन के लिए एक अस्थायी इंटेक वैल पंप/मोटर, विद्युत सबस्टेशन का निर्माण तथा विद्युत लाईन, ट्रांसफर्मर जनरेटर आदि का निर्माण एवं स्थापना केवल चार माह के लिये किए गये थे। उपर्युक्त मदों पर राशि ₹14.74 करोड़[13] व्यय कर परियोजना दिनांक 7.4.2009 को पूर्ण होकर प्रारंभ किया गया था।

उज्जैन नगर पालिक निगम द्वारा उक्त परियोजना से केवल तीन माह (08.04.2009 से 30.06.2009) सेवाऐं ली गई। उसके पश्चात नगर पालिक निगम द्वारा जनवरी 2012 तक जल आपूर्ति में इसकी सेवाऐं नहीं ली जानी पाई गई।

---

[13] सी.आर.पी पाईप लाईन ऑपरेटिंग पंप के साथ उपलब्ध कराने एवं स्थापित कराने हेतु ₹ 12.61 करोड़ व्यय किया गया, ₹ 1.28 करोड़ 33 के.वी के 34 कि.मी. के विद्युत कार्य, उप स्टेशन तथा एल.टी. पेनल तथा ₹ 0.85 करोड़ डी.जी.सेट किराये पर लेने के प्रभार तथा ऊर्जा प्रभार-अस्थाई विद्युत कनेक्शन एवं डीजल हेतु

इस संबंध में आपत्ति इंगित किए जाने पर (जनवरी 2012), आयुक्त नगर पालिक निगम उज्जैन ने स्वीकार किया (जनवरी 2012) कि यह कार्य एक अस्थायी प्रकृति का था तथा बताया कि ऋण को अनुदान में परिवर्तन कराने की कार्यवाही की जायेगी ।

इस संबंध में परियोजना की उपयोगिता का पुनः सत्यापन करने पर (फरवरी 2013) पाया गया कि परियोजना का उपयोग अभी तक नहीं किया गया था। उज्जैन नगर पालिक निगम के कार्यपालन यंत्री ने भी बताया कि इसकी क्षमता उज्जैन की जल आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं थी तथा इसके चालू किए जाने के बाद से इसके रख रखाव के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया था ।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अभिलेखो में हमने यह भी देखा (अप्रैल 2013) कि आपदा सहायता राशि ₹ 3.40 करोड़ के अनुदान को ध्यान मे रखे बिना हीं राशि ₹ 15.67 करोड़[14] उज्जैन नगर निगम को, ऋण के रूप में जारी किए गये ।

आयुक्त नगर पालिक निगम उज्जैन एवं परियोजना के कार्यपालन यंत्री के उत्तर से स्पष्ट है कि जल आपूर्ति हेतु बिछाई गई पाईप लाइन का भविष्य में उपयोग नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार उज्जैन नगर निगम एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अदूरदर्शी एवं निस्तेज सोच के कारण ऋण के अंतर्गत अस्थायी प्रकृति के निर्माण कार्य कराया गया जो निष्फल रहा तथा निगम पर ₹ 15.67 करोड़ का दायित्व निर्मित हुआ ।

प्रकरण शासन के पास भेजा गया (जून 2012, जनवरी 2013 तथा मई 2013) उत्तर अभी प्रतीक्षित था ।

3-4 jktLo dh gkfu ₹ 7-90 djksM+

Hkksiky uxj ikfyd fuxe {ks= ds vUrxZr nwjlapkj@eksckbZy VkWoj LFkkfir fd, tkus gsrq nwjlapkj daifu;ksa ls 'kqYd dh olwyh u fd, tkus ls jktLo gkfu jkf'k ₹ 7-90 djksM+

मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 132(4)(सी) के अनुसार, नगर के भीतर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यवसाय या कला पर व्यापार करता है तो उनपर निगम द्वारा कर अधिरोपित किया जा सकेगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के मंत्रालय द्वारा नगरीय निकायों को नगर निगम क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले दूरसंचार/मोबाईल टॉवर्स की अनुमति के संबंध में निर्देश (मार्च 2002) जारी किए गये थे, जिसमें यह निर्देशित किया गया था कि संबंधित कंपनियों से अनुमति शुल्क के रूप में ₹ 20,000 प्रति टॉवर लिए जायें ।

भोपाल नगर पालिक निगम के दूरसंचार इन्फ्रास्ट्रक्चर टॉवर्स (टीआईटी) स्थापना संबंधी अभिलेखों के परीक्षण में देखा गया कि भोपाल नगर पालिक निगम क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न दूर संचार कंपनियो ने जुलाई 2012 तक 654 टीआईटी (प्राधिकृत–259 तथा अप्राधिकृत–395) स्थापित किए । विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 3.5** में दर्शाया गया है।

हमने देखा कि 395 अप्राधिकृत टीआईटी के नियमितिकरण के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई । परिणामस्वरूप राजस्व ₹ 79 लाख[15] (₹20000 X395 टीआईटी), संबंधित दूरसंचार कंपनियों से वसूली नहीं हो सका ।

---

[14] ₹ 5.00 करोड़ देयक क्र. 563/5.3.09 + 5.00 करोड़ देयक क्र. 610 दि. 23.3.09 + 5.67 करोड़ देयक क्र. 91 दिन 19.6.09

[15] 395 टी.आई.टी × ₹ 20,000=₹ 79,00,000 जुलाई 2012 तक

इस संबंध में आपत्ति इंगित किए जाने पर नगर निगम आयुक्त ने बताया कि मेयर–इन–कॉउंसिल में प्रस्ताव पारित होने तथा शासन से निर्देश प्राप्त होने के पश्चात कदम उठाये जायेंगे ।

इस संबंध मे पुनः जानकारी एकत्रित करने पर देखा (अप्रैल 2013) गया कि टीआईटी के अनुमति एवं प्राधिकरण हेतु राजपत्र में अधिसूचना अक्टूबर 2012 में जारी की गई। इस अधिसूचना के नियम 5 एवं 20 के अनुसार टीआईटी के नियमितीकरण के पूर्व शुल्क के रूप में ₹ 2.00 लाख लिए जाने थे तथा अप्राधिकृत टीआईटी को अधिकतम 3 माह की समयावधि (आवेदन अवधि दो माह तथा प्रक्रिया हेतु एक माह) में नियमितीकरण किया जाना था। परंतु उक्त तीन माह की अवधि व्यतीत हो जाने के बावजूद किसी भी अप्राधिकृत टीआईटी का नियमितीकरण नहीं किया गया, फलस्वरूप नवीन नियमानुसार ₹ 7.90 करोड (₹ 2.00 लाख X395 टीआईटी) अवसूलीकृत रहे ।

प्रकरण (दिसंबर 2012, फरवरी 2013 तथा मई 2013) में शासन के ध्यान में लाया गया परंतु उत्तर अभी तक प्रतीक्षित था ।

HkkX- द्वितीय] पंचायती राज संस्थायें

अध्याय-प्रथम

पंचायती राज संस्थाओं की लेखा प्रक्रियाओं सहित वित्त पर विहंगावलोकन

1.1 प्रस्तावना-

सबसे निचले स्तर पर स्वायत्त्ता को बढ़ावा देने और ग्राम सभा से जुड़े विभिन्न विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एवं पहचान दिलाने में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लागू किया गया। संविधान के अनुच्छेद 243 (छ) के प्रावधानों के अधीन रहते हुये राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो उन्हें स्वायत्त निकायों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिये आवश्यक समझे और ऐसा नियम अधिकारों और शक्तियों के उचित स्तर पर पंचायतों को हस्तांतरण के लिये विर्निदिशिष्ट की जाये। निम्नलिखित के संबंध में शक्तियाँ और उत्तरदायित्व न्यायगत करने के लिये उपबंध किये जा सकेगें-

(क) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिये योजनाऐं तैयार करना।

(ख) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाओं को, जो उन्हें सौंपी जाये, जिसके अंतर्गत वे स्कीमें भी है जो ग्यारहवीं अनुसूची[1] मे सूचीबद्व विषयों के संबंध में है, को क्रियान्वित करना।

इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 243(ज) के प्रावधानों के अनुसार राज्य का विधान मण्डल:-

(क) ऐसी प्रक्रिया के अनुसार ऐसी सीमाओं के अधीन रहते हुये ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसें विनियोजित और संग्रहित करने के लिये किसी पंचायत को प्राधिकृत कर सकेगा।

(ख) ऐसे प्रायोजनों के लिये और ऐसी शर्ते तथा सीमाओं के अधीन रहते हुये राज्य सरकार द्वारा उदग्रहित और संग्रहित ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसें किसी पंचायत को सौंपा जा सकेगा।

(ग) पंचायतों के लिये राज्य की संचित निधि से ऐसे सहायता अनुदान देने के लिये उपबंध कर सकेगा।

(घ) पंचायतों द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त सभी धनों के जमा करने के लिये ऐसी निधियों का गठन तथा ऐसी निधियों मे से धन का प्रत्याहरण करने के लिये भी उपबंध कर सकेगा जो विधि में विनिर्दिष्ट किये जाये।

परिणामतः मध्य प्रदेश शासन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं हेतु त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित की गई।

[1] संविधान के अनुच्छेद 243 जी एवं एच (73वाँ संविधान संशोधन) एक्ट, 1992

- जिला स्तर पर जिला पंचायत
- ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायत
- ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत

वर्तमान में राज्य में 50 जिला पंचायतें, 313 जनपद पंचायतें, और 23006 ग्राम पंचायतें (नवंबर 2012) हैं।

मध्य प्रदेश राज्य की प्राथमिक जानकारी निम्नानुसार है

विवरण	इकाई	राज्य के आंकड़े	संपूर्ण भारत के आंकडे
जनसंख्या	करोड़	7.26	121.02
देश की जनसंख्या में भाग	प्रतिशत	6	-
ग्रामीण जनसंख्या	करोड़	5.25	83.31
ग्रामीण जनसंख्या का भाग	प्रतिशत	72	69
जनसंख्या का धनत्व	प्रतिवर्ग कि.मी.	236	382.00
साक्षरता दर	प्रतिशत	71	74.00
लिंग अनुपात (महिलायें प्रति हजार पुरूष पर संख्या)	अनुपात	930/1000	940/1000

स्त्रोत- अनंतिम जनगणना 2011

1.2 प्रशासनिक व्यवस्थायें-

पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के अध्याय 3 के अनुसार राज्य सरकार की निगरानी के अधीन नियमों तथा अधिनियमों द्वारा प्रदत्त कार्यों का निष्पादन करने हेतु सभी पंचायती राज संस्थायें स्वतंत्र कानूनी निकाय है। राज्य जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर कार्य संचालन हेतु संगठानात्मक संरचना नीचे दिया गया है-

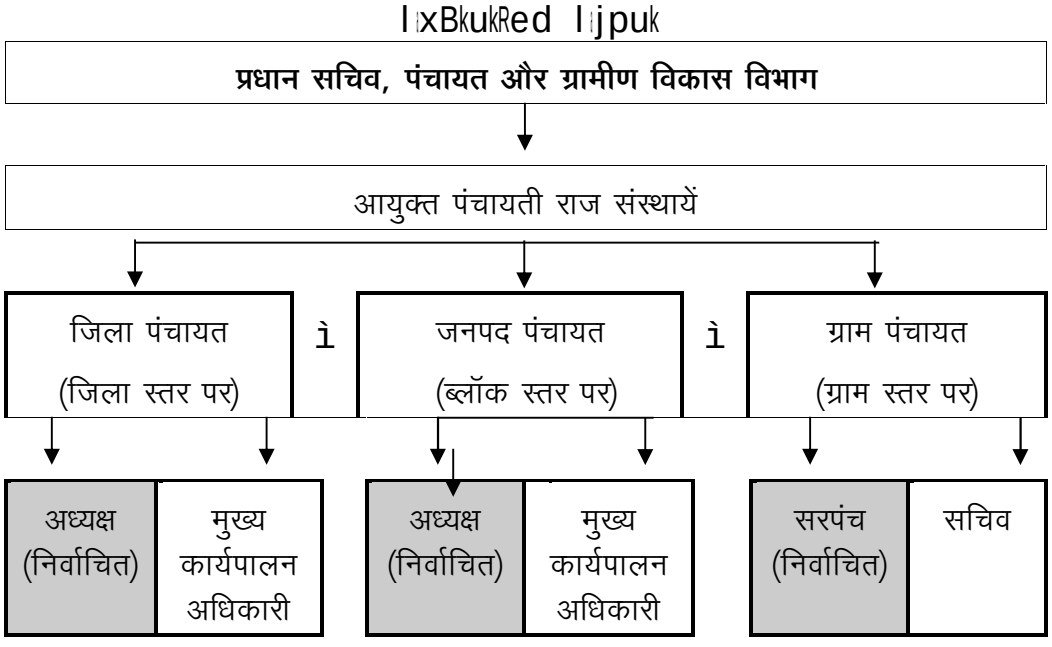

1.3 त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका एवं जिम्मेदारियाँ

स.क्र.	पंचायती राज संस्थाऐं	उत्तरदायित्व
1	जिला पंचायत	जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतो में समन्वय, मूल्यांकन और गतिविधियों का पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन
2	जनपद पंचायत	राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को स्थानांतरित किये गये। विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों एवं प्रोजेक्ट को ग्राम पंचायतों तथा क्रियान्वयन एजेन्सियों के माध्यम से कार्यान्वित करना, निरीक्षण करना, पर्यवेक्षण और प्रबंध करना आदि
3	ग्राम पंचायत	केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या जिला पंचायत या जनपद पंचायत द्वारा कानून के तहत प्रदान किये गये प्रोजेक्ट कार्य और योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना

जिला तथा जनपद पंचायत का स्थायी समितियाँ
अ) सामान्य प्रशासन समिति
ब) कृषि समिति
स) शिक्षा समिति

द) सम्प्रेषण और कार्य समिति
इ) सहयोग और औधोगिक समिति

ग्राम पंचायत की स्थायी समितियाँ

अ) सामान्य प्रशासन समिति
ब) विनिर्माण एवं विकास समिति
स) शिक्षा स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण समिति

1.4 लेखापरीक्षा क्षेत्र

राज्य की 23369 पंचायती राज संस्थाओं (50 जिला पंचायत, 313 जनपद पंचायत तथा 23006 ग्राम पंचायत) में से 1267 पंचायती राज संस्थाओं (47 जिला पंचायत, 185 जनपद पंचायत तथा 1035 ग्राम पंचायत) के अभिलेखों की जांच वर्ष 2011-12 के दौरान की गयी (**परिशिष्ट 1.1**)

1.5 लेखांकन व्यवस्था

1.5.1 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप् में लेखाओं का संधारण

ग्यारवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा स्थानीय निकाय के लेखों एवं बजट को तैयार करने के लिये निर्धारित प्रारूप तैयार किया जायेगा। इसी प्रकार तेरहवें वित्त आयोग के अनुशंसा किया है, कि सभी राज्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा पंचायती राज मंत्रालय द्वारा तैयार किये गये लेखांकन फेमवर्क और कोडीकरण पद्वति को मॉडल पंचायत लेखांकन प्रणाली के अनूरूप अप्रैल 2010 में अपनाया जाना था।

वर्ष 2011-12 में 47 जिला पंचायतों, 185 जनपद तथा 1035 ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि विभिन्न स्तर की पंचायती राज संस्थाओं द्वारा निर्धारित प्रारूप मे लेखों को नहीं रखा गया।

इंगित किये जाने पर आयुक्त पंचायती राज ने (अगस्त 2012) उत्तर दिया कि निर्धारित प्रारूप मे लेखों के संधारण हेतु निर्देश जारी किये गये थे (सितम्बर 2011) जिसके अनुसार लेखाओं के संधारण वर्ष 2011-12 से प्रक्रियाधीन है।

1.5.2 ग्राम पंचायतों के बजट तथा वार्षिक लेखे

मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 72 के अनुसार पंचायत के सचिव द्वारा धारा 73 में विहित अनुसार बजट एवं वार्षिक लेखे तैयार किए जायेंगें। मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत नियम (बजट अनुमान) 1997 के नियम 3,4 एवं 5 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वार्षिक बजट तैयार किया जायेगा तथा उसे जनपद पंचायत से प्रत्येक वर्ष 15 मार्च तक अनुमोदित कराया जायेगा। मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत नियम 1999 के नियम 63 एवं 64 मे प्रावधान है कि प्रत्येक वर्ष ग्राम पंचायत का वार्षिक लेखा तैयार किया जायेगा तथा उसे सामान्य प्रशासन समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु 15 मई को या इसके पूर्व रखा जायेगा।

वर्ष 2011-12 में ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वार्षिक बजट एवं लेखे उपरोक्त नियमानुसार तैयार नहीं किये गये।

1.5.3 जिला पंचायत नरसिंहपुर द्वारा वार्षिक बजट तैयार नहीं किया जाना।

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 72 के अनुसार तथा मध्य प्रदेश जिला पंचायत (बजट अनुमान) नियम 1997 के नियम 12 तथा 13 के अनुसार प्रत्येक जिला पंचायत को प्रति वर्ष 10 जनवरी से पूर्व बजट अनुमान तैयार करना था तथा उसे जिला पंचायत की चुनी गयी परिषद से 20 जनवरी तक अनुमोदित कराकर 15 मार्च के पूर्व आयुक्त को अंतिम अनुमोदन हेतु प्रेषित करना था।

जिला पंचायत नरसिंहपुर के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 हेतु बजट अनुमान तैयार कर जिला पंचायत की चयनित परिषद से अनुमोदित नहीं कराया गया। इस प्रकार जिला पंचायत नरसिंहपुर के प्राप्ति एवं व्यय निर्वाचित सदस्यों के संवैधानिक नियंत्रण से बाहर रहे।

जिला पंचायत द्वारा वर्ष 2010-11 में ₹ 60.44 करोड़ तथा वर्ष 2011-12 में ₹ 77.15 करोड़ का व्यय किया गया जो अनियमित व्यय की श्रेणी में आता है। विवरण (**परिशिष्ट 1.2**) में दर्शाया गया है।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नरसिंहपुर द्वारा उत्तर दिया गया कि (सितम्बर 2012) उपरोक्त अवधि के लिये बजट तैयार तथा अनुमोदित नहीं किये गये। भविष्य में बजट तैयार किया जायेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी का उत्तर उपरोक्त नियम एवं प्रावधानों के अनुरूप नहीं था क्योंकि कोई भी व्यय किये जाने से पूर्व बजट तैयार एवं अनुमोदन कराया जाना चाहिये।

1.6 लेखापरीक्षा व्यवस्थायें

ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की किये जाने वाले लेखा परीक्षा को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के अंतर्गत के लाया गया (नवंबर 2001), तदनुसार वर्ष 2011-12 में 47 जिला पंचायतों 185 जनपद पंचायतों तथा 1035 ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा की गयी तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा को तकनीकी मार्गदर्शन हेतु भेजे गये।

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के पैरा 10.121 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा सभी स्थानीय निकायों (पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तर) हेतु एक लेखा परीक्षा पद्वति का होना अनिवार्य था। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को प्रत्येक स्तर के सभी स्थानीय निकायों हेतु तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण आवश्यक रूप से सौंपा जाना चाहिये तथा उनकी वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन संचालक/आयुक्त् स्थानीय निधि संपरीक्षा के वार्षिक प्रतिवेदन के साथ आवश्यक रूप से राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखा जाना चाहिये। तद्नानुसार मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 को जुलाई 2011 में संशोधित किया गया।

1.7 राजस्व के स्त्रोत

पंचायती राज संस्थाओं के राजस्व के मुख्यतः दो स्त्रोत है (I) शासकीय अनुदान और (II) स्वयं का राजस्व। पंचायती राज संस्थाओं के स्वयं के राजस्व संसाधनों में कर एवं गैर कर राजस्व प्राप्तियाँ सम्मिलित है। शासकीय अनुदानों में राज्य वित्त आयोग तथा केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी निधियाँ तथा विभिन्न योजनाओं के क्रियान्व्यन हेतु राज्य तथा भारत सरकार का अंश आता है।

1.8 पंचायती राज संस्थाओं की प्राप्तियाँ और व्यय

राज्य शासन द्वारा बजट के माध्यम से केन्द्रांश तथा केन्द्रीय वित्त आयोग तथा राज्य वित्त आयोग की अनुशंसानुरूप पंचायती राज संस्थाओं के लिये आवंटित निधि (राज्य का कर, राजस्व का हिस्सा, योजना निधि और अनुदान आदि) का विवरण निम्नानुसार थेः-

क्र.	वर्ष	अनुदान			okLrfod व्यय			बचत	बचत का प्रतिशत
		राजस्व	पूंजीगत	योग	राजस्व	पूंजीगत	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2007-08	3221.86	3.04	3224.90	2996.51	3.03	2999.54	225.46	7
2.	2008-09	3985.44	2.04	3987.48	3125.25	0.03	3125.28	862.20	22
3.	2009-10	4942.02	7.02	4949.04	4038.20	5.01	4043.21	905.83	18
4.	2010-11	6585.74	231.40	6817.14	5678.75	198.65	5877.40	939.74	14
5.	2011-12	7670.04	241.08	7911.12	6697.87	365.29	7063.16	847.96	11

स्त्रोत- विस्तृत विनियोग लेखों के संकलित

उपरोक्त् तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2007-12 की अवधि में बचत का प्रतिशत 7 से 22 प्रतिशत रहा।

सभी पंचायती राज संस्थाओं की प्राप्तियाँ एवं व्यय के ब्यौरे पंचायती राज संचालनालय स्तर पर संधारित नहीं किये गये।

इंगित किये जाने पर, आयुक्त् पंचायती राज ने (नवंबर 2012) उत्तर दिया कि जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतों द्वारा संग्रहित किये गये करों की जानकारी संचालनालय स्तर पर उपलब्ध नहीं था। स्मरण पत्र (मई 2013) जारी किया गया, किन्तु उत्तर अप्राप्त रहा।

1.9 राज्य वित्त आयोग का हस्तांतरण

संविधान के अनुच्छेद 243(डब्ल्यू) के अंतर्गत राज्य सरकारों के लिये यह अनिवार्य कर दिया है कि राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान संशोधन अधिनियम के जारी होने के एक वर्ष के अंदर करें और इसके पश्चात प्रत्येक पांच वर्ष समाप्त होने पर पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थितियों की समीक्षा करें और निधियों के हस्तांतरण हेतु राज्यपाल को अनुशंसा करें।

तीसरे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा फरवरी 2010 में राज्य सरकार द्वारा स्वीकार की गयी। तीसरे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार की पिछले वर्ष के विभाजनीय कोष[2] के चार प्रतिशत कर राजस्व पंचायती राज संस्थाओं को प्रदान किया जाएगा।

लेखा परीक्षा में दौरान पाया गया कि वर्ष 2010-11 तथा वर्ष 2011-12 में राज्य शासन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को राशि ₹195.28 करोड़ कम हस्तांतरित की गयी विवरण निम्नानुसार है-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य सरकार का विभाजनीय कोष	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर निधि हस्तांतरण	राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को निधि हस्तांतरित	कम जारी
2010-11	13960.22	558.41	490.94	67.47
2011-12	17410.17	696.41	568.60	127.81
कुल	**31370.39**	**1254.82**	**1059.54**	**195.28**

स्त्रोत- वित्त् लेखे तथा आयुक्त पंचायती राज संस्थाओं द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी।

राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा राशि कम जारी किये जाने के वास्तविक कारण लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये(नवंबर 2012)। इस संबंध में अद्यतन पत्राचार अप्रैल 2013 में किया गया।

1.10 बैंक समाधान विवरण तैयार न करना

मध्य प्रदेश जनपद पंचायत लेखा नियम 1999 के नियम 25-26 के अनुसार रोकड़ बही और बैंक खातों के शेष राशि के अंतर का समाधान पत्रक प्रत्येक महीने तैयार किया जाना चाहिये।

[2] विभाजनीय कोष से आशय पूर्व वर्ष के कुल कर राजस्व मे से कर संग्रहण के लिये 10 प्रतिशत व्यय की राशि धटाया जाकर नगरीय निकाय एवं पंचायत राज संस्थाओं को सौंपे गये राजस्व को धटाया जाकर प्राप्त राशि से है।

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि 16 पंचायती राज संस्थाओं[3] (सात जिला पंचायत तथा नौ जनपद पंचायत) की रोकड़ बही का शेष बैक खातों के शेष से ₹ 26.23 करोड़ कम था। यह भी पाया गया कि जिला पंचायत रीवा तथा तीन जनपद पंचायतों (केसला पेटलाबद तथा रामपुर नैकिन) में राशि ₹ 4.30 करोड़ रोकड़ बही की तुलना में बैंक खातों में कम थी। विवरण **परिशिष्ट 1.3** में दर्शाया गया है।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर उपरोक्त पंचायती राज संस्थाओं के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा उत्तर दिया गया(सितम्बर तथा अक्टूबर 2012) कि भविष्य में बैंक समाधान पत्रक तैयार किया जायेगा।

1.11 लेखा परीक्षा की लंबित कंडिकाओं की स्थिति

तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण व्यवस्था के अनुसार संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) के निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन उसी प्रकार करेगें जैसा कि वह उनके स्वयं के प्रतिवेदन के लिये करते हो।

प्रधान महालेखाकार के पंचायती राज संस्थाओं के पिछले पांच वर्षों की लंबित कंडिकाओं की स्थिति नीचे दी गई है-

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	पूर्व की लंबित कंडिकाओं का प्रारंभिक शेष	वृद्धि	कंडिकाओं का निराकरण	शेष लंबित कंडिकायों की संख्या
1	2007-08	5853	3877	07	9723
2	2008-09	9723	1544	31	11236
3	2009-10	11236	1171	निरंक	12407
4	2010-11	12407	1621	465	13563
5	2011-12	13563	4926	1033	17456

स्त्रोत- सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा-I का मासिक बकाया प्रतिवेदन

संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा से नियमित पत्राचार के बावजूद लंबित कंडिकाओं के निराकरण हेतु कोई प्रभावशाली कार्यवाही नहीं की गयी। इस विषय में अंतिम बार अप्रैल 2013 में पत्र लिखा गया।

1.12 भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्रों की त्रुटिपूर्ण जानकारी प्रस्तुत किया जाना।

सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 212(1) के अनुसार आवर्ती अनुदानों के संबंधित मंत्रालय या विभाग द्वारा पूर्व वित्तीय वर्ष में स्वीकृत अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात ही अगले वर्ष का अनुदान जारी किया जाना चाहिये। पूर्व वर्ष में जारी किये गये अनुदान के लेखा परीक्षित वार्षिक विवरण जिनसे संबंधित मंत्रालय/विभाग के संतुष्टि उपरांत ही अगले वित्तीय वर्ष के लिये स्वीकृत अनुदान की कुल राशि की 50 प्रतिशत से अधिक राशि जारी की जानी चाहिये।

आयुक्त, संचालक सामाजिक न्याय के अभिलेखों के परीक्षण में पाया गया कि पेंशन योजना के लिये वर्ष 2008-12 में जिला पंचायत को जारी किये गये अनुदान राशि ₹ 1477.14 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला पंचायत से प्राप्त नहीं किये गये। आगे पाया गया कि आयुक्त् सामाजिक न्याय द्वारा जिला पंचायतों से पेंशन वितरण पर हुये

[3] मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत होशंगाबाद, बुरहानपुर, देवास, जबलपुर, कटनी, टीकमगढ़ तथा नरसिंहपुर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत देवास, पोहरी, जतारा, गुना, चाचौड़ा, खकनार, आरोन, जावरा तथा कन्नौद

वास्तविक व्यय की जानकारी को प्राप्त किये बिना जिला पंचायतों को जारी अनुदान के आधार पर ही उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को भेजे। गये विवरण **परिशिष्ट 1.4** में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर (अगस्त 2012) आयुक्त सामाजिक न्याय द्वारा (अगस्त 2012) मे उत्तर दिया गया कि पेंशन वितरण के संबंध में भौतिक प्रमाण पत्र जिला पंचायतों से प्राप्त किया गया है। वित्तीय प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किये गये थे जिन्हें भविष्य में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

आयुक्त का उत्तर उपरोक्त वित्तीय नियमों के अनुरूप नहीं था।

1.13 अग्रिमों का समायोजन नहीं किया जाना

मध्य प्रदेश जिला पंचायत लेखा नियम 1999 के नियम 52 तथा मध्य प्रदेश जनपद पंचायत लेखा नियम 1999 के नियम 49 के प्रावधानों के अनुसार अग्रिम प्राप्त करने वाले व्यक्ति का यह दायित्व होगा कि जिस प्रयोजन हेतु अग्रिम प्राप्त किया गया है उसके पूरा होने के तुरंत तत्पश्चात व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जाये। इसको प्रस्तुत करने में विफल रहने पर उसके अगले माह के वेतन या देय राशि से अग्रिम की कुल राशि की वसूली की जायेगी।

जिला पंचायत कटनी, रीवा तथा तीन जनपद पंचायतों[4] के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 31 मार्च 2012 तक अस्थायी अग्रिम की राशि ₹ 19.42 लाख एक वर्ष से ग्यारह वर्ष की अवधि से वसूली हेतु लंबित थे विवरण **परिशिष्ट 1.5** में दर्शाया गया है। यह राशि विद्यमान नियमों के अनुसार जिला पंचायत तथा जनपद पंचायत के लेखाओं में समायोजित नहीं की गयी।

इंगित किये जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा उत्तर में कहा गया कि अग्रिमों का समायोजन शीध्र किया जायेगा। अद्यतन स्थिति चाही गई (मई 2013) उत्तर प्रतीक्षित रहा।

1.14 निष्कर्ष

- पंचायती राज संस्थाओं द्वारा वार्षिक लेखे निर्धारित प्रारूप मे तैयार नहीं किये गये।

  (पैरा 1.5.1)

- पंचायती राज संस्थाओं के प्राप्ति एवं व्यय के लेखे पंचायती राज संचालनालय स्तर पर संकलित नहीं किये गये।

  (पैरा 1.8)

- राज्य सरकार द्वारा तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर निधियों का हस्तांतरण नहीं किया गया।

  (पैरा 1.9)

- आयुक्त स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा लंबित कंडिकाओं के निराकरण हेतु सक्रिय कार्यवाही नहीं की गयी।

[4] खकनार, बुरहानपुर एवं केसला

(पैरा 1.11)

- पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किये गये अनुदान का उपयोग सुनिश्चित नहीं किया गया।

(पैरा 1.12)

f}rh; vè;k;

yunuk dh y[kk ijh{kk

2-1 rsjgosa foRr vk;ksx ds vuqnku dk पंचायत laLFkkvksa dks tkjh fd;k tkuk ,oa mlds mi;ksx ij ys[kk ijh{kk fu"d"kZ

राज्य की संचित निधि के आवर्धन के लिए पंचायती राज संस्थाओं को संसाधनों की पूर्ति हेतु तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसा की गई है । इस संबंध में तेरहवें वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायों को सामान्य क्षेत्र एवं विशेष क्षेत्र के लिए वर्ष 2010–15 की अवधि के लिये अनुदान की अनुशंसा की है । इस अनुदान के अतिरिक्त उन राज्यों के लिए सामान्य निष्पादन अनुदान वर्ष 2011–12 से उपलब्ध होगा जो उसके जारी होने के शर्तों का पालन व रेगा । अनुदान के चार उप संवर्ग है।

(i) सामान्य मूल अनुदान
(ii) सामान्य निष्पादन अनुदान
(iii) विशेष क्षेत्र मूल अनुदान
(iv) विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को वर्ष 2011–12 में दिये गये अनुदान का विवरण ifjf'k"V 2-1 में दर्शाया गया है ।

लेखा परीक्षा द्वारा, वर्ष 2011–12 की जानकारी मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग, आयुक्त पंचायत राज, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मंडला तथा सागर एवं उनके संबंधित जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं ग्राम पंयायतों से एकत्रित की गई। इससे संबंधित लेखा परीक्षा निष्कर्ष नीचे दिये गये है –

2-1-1 dsUnz ljdkj }kjk vuqnku foyac ls tkjh fd;k tkuk

तेरहवें वित्त आयोग के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के पैरा 5.1 के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के जुलाई एवं जनवरी में दो किश्तों में जारी किया जायेगा । पैरा 6.2 के अनुसार कोई भी अनुदान की किश्त पूर्व में जारी किश्तों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही जारी होना थी। केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के पैरा 7.5 के अनुसार राज्य का वित्त सचिव 10 दिवस के भीतर, केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान एवं उसकों पंचायत राज संस्थाओं को जारी किए जाने की राशि एवं दिनांक दर्शाते हुए एक प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेगा।

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के अभिलेखों की समीक्षा (अगस्त 2012) में देखा गया कि वर्ष 2011–12 से संबंधित सामान्य मूल अनुदान एवं विशेष क्षेत्र मूल अनुदान की प्रथम एवं द्वितीय किश्त में से राशि ₹ 507.34 करोड़ (सामान्य मूल अनुदान के प्रथम किश्त के ₹ 239.85 करोड़ एवं द्वितीय किश्त के ₹ 244.93 करोड़ तथा विशेष क्षेत्र मूल अनुदान की प्रथम एवं द्वितीय प्रत्येक किश्त के ₹ 11.28 करोड़) भारत सरकार द्वारा देरी से जारी किये गये जैसा की rkfydk& 1 में दर्शाया गया है ।

rkfydk& 1

l- d0	fooj.k	Hkkjr ljdkj }kjk vuqnku tkjh fd, tkus dh fu/kkZfjr fnukad	vuqnku tkjh fd, tkus dh okLrfod frfFk	vuqnku tkjh fd, tkus esa foyac dh vof/k
1	सामान्य मूल अनुदान एवं विशेष क्षेत्र मूल अनुदान की प्रथम किश्त	जुलाई 2011	8-12-2011	130 दिन[1]
2	सामान्य मूल अनुदान एवं विशेष क्षेत्र मूल अनुदान की द्वितीय किश्त	जनवरी 2012	22-3-2012	50 दिन[2]

उपयुक्त तालिका में देखा जा सकता है कि सामान्य मूल अनुदान एवं विशेष क्षेत्र मूल अनुदान की प्रथम एवं द्वितीय किश्त जारी किए जाने में क्रमशः 130 दिन तथा 50 दिन का विलंब हुआ। लेखा परीक्षा में आपत्ति इंगित किए जाने (जनवरी 2013) पर विलंब के कारणों से न तो अवगत कराया गया न ही अभिलेखों में पाया गया ।

2-1-2 vuqnku foyEc ls gLrkarfjr fd, tkus ds dkj.k nkf;Roksa dk fuekZ.k

भारत सरकार के तेरहवें वित्त आयोग के दिशा निर्देशों के पैरा 4.2 के अनुसार भारत सरकार से प्राप्त अनुदान की राशि राज्य शासन द्वारा पंचायती राज संस्थाओ को बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर पांच दिवस से भीतर हस्तांतरित करनी थी। अनुदान हस्तांतरण में निर्धारित अवधि से अधिक विलंब होने पर राज्य शासन को विलंबित अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर से किश्त के साथ ब्याज का भुगतान करना था ।

वित्त विभाग के अभिलेखों की समीक्षा में देखा गया (अगस्त 2012) कि वर्ष 2011–12 में सामान्य मूल अनुदान, विशेष क्षेत्र मूल अनुदान तथा सामान्य निष्पादन अनुदान की प्रथम किश्त तथा व्यपगत सामान्य निष्पादन अनुदान की राशि निर्धारित अवधि मे जारी नहीं किया गया जैसा कि rkfydk& 2 में दर्शाया गया है ।

[1] Aug 31+Sep.30+Oct.31+Nov.30+Dec.8=130days

[2] Feb.28+Mar.22=50days

rkfydk Ø-&2

वर्ष 2011–12 में तेंरहवे वित्त आयोग के अनुदान पंचायती राज संस्थाओं को विलम्ब से हस्तांतरण पर ब्याज की गणना

(₹ yk[k esa)

Ø-	vuqnku dk uke	dsUnz ljdkj ls izkIr		dks"kky; ls vkgj.k			iapk;rh jkt dks gLrkarj.k		gLrkarj.k esa foyac fnuksa esa	jkf'k ftl ij C;kt dh x.kuk dh xbZ	C;kt dh jkf'k[3]
		jkf'k	fnukad	ns;d Ø-	fnukad	jkf'k	jkf'k	fnukad			
1	सामान्य मूल अनुदान-I	23985	8.12.11	395	14.12.11	23788.00	23788	16.12.11	3	23788	11.73
2	विशेष क्षेत्र मूल अनुदान–I	1128	8.12.11	394	14.12.11	1128.00	1128	16.12.11	3	1128	0.56
3	सामान्य निष्पादन अनुदान–I	8270	31.3.12	592	31.3.12	7475.00	5000	11.9.12	159	5000	206.92
				593	31.3.12	795.00					
4	सामान्य निष्पादन अनुदान (व्यपगत[4])	2383.09	31.3.12	24	11.4.12	2383.09	3450	14.9.12	162	3450	145.47
5	सामान्य निष्पादन अनुदान (व्यपगत)	3349.19	31.3.12	23	11.4.12	3349.19	2400	20.9.12	168	2400	104.94
6	–	–	–	–	–	–	1975	24.9.12	172	1975	88.42
7	–	–	–	–	–	–	1175	11.12.12	250	1175	76.46
	योग										634.50

स्त्रोत– वित्त विभाग मध्य प्रदेश शासन तथा आयुक्त पंचायत राज

उपयुक्त तालिका के अनुसार सामान्य मूल अनुदान तथा विशेष क्षेत्र मूल अनुदान ग्राम पंचायतों को तीन दिन विलंब से हस्तांतरित किया गया । उसी प्रकार सामान्य निष्पादन अनुदान की प्रथम किश्त तथा सामान्य निष्पादन अनुदान व्यपगत की राशि ग्राम पंचायतों को 159 दिनों से 250 दिनों तक के विलंब से हस्तांतरित किया गया। वित्त विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार पंचायतों को विलंबित भुगतान के लिए राशि ₹ 6.35 करोड का भुगतान करना था। यह भी देखा गया कि आयुक्त पंचायत राज द्वारा 2010–11 के अनुदान को विलंब से जारी किए जाने से देय ब्याज की राशि ₹ 2.98 करोड़ ग्राम पंचायतों को जारी किये जाने हेतु आहरित नहीं किया गया।

इंगित किए जाने पर आयुक्त पंचायत राज द्वारा उत्तर (दिसंबर 2012) दिया गया कि ब्याज की स्वीकृति के प्रस्ताव राज्य शासन को भेज दिये गये थे।

आगे नमूना जांच किए गए 116 ग्राम पंचायतों में देखा (सितंबर से अक्टूबर 2012) गया कि सामान्य मूल अनुदान के प्रथम किश्त के जारी किए जाने में 20 से 125 दिन का विलंब हुआ तथा सामान्य मूल अनुदान के द्वितीय किश्त को जारी कर उनके बैंक खातों में जमा किए जाने पर 23 से 190 दिनों का विलंब हुआ जैसा कि ifjf'k"V 2-2 में

[3] भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर दिनांक 13.2.12 से 06 से 9.50 प्रति वर्ष संशोधित की गई थी उसी आधार पर ब्याज की गणना की गई है

[4] असराहनीय प्रदर्शनकारी राज्यों के व्यपगत अनुदान

दर्शाया गया है । अतः ग्राम पंचायतों को विलंबित अवधि के ब्याज से वंचित किया गया।

2-1-3 fu"iknu vuinku xke ipk;rk dk tkjh u fd;k tkuk

भारत सरकार के दिशा निर्देशों के पैरा 6.4.2(अ) के अनुसार राज्य सरकार को पंचायत राज संस्थाओं द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित एक बजट अभिलेख प्रस्तुत करेगा जिसमें अनुदानों के अंतरण का योजना व गैर योजनावार विस्तृत वर्गीकरण मुख्य शीर्ष से आब्जेक्ट शीर्ष में पृथक से दिया जायेगा तथा उसे मुख्य बजट के अंतर्गत लधुशीर्ष 196,197 एवं 198 में दर्शाया जायेगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयुक्त पंचायत राज एवं अन्य संबंधितों को (सितंबर 2012) निर्देशित किया गया था कि निष्पादन अनुदान के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुदान राशि का न्यूनतम 70 प्रतिशत ग्राम पंचायतों के लिए होगा।

आयुक्त पंचायत राज के अभिलेखों की समीक्षा में देखा गया कि वर्ष 2011–12 में कोषालय सामान्य निष्पादन अनुदान के रूप में ₹140.02 करोड़ (सामान्य निष्पादन अनुदान की प्रथम किश्त राशि ₹ 82.70 करोड़ तथा अन्य राज्यों व्यपगत अनुदान अंश ₹ 57.32 करोड़) आहरित किए गये थे जिसमें से ₹140 करोड़ जिला पंचायतों[5] तथा जनपद पंचायतों[6] को (सितंबर 2012 से दिसंबर 2012) जारी किए गये थे। आगे यह भी देखा गया कि आयुक्त पंचायत राज द्वारा ग्राम पंचायतों को कोई राशि जारी नही की गई ।

इंगित किए जाने (नवंबर 2012) पर आयुक्त पंचायत राज ने (दिसंबर 2012) उत्तर दिया कि निधियों का उपयोग पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार किया गया । उत्तर मानने योग्य नहीं है क्योंकि 70 प्रतिशत अनुदान राशि ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित नहीं की गई ।

2-1-4 xke ipk;rk }kjk okf"kd dk;l ;ktuk r;kj fd, fcuk 0;; fd;k tkuk

तेरहवें वित्त आयोग के राज्य के दिशा निर्देशों के पैरा 6 के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत को वार्षिक कार्य योजना (शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट)ग्राम सभा के अनुमोदन से तैयार करना चाहिये। उसके पश्चात ग्राम पंचायत शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत को सूचनार्थ प्रेषित करेंगी तथा ग्राम पंचायतें शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट के अनुसार कार्य करेंगी ।

मंडला एवं सागर जिलों के जनपदों की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान देखा गया कि वार्षिक कार्य योजना तैयार किये बिना निर्माण कार्यो के कार्यान्वयन पर व्यय किया गया।

इस संबंध में इंगित किए जाने (सितम्बर एवं अक्टूबर 2012) पर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपर पंचयत ने उत्तर दिया कि जनपद स्तर पर पंचपरमेश्वर योजना के लिए कार्य योजना तैयार की गई थी, तदनुसार कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया था । इस प्रकार 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत बिना वार्षिक कार्य योजना तैयार किए कार्य कराये गये ।

---

[5] ₹ 1.00 करोड़ प्रति जिला पंचायत ₹50.00 + 11.75 करोड़ (जिला पंचायत देवास ₹ 1.75 करोड़, सिहोर ₹4.00 करोड़, रायसेन 1.00 करोड़, विदिशा 2.00 करोड़ तथा सागर 3.00 करोड़

[6] ₹ 0.25 करोड़ प्रति जनपद पंचायत ₹ 78.25 करोड़

2-1-5 b&ipk;r ;ktuk dk detkj क्रियान्वयन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा तेंरहवे वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त अनुदान एवं उनके उपयोग के लिए जारी (अगस्त 2010)राज्य के दिशा निर्देशों के पैरा 4.1 के अनुसार ग्रम पंचायतों में वर्ष 2010–15 की अवधि में ई पंचायत प्रक्रिया लागू करने के लिए सामान्य मूल अनुदान एवं सामान्य निष्पादन अनुदान में से ₹ 745.19 करोड़ कटौत्रा की गई । उक्त राशि में से ₹ 147.50 करोड़ वर्ष 2010–12 के लिए उपलब्ध कराये जाने थे, जैसा नीचे तालिका में दर्शाया गया हैः–

o"k	dy ikIr vunku	b xouil d fy, dV©rh ;kX; jkf'k	xke ipk;rk dk tk jkf'k tkjh dh tkuh Fkh
2010–11	383.10	46.34	336.76
2011–12	596.07	101.16	494.91
योग	979.17	147.50	831.67

स्त्रोतः पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश

राज्य के प्रमुख सचिव ने पांचवी (अगस्त 2012) उच्च स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में आयुक्त पंचायत राज को निर्देशित किया कि ई पंचायत के लागू करने के संबंध में व्यय करने की प्रकिया भारत सरकार पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय से अनुमोदित करावें।

हमने देखा कि आयुक्त पंचायती राज द्वारा (सितंबर 2010) कोषालय से ₹ 191.55 करोड़ आहरित किया गया एवं उसमें से राशि ₹ 141.21 करोड़ ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किये गये। शेष राशि ₹ 46.34 करोड़ आयुक्त पंचायत राज द्वारा ई पंचायत योजना के कियान्वयन के लिए बैंक खाते में जमा रखा गया । आगे, आयुक्त पंचायत राज द्वारा (मार्च 2011) राशि ग्राम पंचायतों को अंतरित किये जाने के स्थान पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भोपाल के बैंक खाते में जमा की गई । उक्त राशि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के खाते में दिनांक 7.11.2011 तक निरूउद्देश्य थी।

उक्त निरूउद्देश्य राशि ₹ 46.34 करोड़ (नवंबर 2011) एवं ब्याज की राशि ₹ 97 लाख (दिसंबर 2012), मध्य प्रदेश राज्य तकनीकी ई पंचायत समिति को स्थानांतरित किया गया, जो कि ई –गवर्नेंस के प्रोत्साहन हेतु बनाई (जनवरी 2011) गई थी।

मध्य प्रदेश राज्य तकनीकी ई–पंचायत समिति (फरवरी 2012) सिर्फ 42 जिला पंचायतों के 947 ग्राम पंचायतों को ₹ 9.47 करोड़[7] स्थानांनरित किए गए तथा ₹ 1.41 करोड़ (फरवरी 2012 में ₹ 74 लाख तथा मार्च 2012 में ₹ 67 लाख) बीएसएनएल को ग्राम पंचायतों को कनेक्टीविटी प्रदान करने हेतु भुगतान किए गये। किन्तु मध्य प्रदेश तकनीकी ई पंचायत समिति ने वर्ष 2011–12 तक ₹ 10.88 करोड़ (₹9.47 करोड़ + ₹ 1.41 करोड़) के स्थान पर राशि ₹ 11.03 करोड़ व्यय किया जाना दर्शाया। अन्तर राशि ₹ 15 लाख (₹ 11.03–10.88 करोड़) का अंतर स्पष्ट नही था । शेष राशि ₹ 36.28 करोड़ (दिसंबर 2012) अनुपयोगी पडी रही । आयुक्त पंचायत राज ने वर्ष

[7] ₹ एक लाख प्रति ग्राम पंचायत

2011–12 में कुल प्राप्त राशि ग्राम पंचायतों को ई गवर्नेंस की राशि ₹ 101.16 करोड़ की कटौती किये बिना ही हस्तांतरित कर दिया, जिससे म0प्र0 राज्य तकनीकी ई–पंचायत समिति को कोई राशि प्रदाय नहीं किया गया।

हमनें यह भी देखा कि प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार आयुक्त पंचायत राज द्वारा उक्त व्यय के लिए व्यय प्रक्रिया का अनुमोदन भारत सरकार पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय से नहीं कराया गया।

इंगित किए जाने (नवंबर 2012) पर, अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्य प्रदेश राज्य तकनीकी ई–पंचायत समिति ने (दिसंबर 2012) बताया कि शासन के निर्देशानुसार सहमति लेखा परीक्षा तथा प्रीफेब्रीकेटेड/परंपरागत ई–पंचायत रूम के निर्माण हेतु शेष राशि के हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है ।

उत्तर दिशानिर्देशों के अनुरूप नही है क्योंकि राशि ₹ 46.34 करोड़ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, भोपाल के खातें में (मार्च 2011 से नवंबर 2011) सात माह तक निरूउद्देश्य पड़ी रही तथा केवल ₹ 11.03 करोड़ दिसंबर 2012 तक उपयोग की जा सकी तथा वर्ष 2011–12 में कोई भी राशि कटौती नहीं किया जाना राज्य में ई गवर्नेंस के क्रियान्वयन की कमी को दर्शाता है ।

2-1-6 mi;kfxrk iek.k i=k dk viLrqr jguk

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा तेरहवें वित्त आयोंग के अनुदान के लिए जारी दिशा निर्देशों के पैरा 11 के अनुसार प्रत्येक जिला पंचायत द्वारा ग्राम पंचायतों एवं जनपद पंचायतों द्वारा सूचित व्यय के आंकडों को संकलित कर, एकीकृत उपयोगिता प्रमाण पत्र आयुक्त पंचायत राज को प्रत्येक माह की 15 तारीख तक भेजना था ।

इस संबंध में दो जिला (मंडला एवं सागर) के 116 ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की नमूना जांच में देखा गया कि ग्राम पंचायतों द्वारा कोई उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार नहीं किये गये। यद्यपि ₹ 6.68 करोड़ की उपलब्ध राशि में से केवल ₹ 2.86 करोड़ व्यय किए गये तथा ₹ 3.82 करोड़ (57 प्रतिशत) संबंधित के पास बिना व्यय के पड़ी थी।

इंगित किए जाने पर आयुक्त पंचायत राज ने (दिसंबर 2012) बताया कि उपयोगिता प्रमाण पत्रों के संकलन का कार्य किया जा रहा है । अद्यतन जानकारी (मई 2013) मांगी गई उत्तर प्रतीक्षित रहा।

2-1-7 djk@miHkkDrk iHkkj dh olwyh

2-1-7-1 lEifRr dj dk vf/kjksi.k@olwyh u gksuk

भारत सरकार के दिशा निर्देशों के पैरा 6.4.8 के अनुसार समस्त स्थानीय निकायों को सम्पत्ति कर (सभी प्रकार के आवासीय एवं वाणिज्यिक सम्पत्तियों पर कर को सम्मिलित कर) के अधिरोपण के लिए समर्थ होना चाहिये तथा इस संबंध में किसी भी बाधा को दूर करना चाहिये । आगे, राज्य के दिशा निर्देशों के पैरा 3.2 के अनुसार ग्राम पंचायतों को कराधान के लिए प्रोत्साहित करने लिए एक निधि (13 वें वित्त आयोग के अनुदान का पांच प्रतिशत) का प्रावधान किया जाना था ।

116 ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की समीक्षा में देखा गया कि केवल 56 ग्राम पंचायतों (48 प्रतिशत) ने सम्पत्ति कर का अधिरोपण किया तथा वर्ष 2011–12 में वसूली योग्य राशि ₹ 29.75 लाख (पिछला वर्ष की ₹ 20.19 लाख एवं इस वर्ष की ₹ 9.56 लाख) में से ₹ 2.16 लाख (सात प्रतिशत) वसूल किए गये । विवरण ifjf'k"V 2-4 में दर्शित है ।

इंगित किए जाने पर (दिसंबर 2012) आयुक्त पंचायत राज ने निधि के प्रावधान तथा ग्राम पंचायतों को कराधान के प्रोत्साहन हेतु जारी किए जाने का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया ।

2-1-7-2 yfcr mi HkkDrk i Hkkjk dh olyh u gkuk

राज्य शासन की तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान की दिशा निर्देशों के पैरा 4.3.1 के अनुसार नल जल योजना के अंतर्गत जल आपूर्ति के लिए नल कनेक्शन के उपभोक्ताओं से उपभोक्ता प्रभार वसूल करना था ।

मंडला एवं सागर जिले के 116 ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की समीक्षा में देखा गया कि नल जल योजना केवल 28 ग्राम पंचायतों (24 प्रतिशत) में क्रियान्वयन थी। जल आपूर्ति के लिए उपभोक्ता प्रभार के लिए देय कुल राशि ₹ 42.07 लाख में से ₹ 32.30 लाख (77 प्रतिशत) की वसूली लंबित थी । विवरण **परिशिष्ट 2.5** दर्शाया गया है।

इंगित किए जाने पर (सितंबर से अक्टूबर 2012) ग्राम पंचायतों ने बताया कि उपभोक्ता प्रभारों की वसूली की जायेगी। अद्यतन स्थिति की जानकारी मांगे (मई 2013) जाने पर उत्तर प्रतीक्षित था ।

2-1-8 lkekftd vads{k.k u fd;k tkuk

तेरहवें वित्त आयोग अनुदान के लिए राज्य शासन के दिशा निर्देशों के पैरा 9.2 के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ग्राम सभा की बैठक में निर्माण एवं विकास कार्यो का त्रैमासिक सामाजिक अंकेक्षण किया जाना था ।

मंडला एवं सागर जिले के 116 ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की समीक्षा में देखा गया कि 107 ग्राम पंचायतों (92 प्रतिशत) में सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया गया जिसका विवरण ifjf'k"V 2-6 में दर्शाया गया है।

इंगित किए जाने पर ग्राम पंचायतों ने उत्तर में बताया कि सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा । मई 2013 में मांगी गई अद्यतन जानकारी पर उत्तर प्रतीक्षित था ।

2-1-9 fuxjkuh ,oa eY;kadu dh deh

भारत शासन के दिशा निर्देशों के पैरा 9.1 अनुसार प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय निगरानी समिति गठित की जायेगी जिसमें वित्त सचिव एवं संबंधित विभागों की सचिव सदस्य के रूप में शामिल होंगे। उच्च स्तरीय निगरानी समिति जहां उपयोगी हो प्रत्येक अनुदान के विशिष्ट शर्तों को पालन किया जाना सुनिश्चित करायेंगे।

वित्त विभाग द्वारा राज्य के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय निगरानी समिति (जुलाई 2010) गठित की गई थी। उच्च स्तरीय निगरानी समिति की वित्तीय वर्ष के प्रत्येक तिमाही में, न्यूनतम एक बैठक आयोजित की जानी थी।

हमनें यह देखा कि (दिसंबर 2012) तक आवश्यक 10 बैठकों के स्थान पर केवल 5 बैठकें आयोजित की गई, जो निगरानी की कमी को दर्शाती है ।

2-1-10 fu"d"k

- तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को प्राप्त स्थानीय निकाय अनुदान निर्धारित अवधि में पंचायत राज संस्थाओं को अंतरित नही किया गया । परिणामस्वरूप शासन पर ₹ 2.98 करोड़ एवं ₹ 6.35 करोड़ के उत्तरदायित्व क्रमशः वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में निर्मित हुआ।

(पैरा 2.1.2)

- 70 प्रतिशत निष्पादन अनुदान ग्राम पंचायत को अंतरित नहीं किया गया ।

(पैरा 2.1.3)

- ग्राम पंचायतों द्वारा निर्माण कार्यो के क्रियान्वयन के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं किया गया।

(पैरा 2.1.4)

- ग्राम पंचायतों में ई पंचायत योजना के क्रियान्वयन के लिये वर्ष 2011–12 में कोई निधि उपलब्ध करायी गई थी ।

(पैरा 2.1.5)

- ग्राम पंचायतों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये ।

(पैरा 2.1.6)

- अधिकांश ग्राम पंचायतों द्वारा सामाजिक अंकेक्षण नहीं कराया गया ।

(पैरा 2.1.8)

- प्रभावी निगरानी की कमी के कारण किए गये व्यय की स्थानीय निकाय वार तथा मद वार स्थिति उपलब्ध नहीं थी ।

(पैरा 2.1.9)

2.2 बैंक dk दिवालिया होने के कारण ₹ 1.82 करोड़ की हानि

cSd dk fnokfy;k gksus ls ;kstuk jkf'k ₹1-82 djksM+ dh gkfu dk ifj.kkeLo:i ;kstukvksa dk fdz;kUo;u ugh gksukA

सचिव, शहरी कल्याण विभाग की अध्यक्षता में तथा जिला विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारियों की उपस्थिति में भोपाल में एक बैठक आयोजित (मई 1992) की गई, जिसमें यह निर्देशित किया गया कि लेन देनों के खाते केवल वाणिज्यिक बैंक में हीं खोले जायें तथा सहकारी बैंक या ग्रामीण बैंक में नहीं।

जनपद पंचायत बुरहानपुर एवं खकनार के अभिलेखों की समीक्षा (अक्टूबर एवं नवंबर 2012) में देखा गया कि राशि ₹ 1.65 करोड़ तथा ₹ 0.17 करोड़ (अक्टूबर 2012 को शेष)सिटीजन कॉपरेटिव बैंक बुरहानपुर में जमा था। सिटीजन कोओपरेटिव बैंक बुरहानपुर को बैंकिंग व्यवसाय करने से 15 जनवरी 2005 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रोक लगा दी गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उक्त बैंक का बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए स्वीकृत लायसेंस इस आधार पर रद्द (मई 2009) कर दिया गया था, कि बैंक अपने जमाकर्ताओं को पूर्ण राशि भुगतान करने की स्थिति में नहीं था। इस स्थिति में ₹ 1.82 करोड़ आहरित नही किये जा सके। आगे राशि की आंशिक एवं संपूर्ण वसूली संदिग्ध हो गया।

इस संबंध में (अक्टूबर एवं नवंबर 2012) में इंगित किए जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुरहानपुर तथा खकनार ने वास्तविकता स्वीकार करते हुए उत्तर दिया (अक्टूबर एवं नवंबर 2012) कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सिटीजन

कोओपरेटिव बैंक पर रोक लगा देने के कारण राशि आहरित नही की जा सकी, परिणामस्वरूप शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन बुरी तरह से प्रभावित हुआ ।

आयुक्त पंचायत राज ने भी वास्तविकता स्वीकार (अप्रैल 2013) किया।

इस प्रकार योजनाओं की निधि वाणिज्यिक बैंकों में जमा करने के विभागीय निर्देशों का पालन नहीं करने से ₹ 1.82 करोड़ की हानि हुई तथा योजनाओं के उचित क्रियान्वयन नहीं हो सका एवं हितग्राही निर्धारित लाभ से वंचित रहे।

प्रकरण शासन के ध्यान में लाया गया (दिसंबर 2012 एवं मई 2013) उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुये।

दिनांक :

(t0 vkj0 ehuk)

स्थान : ग्वालियर

उप महालेखाकार

(सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा–प्रथम)

मध्यप्रदेश

ifrgLrk{kfjr

दिनांक :

(d0 d0 JhokLro)

स्थान : ग्वालियर

प्रधान महालेखाकार

(सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा)

मध्यप्रदेश

परिशिष्ट-1.1 (भाग-I)

lanHkZ: iSjkxzkQ 1-3 ¼पृष्ठ क्र. 2½

वर्ष 2011-12 के दौरान लेखापरीक्षित नगरीय स्थानीय निकायों की सूची

uxj ikfyd fuxe

l-Ø-	uxj ikfyd fuxe dk uke
1	नगर पालिक निगम, इन्दौर
2	नगर पालिक निगम, ग्वालियर
3	नगर पालिक निगम, जबलपुर
4	नगर पालिक निगम, रीवा
5	नगर पालिक निगम, सागर
6	नगर पालिक निगम, उज्जैन
7	नगर पालिक निगम, सिंगरोली
8	नगर पालिक निगम, कटनी
9	नगर पालिक निगम, बुरहानपुर
10	नगर पालिक निगम, सतना

uxj ikfydk

l-Ø-	uxj ikfydkv¨a dk uke
1	नगर पालिका, डबरा ग्वालियर
2	नगर पालिका, मनावर धार
3	नगर पालिका, नेपानगर बुरहानपुर
4	नगर पालिका, महीदपुर उज्जैन
5	नगर पालिका, खाचरौद उज्जैन
6	नगर पालिका, शुजालपुर शाजापुर
7	नगर पालिका, आगर शाजापुर
8	नगर पालिका, बेगमगंज रायसेन
9	नगर पालिका, सिरोंज विदिशा
10	नगर पालिका, होशंगाबाद
11	नगर पालिका, अमला बैतूल
12	नगर पालिका, देवरी सागर
13	नगर पालिका, सीधी
14	नगर पालिका, मैहर सतना
15	नगर पालिका, पनागर जबलपुर
16	नगर पालिका, छिंदवाड़ा
17	नगर पालिका, पाण्डुरना छिंदवाड़ा
18	नगर पालिका, गाडरवारा जबलपुर

uxj **परिषद**

l-Ø-	uxj **परिषद** d¡ uke
1	नगर परिषद, भितरवार ग्वालियर
2	नगर परिषद, आंतरी ग्वालियर
3	नगर परिषद, भांडेर दतिया
4	नगर परिषद, बदरवास शिवपुरी
5	नगर परिषद, दबोह भिंड
6	नगर परिषद, विजयपुर श्योपुर
7	नगर परिषद, बेटमा इन्दौर
8	नगर परिषद, देपालपुर इन्दौर
9	नगर परिषद, सांवेर इन्दौर
10	नगर परिषद, गौतमपुरा इन्दौर
11	नगर परिषद, बदनावर धार
12	नगर परिषद, खेतिया बड़वानी
13	नगर परिषद, महेश्वर खरगौन
14	नगर परिषद, आरोन गुना
15	नगर परिषद, तराना उज्जैन
16	नगर परिषद, उन्हेल उज्जैन
17	नगर परिषद, मनासा नीमच
18	नगर परिषद, कन्नौद देवास
19	नगर परिषद, नलखेड़ा शाजापुर
20	नगर परिषद, सुसनेर शाजापुर
21	नगर परिषद, सैलाना रतलाम
22	नगर परिषद, बाडावदा रतलाम
23	नगर परिषद, शामगढ़ मदंसौर
24	नगर परिषद, लटेरी विदिशा
25	नगर परिषद, कुरवाई विदिशा
26	नगर परिषद, देवेन्द्रनगर पन्ना
27	नगर परिषद, खजुराहो छतरपुर
28	नगर परिषद, लखनादौन सिवनी
29	नगर परिषद, पृथ्वीपुर टीकमगढ़
30	नगर परिषद, खरगापुर टीकमगढ़
31	नगर परिषद, चित्रकूट सतना
32	नगर परिषद, चंदिया उमरिया
33	नगर परिषद, पाली उमरिया
34	नगर परिषद, नौरोजाबाद उमरिया
35	नगर परिषद, भेड़ाघाट जबलपुर
36	नगर परिषद, पाटन जबलपुर
37	नगर परिषद, विजयराधवगढ़. कटनी
38	नगर परिषद, कटंगी बालाघाट
39	नगर परिषद, हर्रई छिंदबाड़ा
40	नगर परिषद, शाहपुरा डिन्डोरी

परिशिष्ट-1.2 (Hkkx&1)

lnHk: ijkxkQ 1-11 ¼पृष्ठ क्र. 7½

बैंक सामाधान पत्रक तैयार नहीं किया जाना

(₹ लाख में)

l-Ø	bdkbZ dk uke	दि. 31.3.12 को रोकड़ बही के अनुसार शेष	दि. 31.3.12 को पासबुक के अनुसार शेष	vUrj
1	**2**	**3**	**4**	**5 (4-3)**
1.	आयुक्त नगर निगम, खंडवा	568.78	948.38	379.60
2.	आयुक्त नगर निगम, रीवा	651.78	684.97	33.19
3.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका नरसिंहपुर	245.19	247.17	1.98
4.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका झाबुआ	165.58	183.82	18.24
5.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका दमोह	520.57	539.60	19.03
6.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका खरगोन	661.83	730.31	68.48
7.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद पेटलावाद	69.94	74.56	4.62
8.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद मानपुर	32.39	36.03	3.64
9.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद, बामोर (मुरैना)	29.23	70.98	41.75
	योग	**2945.29**	**3515.82**	**570.53**
10	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद कन्नौद (देवास)	12.89	11.75	-01.14
11	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद करेली (नरसिंहपुर)	465.59	358.01	-107.58
	योग	**478.48**	**369.76**	**-108.72**

स्त्रोत-संबंधित नगरीय स्थानीय निकाय के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

परिशिष्ट-1.3 (भाग-I)

lanHkZ: ijkxkQ 1-12 ¼पृष्ठ क्र. 7½

uxjh; fudk;¨a }kjk असंग्रहित djksa dk fooj.k

(₹ लाख में)

Lk- Ø-	bdkbZ dk uke	fiNys o"kZ dk ,fj;j	वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिये मांगे	dqy ekax	dqy ,df=r dj	असंग्रहित कर की राशि
1	2	3	4	5	6	7 (5-6)
1	आयुक्त नगर निगम, भोपाल	201.45	332.07	533.52	302.05	231.47
2	आयुक्त नगर निगम, खंडवा	310.35	342.41	652.76	360.97	291.79
3	आयुक्त नगर निगम, रतलाम	239.41	507.72	747.13	400.81	346.32
4	आयुक्त नगर निगम, उज्जैन	1244.77	2330.00	3574.77	823.55	2751.22
5	मुख्य नगर पालिका, अधिकारी नगर पालिका, नरसिंहपुर	71.74	79.12	150.86	109.75	41.11
6	मुख्य नगर पालिका, अधिकारी नगर पालिका मुरैना	429.40	183.27	612.67	174.73	437.94
7	मुख्य नगर पालिका, अधिकारी नगर पालिका, खरगौन	24.64	76.96	101.60	89.93	11.67
8	मुख्य नगर पालिका, अधिकारी नगर पालिका, दमोह	407.44	107.24	514.68	116.87	397.81
9	मुख्य नगर पालिका, अधिकारी नगर परिषद, करेली	133.00	55.72	188.72	50.29	138.43
10	मुख्य नगर पालिका, अधिकारी नगर पालिका, नागदा	153.02	89.73	242.75	135.59	107.16
11	मुख्य नगर पालिका, अधिकारी नगर पालिका, झाबुआ	30.88	47.17	78.05	42.58	35.47
12	मुख्य नगर पालिका, अधिकारी नगर परिषद, पेटलावाद	9.27	16.69	25.96	21.03	4.93
13	मुख्य नगर पालिका, अधिकारी नगर परिषद, कन्नौद	15.70	19.96	35.66	23.57	12.09
14	मुख्य नगर पालिका, अधिकारी नगर परिषद, मानपुर	5.37	2.41	7.78	2.19	5.59
15	मुख्य नगर पालिका, अधिकारी नगर परिषद, व्यौहारी, शहडोल	31.54	13.24	44.78	12.98	31.80
16	मुख्य नगर पालिका, अधिकारी नगर परिषद, सतवास देवास	8.21	8.68	16.89	11.75	5.14
17	मुख्य नगर पालिका, अधिकारी नगर परिषद, ओरछा टीकमगढ़	21.83	7.62	29.45	5.29	24.16
18	मुख्य नगर पालिका, अधिकारी नगर परिषद, बानमोर, मुरैना	62.75	23.66	86.41	37.74	48.67
	;ksx	**3400.77**	**4243.67**	**7644.44**	**2721.67**	**4922.77**

स्त्रोत-संबंधित नगरीय स्थानीय निकाय के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

परिशिष्ट-1.4 (भाग-I)

lnHkZ: ijkxkQ 1-12 ¼पृष्ठ क्र. 8½

uxjh; fudk;ksa }kjk असंग्रहित गैर कर राजस्व का विवरण 31.03.2012 dh fLFkfr esa

(₹ लाख में)

क्र.	bdkbZ dk uke	पूर्व वर्ष का शेष	चालू वर्ष 2011-12 की मांग	योग	कुल संग्रहित कर	असंग्रहित गैर कर राजस्व की राशि
1	2	3	4	5	6	7 (5-6)
1	नगर निगम, खंडवा	123.66	69.59	193.25	108.12	85.13
2	नगर निगम, रतलाम	244.87	356.40	601.27	258.91	342.36
3	नगर निगम, भोपाल	61.74	158.09	219.83	142.23	77.60
4	नगर निगम, उज्जैन	1103.27	551.88	1655.15	455.50	1199.65
5	मुख्य नगर पालिका, अधिकारी नगर पालिका मुरैना	216.62	44.10	260.72	20.72	240.00
6	मुख्य नगर पालिका, अधिकारी नगर पालिका, खरगौन	11.83	83.12	94.95	78.57	16.38
7	मुख्य नगर पालिका, अधिकारी नगर पालिका दमोह	114.22	12.02	126.24	18.20	108.04
8	मुख्य नगर पालिका, अधिकारी नगर परिषद, करेली	15.92	11.13	27.05	8.90	18.15
9	मुख्य नगर पालिका, अधिकारी नगर पालिका नागदा	42.23	27.96	70.19	31.55	38.64
10	मुख्य नगर पालिका, अधिकारी नगर पालिका नरसिंहपुर	40.08	40.05	80.13	49.02	31.11
11	मुख्य नगर पालिका, अधिकारी नगर परिषद, पेटलाबाद झाबुआ	6.73	10.60	17.33	9.00	8.33
12	मुख्य नगर पालिका, अधिकारी नगर परिषद, बानमोर मुरैना	15.91	6.05	21.96	6.13	15.83
13	मुख्य नगर पालिका, अधिकारी नगर परिषद, मानपुर	0.90	5.41	6.31	5.26	1.05
14	मुख्य नगर पालिका, अधिकारी नगर परिषद, कन्नौद देवास	5.22	11.97	17.19	12.39	4.80
15	मुख्य नगर पालिका, अधिकारी नगर परिषद, ब्यौहारी, शहडोल	6.07	4.10	10.17	4.32	5.85
16	मुख्य नगर पालिका, अधिकारी नगर परिषद, सतवास, देवास	1.84	2.53	4.37	3.40	0.97
17	मुख्य नगर पालिका, अधिकारी नगर परिषद, ओरछा, टीकमगढ़	0.70	3.10	3.80	3.00	0.80
	;kx	**2011.81**	**1398.1**	**3409.91**	**1215.22**	**2194.69**

स्त्रोत- संबंधित नगरीय स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन

परिशिष्ट 1.5 (भाग-I)

lnHk: i\jkxkQ 1-13 ¼पृष्ठ क्र. 8½

नगरीय स्थानीय निकायों }kjk वर्ष 2011-12 में असमायोजित अग्रिमों को दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्र.	निकाय का नाम	अग्रिम का प्रयोजन	असमायोजित राशि
1.	आयुक्त नगर पालिक निगम, भोपाल	विभागीय कार्य	24.92
2.	आयुक्त नगर पालिक निगम, खंडवा	––तदैव––	51.58
3.	आयुक्त नगर पालिक निगम, ग्वालियर	––तदैव––	86.35
4.	आयुक्त नगर पालिक निगम, रतलाम	––तदैव––	15.73
5.	आयुक्त नगर पालिक निगम, रीवा	––तदैव––	102.66
6.	आयुक्त नगर पालिक निगम, उज्जैन	––तदैव––	212.12
7.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद, बानमोर	––तदैव––	0.64
8.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका, दमोह	––तदैव––	216.98
9.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका, हरदा	––तदैव––	63.18
10.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका, जावरा	––तदैव––	64.20
11.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद, व्यौहारी	––तदैव––	2.82
12.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद, सतवास	––तदैव––	14.28
13.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद, ओरछा	––तदैव––	0.47
;kx			**855.93**

स्त्रोत- संबंधित नगरीय स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन

परिशिष्ट 2.1 (भाग-I)

lnHk: ijkxkQ 2-1-5 ¼पृष्ठ क्र. 12½

चयनित नगरीय स्थानीय निकायों की सूची

l-Ø-	uxj पालिक fuxe	l-Ø-	नगर पालिका	l-Ø-	नगर परिषद
01	भोपाल	05	अलीराजपुर	21	व्यौहारी
02	ग्वालियर	06	भिंड	22	बुदनी
03	इन्दौर	07	छतरपुर	23	बुढार
04	स्तना	08	छिंदवाड़ा	24	चांदामेटा
		09	इटारसी	25	चित्रकूट
		10	केलार	26	खजुराहो
		11	मन्डीदीप	27	लौंडी
		12	नेपानगरे	28	मउगंज
		13	परासिया	29	मक्सी
		14	राधोगढ़	30	नागोद
		15	सीहोर	31	नसरुल्लागंज
		16	सिवनी मालवा	32	नौरोजाबाद
		17	शहडोल	33	सोहागपुर
		18	शुजालपुर		
		19	उमरिया		
		20	विदिशा		

परिशिष्ट- 2.2 ¼Hkkx&1½

¼lanHkZ % iSjkxzkQ 2-1-6-4½ ¼v½ **पृष्ठ क्र. 16)**

uxjh; LFkkuh; fudk;¨a dh lwph tgk¡ ;¨tuk dh jk**शि अवरूद्ध रखी गयी।**

(₹ लाख में)

सरल क्र	नगरीय स्थानीय निकाय का नाम	पूर्व शेष			2007-08			2008-09			2009-10		
		प्राप्त राशि	व्यय	शेष	प्राप्त राशि	व्यय	शेष	प्राप्त राशि	व्यय	शेष	प्राप्त राशि	व्यय	शेष
01	अलीराजपुर	7.54	5.29	2.25	7.54	7.00	0.54	7.54	4.95	2.59	7.54	0	7.54
02	भिंड	69.19	0.55	68.64	46.11	0	46.11	69.19	21.45	47.74	46.14	0	46.14
03	बुढार	8.55	3.87	4.68	2.85	0	2.85	5.70	0	5.70	5.70	8.53	-2.83
04	बुदनी	6.60	0	6.60	4.40	0	4.40	6.59	12.55	-5.96	4.40	4.51	-0.11
05	चांदामेटा	8.17	0	8.17	5.44	0	5.44	8.17	10.06	-1.89	5.44	0	5.44
06	छतरपुर	44.74	6.10	38.64	29.81	27.48	2.33	44.75	0	44.75	29.83	3.88	25.95
07	छिंदवाड़ा	73.33	16.79	56.54	36.66	10.93	25.73	36.66	14.47	22.19	36.66	0	36.66
08	चित्रकूट	14.29	5.37	8.92	7.14	0.29	6.85	7.14	0.28	6.86	7.14	22.65	-15.51
09	इटारसी	42.12	0	42.12	28.07	0	28.07	42.13	7.25	34.88	28.08	10.8	17.28
10	लोंडी	25.80	12.88	12.92	12.90	6.95	5.95	12.90	7.15	5.75	12.90	6.49	6.41
11	मक्सी	8.64	11.76	-3.12	8.76	0	8.76	5.84	10.8	-4.96	5.84	0	5.84
12	मंडीदीप	25.50	4.75	20.75	12.75	0	12.75	12.75	0	12.75	12.75	0	12.75
13	महूगांव	9.90	3.99	5.91	6.60	0	6.60	9.90	0	9.90	6.60	9.49	-2.89
14	नागोद	12.40	0	12.40	6.20	0	6.20	6.20	0	6.20	6.20	0	6.20
15	नसरुल्लागंज	7.45	0	7.45	5.49	0	5.49	5.49	0	5.49	5.49	2.98	2.51
16	नौरोजाबाद	14.40	10.24	4.16	7.20	0	7.20	7.20	7.53	-0.33	7.20	0	7.20
17	नेपानगर	14.25	0	14.25	4.75	0	4.75	14.50	9.50	5.00	4.75	0	4.75
18	परासिया		0.00	11.36	11.35	0	11.35	11.34	1.99	9.35	11.35	1.53	9.82
19	राघोगढ़	22.20	2.49	19.71	14.79	0	14.79	22.19	2.50	19.69	14.77	19.64	-4.87
20	सीहोर	40.93	32.12	8.81	27.28	18.95	8.33	40.93	10.51	30.42	27.29	0	27.29
21	सिवनी मालवा	7.90	0	7.90	7.90	0	7.90	11.86	1.43	10.43	7.90	0	7.90
22	शहडोल	47.06	7.09	39.97	23.53	15.81	7.72	23.54	9.24	14.30	23.53	20.33	3.20
23	सोहागपुर	10.06	0.25	9.81	5.19	0	5.19	10.79	4.37	6.42	7.19	0	7.19
24	उमरिया	12.07	8.13	3.94	7.49	0	7.49	8.04	0	8.04	8.05	0	8.05
25	विदिशा	56.44	0	56.44	37.62	12.66	24.96	56.44	32.99	23.45	37.63	19.65	17.98
	;ksx	**600.89**	**131.67**	**469.22**	**367.82**	**100.07**	**267.75**	**487.78**	**169.02**	**318.76**	**370.37**	**130.48**	**239.89**

l- Ø-	नगरीय स्थानीय निकाय का नाम	2010-11			2011-12			शुद्व अवरूद्व की राशि		
		प्राप्त राशि	व्यय	शेष	प्राप्त राशि	व्यय	शेष	प्राप्त राशि	व्यय	शुद्व राशि
01	अलीराजपुर	0	0	0	0	0	0	30.16	17.24	12.92
02	भिंड	0	0	0	0	0	0	230.63	22.00	208.63
03	बुढार	0	0	0	0	0	0	22.80	12.40	10.40
04	बुदनी	2.31	2.31	0	0	0	0	24.30	19.37	4.93
05	चांदामेटा		4.96	-4.96	0	0	0	27.22	15.02	12.20
06	छतरपुर	0	0	0	0	76.82	-76.82	149.13	114.29	34.84
07	छिंदवाड़ा	0	4.33	-4.33	0	0	0	183.31	46.52	136.79
08	चित्रकूट	1.34	1.34	0	21.19	21.19	0	58.24	51.12	7.12
09	इटारसी	0	0	0	0	0	0	140.40	18.05	122.35
10	लोंडी	0	0	0	0	0	0	64.50	33.47	31.03
11	मक्सी	0	0	0	0	0	0	29.08	22.56	6.52
12	मंडीदीप	3.47	5.17+3.47	-5.17	0	20.30	-20.3	67.22	33.69	33.53
13	महूगांव	0	0	0	0	0	0	33.00	13.48	19.52
14	नागोद	0	7.14	-7.14	0	0	0	31.00	7.14	23.86
15	नसरुल्लागंज	0	0	0	0	10.90	-10.9	23.92	13.88	10.04
16	नौराजाबाद	0	4.03	-4.03	0	0	0	36.00	21.80	14.20
17	नेपानगर	4.75	0	4.75	0	0	0	43.00	9.50	33.50
18	परासीया	0	2.48	-2.48	0	9.47	-9.47	45.40	15.47	29.93
19	राघोगढ़	0	0	0	0	0	0	73.95	24.63	49.32
20	सीहोर	0	20.29	-20.29	0	8.46	-8.46	136.43	90.33	46.10
21	सिवनी मालवा	0	14.47	-14.47	0	0	0	35.56	15.90	19.66
22	शहडोल	0	18.05	-18.05	7.53	41.64	-34.11	125.19	112.16	13.03
23	सोहागपुर	0	5.95	-5.95	0	0	0	33.23	10.57	22.66
24	उमरिया	4.02	0	4.02	0	13.61	-13.61	39.67	21.74	17.93
25	विदिशा	0	18.40	-18.4	0	2.85	-2.85	188.13	86.55	101.58
	;kx	**15.89**	**112.39**	**-96.50**	**28.72**	**205.24**	**-176.52**	**1871.47**	**848.88**	**1022.59**

परिशिष्ट-2.3 (भाग-I)

¼lanHk% iSjkxzkQ 2.1.6.5 पृष्ठ क्र. 17½

व्यपवर्तित राशि का विवरण

(₹ लाख में)

Ø-	निकाय का नाम	क्र.	मद का नाम	एवं दिनांक	राशि
1	छिंदवाड़ा	01	मंड पम्प क्रय	2817/23-01-08	3.71
		02	फोगिंग मशीन क्रय	5616/13-01-09	0.88
2	ग्वालियर	01	पुल पुलिया निर्माण	1800/31-03-11	26.25
		02	मजदूरी भुगतान (गार्डन)	412/05-02-11	4.52
		03	मजदूरी भुगतान (गार्डन)	651/15-03-11	4.43
		04	मजदूरी भुगतान (अग्नि)	111/04-03-11	1.74
		05	मजदूरी भुगतान (अग्नि)	939/18-03-11	1.75
		06	मजदूरी भुगतान (अग्नि)	168/07-03-11	1.82
				Total	**40.51**
3	नौरोजाबाद	01	चलित शौचालय क्रय	132/24-7-10	2.98
4	परासिया	01	पुलिया निर्माण	624/6-11-07	2.73
		02	सी.सी.रोड	756/6-11-07	0.35
		03	चौपाल का निर्माण	1310/6-11-07	0.42
		04	चौपाल का निर्माण	1436/6-11-07	0.32
		05	नाली निर्माण	413/6-11-07	1.00
		06	नाली निर्माण	514/6-11-07	0.98
		07	एल.टी.लाईन निर्माण	549/6-11-07	2.10
		08	रोड डिवाईडर का निर्माण	773/6.11.07	0.73
		09	नाली निर्माण	1012/6-11-07	0.13
		10	सी.सी.रोड निर्माण	1210/6-11-07	0.99
		11	स्ट्रीट लाईट	1107/6.11.07	0.27
		12	स्ट्रीट लाईट	550/6-11-07	0.76
		13	ड्रैन मैटेरियल क्रय	1156/6-11-07	0.66
		14	ड्रैन मैटेरियल क्रय	1160/6-11-07	0.27
5	सीहोर	01	ट्यूबबेल का निर्माण	28-04-09	20.00
		02	जनरेटर का क्रय	27-03-09	4.10
		03	पाईप क्रय	27-03-09	0.18
		04	पाईप क्रय	27-03-09	0.14
		05	पाईप क्रय	27-03-09	0.16
		06	डीजल क्रय	15-06-09	2.52
		07	डीजल क्रय	27-0109	0.43
		08	मजदूरी भुगतान	27.03.10	0.45
				कुल	**27.98**
				कुल योग	**87.77**

परिशिष्ट-2.4(भाग-I)

¼lanHk% i`jkxkQ 2-1-7-3 **पृष्ठ क्र.** 20½

जनजागरूकता कार्यक्रम किये जाने की स्थिति

स.क्र	निकाय का नाम	कार्यक्रम का प्रकार	vof/k	**प्रतिभागियों की संख्या**	**व्यय**
1	अलीराजपुर	कोई कार्यक्रम नहीं किया	निरंक	निरंक	निरंक
2	व्यौहारी	कोई कार्यक्रम नहीं किया	निरंक	निरंक	निरंक
3	भिंड	कोई कार्यक्रम नहीं किया	निरंक	निरंक	निरंक
4	बुढ़ार	कोई कार्यक्रम नहीं किया	निरंक	निरंक	निरंक
5	बुदनी	कोई कार्यक्रम नहीं किया	निरंक	निरंक	निरंक
6	चांदामेटा	कोई कार्यक्रम नहीं किया	निरंक	निरंक	निरंक
7	छिंदवाड़ा	कोई कार्यक्रम नहीं किया	निरंक	निरंक	निरंक
8	चित्रकूट	कोई कार्यक्रम नहीं किया	निरंक	निरंक	निरंक
9	इटारसी	कोई कार्यक्रम नहीं किया	निरंक	निरंक	निरंक
10	कोलार	कोई कार्यक्रम नहीं किया	निरंक	निरंक	निरंक
11	लोंडी	कोई कार्यक्रम नहीं किया	निरंक	निरंक	निरंक
12	मक्सी	कोई कार्यक्रम नहीं किया	निरंक	निरंक	निरंक
13	महूगांव	कोई कार्यक्रम नहीं किया	निरंक	निरंक	निरंक
14	मैहगांव	कोई कार्यक्रम नहीं किया	निरंक	निरंक	निरंक
15	नागोद	कोई कार्यक्रम नहीं किया	निरंक	निरंक	निरंक
16	नोरोजाबाद	कोई कार्यक्रम नहीं किया	निरंक	निरंक	निरंक
17	नेपानगर	कोई कार्यक्रम नहीं किया	निरंक	निरंक	निरंक
18	परासिया	कोई कार्यक्रम नहीं किया	निरंक	निरंक	निरंक
19	राघोगढ़	कोई कार्यक्रम नहीं किया	निरंक	निरंक	निरंक
20	सतना	कोई कार्यक्रम नहीं किया	निरंक	निरंक	निरंक
21	सीहोर	कोई कार्यक्रम नहीं किया	निरंक	निरंक	निरंक
22	सिवनी मालवा	कोई कार्यक्रम नहीं किया	निरंक	निरंक	निरंक
23	शुजालपुर	कोई कार्यक्रम नहीं किया	निरंक	निरंक	निरंक
24	उमरिया	कोई कार्यक्रम नहीं किया	निरंक	निरंक	निरंक

परिशिष्ट-2.5 (भाग-I)

¼lanHkZ i`jkxzkQ 2-1-11 i`"B u- 33½

नगरीय स्थानीय निकाय में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये कर्मचारियों की पदस्थापना में कमी को दर्शाने वाला विवरण

l- Ø-	नगरीय स्थानीय निकायों का नाम	पद का नाम					
		सफाई दरोगा सेनेटरी इंस्पेक्टर			lQkbZ deZpkjh		
		Lohd`r	dk;Zjr	deh izfr'kr	Lohd`r	dk;Zjr	deh izfr'kr
1	भिंड	2	1	1(50%)	159	138	21(13%)
2	छिंदवाड़ा	6	4	2(33.33%)	387	170	217(56%)
3	इन्दौर	22	0	22(100%)	2152	2075	77(4%)
4	इटारसी	10	7	3(30%)	171	98	73(57%)
5	ग्वालियर	60	23	37(62%)	1396	1221	175(14%)
6	नागोद	1	1	0(0)%	30	22	8(14%)
7	सतना	53	44	9(17%)	313	236	77((25%)
8	सिवनी मालवा	2	1	1(50%)	40	33	7(18%)
9	सोहागपुर	2	1	1(50%)	39	36	3(8%)
10	उमरिया	1	1	0(0%)	42	24	18(43%)
	;ksx	**159**	**83**	**74**	**4729**	**5053**	**-**

परिशिष्ट-3.1 (भाग-I)

¼lnHkZ ijkxkQ 3-1 पृष्ठ क्र.52½

वर्ष 2011-12 में तेरहवें वित्त आयोग अंतर्गत प्राप्त राशि का विवरण

(₹ लाख में)

क्र.	अनुदान का विवरण	किश्त	भारत सरकार द्वारा दिया गया अनुदान		कोषालय से निकाली गई राशि	
			दिनांक	राशि	बिल क्र.एवं दिनांक	राशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	जनरल बेसिक ग्रांट (जी.बी.जी)	Ist	06-7-2011	8710.00	273 /11-8-2011	4003.04
					274 /11-8-2011	1899.21
					275 /11-8-2011	2807.75
					योग	**8710.00**
		IInd	03-9-2012	8894.00	440 /13-9-2012	4087.54
					441 /13-9-2012	1924.43
					442 /13-9-2012	942.69
					443 /13-9-2012	364.93
					444 /13-9-2012	397.77
					445 /13-9-2012	357.18
					446 /13-9-2012	351.11
					447 /13-9-2012	468.35
			योग	**17604.00**	--	**8894.00**
2.	विशेष क्षेत्र बेसिक ग्रांट (एस.ए.बी.जी)	Ist	08-12-2011	197.00	529 /14-12-2011	197.00
		IInd	22-3-2012	197.00	851 /27-3-2012	197.00
			योग	**394.00**	--	**394.00**
3	जनरल परफोरामेन्स ग्रांट (जी.पी.जी)	Ist	31-3-2012	3003.00	926 /31-3-2012	1380.01
					927 /31-3-2012	968.12
					928 /31-3-2012	654.87
					योग	**3003.00**
		नॉन परफोरमिंग स्टेट की व्ययगत राशियाँ	31-3-2012	1073.82	13 /7-4-2012	1261.13
			31-3-2012	1670.28	14 /7-4-2012	884.60
					15 /7-4-2012	598.37
			योग	**2744.10**		**2744.10**
			महायोग	**23745.10**		**23745.10**

स्त्रोत-वित्त विभाग एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

परिशिष्ट 3.2 (भाग-I)

¼lanHkZ iSjkxzkQ 3-1-2 पृष्ठ क्र. 54)

अव्ययित अनुदान का विवरण

(₹ लाख में)

क्र.	इकाई का नाम	प्रारंभिक शेष	वर्ष में प्राप्त राशि (2011-12)	योग	व्यय	शेष
1	**2**	**3**	**4**	**5 (3+4)**	**6**	**7 (5-6)**
1	मुख्य नगर पालिका अधिकारी मंडला	27.14	63.77	90.91	10.67	80.24
2	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत बम्हनी बंजर (मंडला)	0.13	13.37	13.50	2.91	10.59
3	आयुक्त नगर निगम सागर	77.70	232.91	310.61	149.09	161.52
4	नगर पालिका बीना	0.21	100.67	100.88	0.00	100.88
5	नगर पालिका शिवपुरी	132.24	83.14	215.38	213.74	1.64
7	नगर पालिका जावरा (रतलाम)	0.00	93.48	93.48	19.07	74.41
8	नगर परिषद राऊ (इन्दौर)	2.76	21.09	23.85	0.00	23.85
9	नगर परिषद ओरछा (टीकमगढ़)	3.88	8.60	12.48	0.00	12.48
	;kx	**244.06**	**617.03**	**861.09**	**395.48**	**465.61**

परिशिष्ट 3.3 (भाग-I)

¼lnHk% i`jkxkQ 3-2 ¼पृष्ठ क्र. 55½

कनेक्शन कोड क्र. 502022 के विधुत बिल पर अधिभार का विवरण

(राशि ₹)

देयक माह हेतु	शुद्ध देय राशि	बकाया जिसमें पूर्व माह का अधिभार भी शामिल है	मासिक बकाया देयक पर अधिभार की राशि
7/2009	1561523	लागू नहीं	लागू नहीं
8/2009	1854387	221462	2214
9/2009	3457650	1854387	23179
10/2009	5197087	3457650	43220
11/2009	6835171	5197087	64774
12/2009	8609317	6835171	84792
01/2010	10486318	8609317	106261
02/2010	12230065	10486318	128746
03/2010	2168026	180065	149285
04/2010	3081798	2168026	25585
05/2010	3512224	2282798	28534
06/2010	2605016	1512224	18902
07/2010	2799889	705016	8812
08/2010	2397256	299889	3748
09/2010	2777012	464370	5804
10/2010	2710464	277012	3462
11/2010	2676760	210464	2630
12/2010	5509951	2676760	33459
01/2011	8324557	5470934	68386
02/2011	9036924	6324557	79056
03/2011	11385581	8536924	106711
04/2011	14148596	11385581	141182
05/2011	16854699	13448596	168107
06/2011	19179456	15854699	198183
07/2011	21955063	18479456	230993
08/2011	23860616	20955063	268391
09/2011	26028136	23360616	292007
10/2011	28422747	25528136	319101
11/2011	24514632	21556650	319101
12/2011	20387891	17556650	256432
01/2012	20359667	17556650	219458
02/2012	16434683	**14056650**	219458
योग			**36,19,973**

परिशिष्ट 3.3 (भाग-I)

¼lnHk½ ijkxkQ 3-2 ¼पृष्ठ क्र. 55½

कनेक्शन कोड क्र. 502023 के विधुत बिल पर अधिभार का विवरण

(राशि ₹)

देयक माह हेतु	शुद्ध देय राशि	बकाया जिसमें पूर्व माह का अधिभार भी शामिल है	मासिक बकाया देयक पर अधिभार की राशि
8/2009	1798069	लागू नहीं	लागू नहीं
9/2009	2963995	1214895	15186
10/2009	4986522	2963995	37049
11/2009	2094994	300126	3751
12/2009	3975736	2094994	26187
01/2010	5745666	3975736	49696
02/2010	7448950	5745666	71573
03/2010	8704372	7448950	92343
04/2010	9777186	8704372	108804
05/2010	11015625	9777186	122214
06/2010	12379579	11015625	137695
07/2010	14613466	12379579	154744
08/2010	17043418	14613466	180931
09/2010	19361162	17043418	209241
10/2010	21813406	19361162	235795
11/2010	24184658	21813406	263698
12/2010	25683814	23270935	290240
01/2011	27780868	25333814	316672
02/2011	29676213	27280868	341010
03.2011	32159141	29187213	364840
04/2011	35018948	32159141	397626
05/2011	37664581	34218948	427736
06/2011	40252232	36664581	458307
07/2011	43419624	39712140	492284
08/2011	44804398	41659716	526083
09/2011	46831490	43804398	547554
10/2011	48965393	45831490	572893
11/2011	46410736	43331490	572893
12/2011	46459909	43331490	573250
01/2012	46457174	43331490	541643
02/2012	46264689	**43331490**	541643
योग			**86,73,581**

परिशिष्ट-3.5 (भाग-I)

¼lanHk% ijkxkQ 3-4 ¼पृष्ठ क्र. 57)

भोपाल नगर निगम क्षेत्र में अप्राधिकृत दूरसंचार इन्फ्रास्ट्रक्चर टॉवर का विवरण

क्र.	कम्पनी का नाम	अनाधिकृत टावरों की संख्या
1	आईडिया (बी.टी.ए सेलएम लि.)	43
2	टी टी इन्फो, टाटा, कोपो (व्ही.वाई.ओ.यू.एम.)	42
3	बी.एस.एन.एल	48
4	रिलायन्स	38
5	ऐयरटेल	130
6	वोडाफोन	50
7	एक्शल	01
8	अन्य कंपनियों के टावर	43
	कुल	395

परिशिष्ट-1.1 (Hkkx&2**)**

lnHk %& ijkxkQ 1-4 ¼पृष्ठ क्र. 61½

वर्ष 2011-12 के दौरान लेखापरीक्षित इकाईयों की सूची

l-Ø-	ftyk ipk;rk d uke
1.	जिला पंचायत, अशोक नगर
2.	जिला पंचायत, बुरहानपुर
3.	जिला पंचायत, छिंदवाड़ा
4.	जिला पंचायत, दमोह
5.	जिला पंचायत, दतिया
6.	जिला पंचायत, देवास
7.	जिला पंचायत, गुना
8.	जिला पंचायत, हरदा
9.	जिला पंचायत, कटनी
10.	जिला पंचायत, पन्ना
11.	जिला पंचायत, राजगढ़
12.	जिला पंचायत, रीवा
13.	जिला पंचायत, अनूपपुर
14.	जिला पंचायत, अलीराजपुर
15.	जिला पंचायत, उज्जैन
16.	जिला पंचायत, उमरिया
17.	जिला पंचायत, खंडवा
18.	जिला पंचायत, खरगौन
19.	जिला पंचायत, ग्वालियर
20.	जिला पंचायत, छतरपुर
21.	जिला पंचायत, जबलपुर
22.	जिला पंचायत, झाबुआ
23.	जिला पंचायत, टीकमगढ़
24.	जिला पंचायत, डिंडोरी
25.	जिला पंचायत, नरसिंहपुर
26.	जिला पंचायत, नीमच
27.	जिला पंचायत, बड़वानी
28.	जिला पंचायत, बैतूल
29.	जिला पंचायत, बालाघाट
30.	जिला पंचायत, भिंड
31.	जिला पंचायत, भोपाल
32.	जिला पंचायत, मंडला
33.	जिला पंचायत, मंदसौर
34.	जिला पंचायत, मुरैना
35.	जिला पंचायत, रतलाम
36.	जिला पंचायत, विदिशा
37.	जिला पंचायत, श्यौपुर
38.	जिला पंचायत, शहडोल
39.	जिला पंचायत, शाजापुर
40.	जिला पंचायत, शिवपुरी
41.	जिला पंचायत, सतना
42.	जिला पंचायत, सागर
43.	जिला पंचायत, सिंगरोली
44.	जिला पंचायत, सिवनी
45.	जिला पंचायत, सीधी
46.	जिला पंचायत, सीहोर
47.	जिला पंचायत, होंशगाबाद

o"k 2011&12 e y[kkijhf{kr tuin पंचायतों की सूची

Lk-Ø-	tuin ipk;rk dk uke
1	जनपद पंचायत, अशोक नगर
2	जनपद पंचायत, चंदेरी
3	जनपद पंचायत, ईसागढ़
4	जनपद पंचायत, मुंगावली
5	जनपद पंचायत, बुरहानपुर
6	जनपद पंचायत, खकनार
7	जनपद पंचायत, अमरवाड़ा
8	जनपद पंचायत, बिछुआ
9	जनपद पंचायत, चौरई
10	जनपद पंचायत, छिंदवाड़ा
11	जनपद पंचायत, पाण्डुरना
12	जनपद पंचायत, तामिया
13	जनपद पंचायत, दमोह
14	जनपद पंचायत, बटियागढ़
15	जनपद पंचायत, हटा
16	जनपद पंचायत, पटेरा
17	जनपद पंचायत, भांडेर
18	जनपद पंचायत, सेवड़ा
19	जनपद पंचायत, बागली
20	जनपद पंचायत, देवास
21	जनपद पंचायत, खातेगांव
22	जनपद पंचायत, सोनकच्छ
23	जनपद पंचायत, कन्नौद
24	जनपद पंचायत, चाचौड़ा
25	जनपद पंचायत, गुना
26	जनपद पंचायत, आरोन
27	जनपद पंचायत, राघोगढ़
28	जनपद पंचायत, बामोरी
29	जनपद पंचायत, हरदा
30	जनपद पंचायत, खिरकिया
31	जनपद पंचायत, टिमरनी
32	जनपद पंचायत, बडवारा
33	जनपद पंचायत, रीठी
34	जनपद पंचायत, बहोरीबंद
35	जनपद पंचायत, ढ़ीमरखेड़ा
36	जनपद पंचायत, शाहनगर
37	जनपद पंचायत, अजयगढ़
38	जनपद पंचायत, पन्ना
39	जनपद पंचायत, पवई
40	जनपद पंचायत, ब्यावरा
41	जनपद पंचायत, खिलचीपुर
42	जनपद पंचायत, राजगढ़
43	जनपद पंचायत, सांरगपुर
44	जनपद पंचायत, हनुमना
45	जनपद पंचायत, मऊगंज
46	जनपद पंचायत, रीवा
47	जनपद पंचायत, रायपुर कर्चुलियान
48	जनपद पंचायत, सिरमोर
49	जनपद पंचायत, जैतहरी

50	जनपद पंचायत, कोतमा
51	जनपद पंचायत, पुष्पराजगढ़
52	जनपद पंचायत, जोबट
53	जनपद पंचायत, कट्ठीवाड़ा
54	जनपद पंचायत, अलीराजपुर
55	जनपद पंचायत, सेंधवा
56	जनपद पंचायत, भाबरा
57	जनपद पंचायत, महू
58	जनपद पंचायत, बड़नगर
59	जनपद पंचायत, महीदपुर
60	जनपद पंचायत, उज्जैन
61	जनपद पंचायत, खाचरोद
62	जनपद पंचायत, तराना
63	जनपद पंचायत, मानपुर
64	जनपद पंचायत, पाली
65	जनपद पंचायत, करकेली
66	जनपद पंचायत, छैगांवमाखन
67	जनपद पंचायत, वलड़ी
68	जनपद पंचायत, हरसूद
69	जनपद पंचायत, पुनासा
70	जनपद पंचायत, बड़वाह
71	जनपद पंचायत, भीकनगांव
72	जनपद पंचायत, कसराबद
73	जनपद पंचायत, खरगौन
74	जनपद पंचायत, भितरवार
75	जनपद पंचायत, डबरा
76	जनपद पंचायत, मुरार
77	जनपद पंचायत, घाटीगांव
78	जनपद पंचायत, विजावर
79	जनपद पंचायत, गौरीहार
80	जनपद पंचायत, नौगांव
81	जनपद पंचायत, राजनगर
82	जनपद पंचायत, पनागर
83	जनपद पंचायत, सीहोर
84	जनपद पंचायत, शाहपुरा
85	जनपद पंचायत, झाबुआ
86	जनपद पंचायत, बल्देवगढ़
87	जनपद पंचायत, निवाडी
88	जनपद पंचायत, पलेरा
89	जनपद पंचायत, पृथ्वीपुर
90	जनपद पंचायत, मेहदवानी
91	जनपद पंचायत, समनापुर
92	जनपद पंचायत, धार
93	जनपद पंचायत, गंधवानी
94	जनपद पंचायत, मनावर
95	जनपद पंचायत, उमरवन
96	जनपद पंचायत, बाबई चिचली
97	जनपद पंचायत, गोटेगांव
98	जनपद पंचायत, नरसिंहपुर
99	जनपद पंचायत, करेली
100	जनपद पंचायत, नीमच
101	जनपद पंचायत, जावद
102	जनपद पंचायत, मनासा

103	जनपद पंचायत, निवाली
104	जनपद पंचायत, पाटी
105	जनपद पंचायत, सेंधवा
106	जनपद पंचायत, ठीकरी
107	जनपद पंचायत, भैंसदेही
108	जनपद पंचायत, भीमपुर
109	जनपद पंचायत, बैतुल
110	जनपद पंचायत, चिचोली
111	जनपद पंचायत, बालाघाट
112	जनपद पंचायत, किरनापुर
113	जनपद पंचायत, लालबर्रा
114	जनपद पंचायत, खैरलांजी
115	जनपद पंचायत, अटेर
116	जनपद पंचायत, गोहद
117	जनपद पंचायत, लहार
118	जनपद पंचायत, मेहगांव, भिन्ड
119	जनपद पंचायत, बैरसिया
120	जनपद पंचायत, फंदा
121	जनपद पंचायत, मंडला
122	जनपद पंचायत, मोहगांव, मंडला
123	जनपद पंचायत, मवई
124	जनपद पंचायत, भानपुरा
125	जनपद पंचायत, गरोठ
126	जनपद पंचायत, सीतामउ
127	जनपद पंचायत, मंदसौर
128	जनपद पंचायत, कैलारस
129	जनपद पंचायत, जौरा
130	जनपद पंचायत, मुरैना
131	जनपद पंचायत, पहाड़गढ़
132	जनपद पंचायत, आलोट
133	जनपद पंचायत, पिपलोदा
134	जनपद पंचायत, रतलाम
135	जनपद पंचायत, सैलाना
136	जनपद पंचायत, बाडी
137	जनपद पंचायत, गैरतगंज
138	जनपद पंचायत, औबेदुल्लागंज
139	जनपद पंचायत, सांची
140	जनपद पंचायत, उदयपुरा
141	जनपद पंचायत, कुरवाई
142	जनपद पंचायत, लटेरी
143	जनपद पंचायत, नटेरन
144	जनपद पंचायत, गंजबासोदा
145	जनपद पंचायत, श्यौपुर कला
146	जनपद पंचायत, विजयपुर
147	जनपद पंचायत, कराहल
148	जनपद पंचायत, व्योहारी
149	जनपद पंचायत, घोहपारा पाली नं. 1
150	जनपद पंचायत, जयसिंह नगर
151	जनपद पंचायत, आगर
152	जनपद पंचायत, बड़ोद
153	जनपद पंचायत, कालापीपल
154	जनपद पंचायत, बदरवास
155	जनपद पंचायत, पोहरी

156	जनपद पंचायत, करैरा
157	जनपद पंचायत, खनियाधाना
158	जनपद पंचायत, शिवपुरी
159	जनपद पंचायत, कोलारस
160	जनपद पंचायत, मैहर
161	जनपद पंचायत, सतना (सुहावल)
162	जनपद पंचायत, उचहेरा
163	जनपद पंचायत, खुरई
164	जनपद पंचायत, देवरी
165	जनपद पंचायत, केसली
166	जनपद पंचायत, बीना
167	जनपद पंचायत, मालथोन
168	जनपद पंचायत, देवसर
169	जनपद पंचायत, बैढन
170	जनपद पंचायत, चितरंगी
171	जनपद पंचायत, बरघाट
172	जनपद पंचायत, छपारा
173	जनपद पंचायत, लखनादोन
174	जनपद पंचायत, केवलारी
175	जनपद पंचायत, कुसमी
176	जनपद पंचायत, मझौली
177	जनपद पंचायत, सीधी
178	जनपद पंचायत, आष्टा
179	जनपद पंचायत, बुदनी
180	जनपद पंचायत, सीहोर
181	जनपद पंचायत, नसरुल्लागंज
182	जनपद पंचायत, पिपरिया
183	जनपद पंचायत, होशंगाबाद
184	जनपद पंचायत, सिवनी मालवा
185	जनपद पंचायत, वनखेड़ी

टीप- जनपद पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान संबंधित लेखापरीक्षा दल द्वारा ग्राम पंचायतों का चयन किया गया। वर्ष 2011-12 के दौरान 1035 ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा की गयी।

परिशिष्ट-1.2 (Hkkx&2)

lnHk% ijkxkQ&1-5-3 ¼पृष्ठ क्र. 62½

जिला पंचायत नरसिंहपुर की प्राप्ति एवं व्यय का विवरण

(₹ लाख में)

2010-11				2011-12	
क्र.	**योजना का नाम**	**आवंटित निधि**	**व्यय**	**आवंटित निधि**	**व्यय**
1	2	3	4	5	6
1	डी.आर..डी.ए (प्रशा.)	125.56	120.69	144.33	133.78
2	एस.जी.एस.वाई	440.83	397.39	423.45	419.82
3	होम स्टेट	0.00	0.00	952.54	948.25
4	आई.ए.वाई	577.95	536.38	620.25	602.69
5	पेंशन योजनाऐं	1782.19	1536.83	2024.88	1034.33
6	टी.एस.सी	545.12	173.25	487.10	460.99
7	एम.एन.आर.ई.जी.एस	1899.45	1487.00	2666.66	2121.35
8	एम.डी.एम	2782.05	1792.11	1999.00	1994.13
	कुल	**8153.15**	**6043.65**	**9318.21**	**7715.34**

स्त्रोत-जिला पंचायत नरसिंहपुर द्वारा प्रदाय जानकारी

परिशिष्ट-1.3(भाग-2)
lnÒ %& ijkxkQ 1-10 ¼पृष्ठ क्र. 65½
पंचायती राज संस्थाओं द्वारा बैंक समाधान पत्रक नहीं बनाये जाने का विवरण

(₹ लाख में)

l-Ø-	bdkÃ uke	दि.31.3.12 को रोकड़बही शेष	दिनांक 31.3.12 को पासबुक शेष	Vrj
1.	2.	3.	4.	5. (4-3)
1	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, होशंगाबाद	2146.60	2438.83	292.23
2	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, बुरहानपुर	471.29	523.62	52.33
3	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, देवास	314.32	910.72	596.40
4	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जबलपुर	203.13	222.07	18.94
5	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, कटनी	457.69	944.70	487.01
6	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, टीकमगढ़	3013.70	3756.42	742.72
7	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, नरसिंहपुर	622.98	649.30	26.32
8	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, देवास	206.80	257.19	50.39
9	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, पोहरी	79.46	89.38	9.92
10	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, जतारा	199.25	268.77	69.52
11	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, गुना	158.82	285.73	126.91
12	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, चाचोड़ा	254.73	265.59	10.86
13	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, खकनार	277.85	339.53	61.68
14	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, आरोन	127.34	167.86	40.52
15	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, जावरा	193.52	215.22	21.70
16	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, कन्नौद	160.13	175.75	15.62
कुल		**8887.61**	**11510.68**	**2623.07**
17	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, पेटलाबद	635.99	618.30	(-) 17.69
18	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, रीवा	1482.21	1153.81	(-) 328.40
19	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, रामपुर नैकिन	260.08	255.45	(-) 4.63
20	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, केसला	249.49	170.09	(-) 79.40
कुल		**2627.77**	**2197.65**	**(-) 430.12**

स्त्रोत- पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदन

परिशिष्ट-1.4(भाग-2)
lnHk %& ijkxkQ 1-12 ¼पृष्ठ क्र. 65½
पेंशन योजना के अंतर्गत भारत सरकार को प्रेषित किये गये त्रुटिपूर्ण उपयोगिता प्रमाण पत्रों का विवरण

(₹ लाख में)

o"k	प्रारंभिक शेष	ikIrh	;kx	व्यय	अंतिम शेष
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6 (4-5)**
2008-09	1787.92	43592.42	45380.34	25303.90	20076.44
2009-10	20076.44	29747.00	49823.44	40468.50	9354.94
2010-11	9354.94	34686.00	44040.94	39084.53	4956.41
2011-12	4956.41	53973.36	58929.77	42857.02	16072.75
कुल	**-**	**161998.78**	**-**	**147713.95**	**-**

स्त्रोत- संचालनालय सामाजिक न्याय तथा पेंशन एम.पी. भोपाल द्वारा प्रदाय जानकारी

परिशिष्ट-1.5 (भाग-2)
lnHk %& ijkxkQ 1-13 ¼पृष्ठ क्र. 66 ½
वर्ष 2011-12 में पंचायती राज संस्थाओं में असमायोजित अग्रिम का विवरण

(₹ लाख में)

Lk-Ø-	bdkb dk uke	अग्रिम का प्रयोजन	असमायोजित राशि
1	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, रीवा	विभागीय कार्य	5.99
2	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, कटनी	विभागीय कार्य	2.31
3	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, खकनार	विभागीय कार्य	0.52
4	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, बुरहानपुर	विभागीय कार्य	2.85
5	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, केसला	विभागीय कार्य	7.75
कुल			**19.42**

स्त्रोत- पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदन

परिशिष्ट - 2.1 (Hkkx&2)

lnHkZ %& iSjkxzkQ 2-1 ¼i`"B u- 67)

वर्ष 2011-12 में भारत सरकार से प्राप्त तथा पंचायती राज संचालनालय द्वारा आहरित एवं वितरित अनुदान को दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्र.	अनुदान का नाम	किस्त	भारत सरकार से प्रदाय अनुदान राशि		आयुक्त पंचायतीराज द्वारा कोषालय से आहरित राशि का विवरण		अनुदान का आहरण (+)अधिक (-) कम	पंचायती राज संस्थाओं को अंतरित राशि			v0;f;r 'ks"k
			fnukad	jkf'k	fcy u-@fnukad	jkf'k		fnukad	jkf'k	निकाय का नाम	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	*जनरल बेसिक ग्रांट (जी.बी.जी)*	पहली	08-12-11	23985.00	395/14-12-11	23788.00	(-)197.00	16.12.11	23788.00	जी.पी	0.00
2	*स्पेशल एरिया बेसिक ग्रांट (एस.ए.बी.जी.)*	पहली	08-12-11	1128.00	394/14-12-11	1128.00		16.12.11	1128.00	जी.पी	0.00
3	*जनरल बेसिक ग्रांट (जी.बी.जी)*	द्वितीय	22-03-12	24493.00	564/26-3-12	24493.00		27.03.12	24493.00	जी.पी	0.00
4	*स्पेशल एरिया बेसिक ग्रांट (एस.ए.बी.जी.)*	द्वितीय	22-03-12	1128.00	563/26-03-12	1128.00		27.03.12	1128.00	जी.पी	0.00
5	*जनरल परफोरमेन्स ग्रांट (जी.बी.जी.)*	पहली	31-03-12	8270.00	592/31-03-12	7475.00		11.09.12	5000.00	जेड.पी	2.28
					593/31-03-12	795.00					
		अन्य राज्य की व्ययगत राशि	31-03-12	2383.09	24/11-04-12	2383.09		14.09.12	3450.00	जे.पी.	
								20.09.12	2400.00	जे.पी.	
								24.09.12	1975.00	जे.पी.	
			31-03-12	3349.19	23/11-04-12	3349.19		11.12.12	1175.00	जेड.पी	
6	*स्पेशल एरिया परफोरमेन्स ग्रांट (एस.ए.पी.जी)*	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0.00			0.00		0.00
	egk;ksx			**64736.28**		**64539.28**	**(-)197.00**		**64537.00**		**2.28**

स्त्रोत- वित विभाग मध्य प्रदेश तथा आयुक्त पंचायती राज

परिशिष्ट-2.2 (Hkkx&2)

LknHkZ % iSjkxzkQ 2-1-2(**पेज नं.-69**)

पंचायती राज संस्थाओं dks तेरहवें वित्त आयोग की lkekU; ewy vuqnku तथा fo'ks"k {ks= ewy vuqnku अंतरित किये जाने का विवरण पत्रक(o"kZ 2011-12)

l- Ø-	tuin iapk;r ,oa xzke iapk;rksa dk uke	iFke fdLr				f}rh; fdLr			
		संचालनालय से अनुदान अंतरित किये जाने की दिनांक	पी.आर.आई के लेखाओं में प्राप्ति की दिनांके	jkf'k	विलंब अवधि दिवस	संचालनालय से अनुदान अंतरित किये जाने की दिनांक	पी.आर.आई के लेखाओं में प्राप्ति की दिनांक	jkf'k	विलंब अवधि दिवस
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	tuin iapk;r ukjk;.kxat ftyk eaMyk								
1	खिन्ना	16.12.2011	10.1.2012	201587	25	27.3.2012	26.4.2012	250000	30
2	डोभी	16.12.2011	9.1.2012	151182	24	27.3.2012	26.4.2012	250000	30
3	शाहा	16.12.2011	9.1.2012	118162	24	27.3.2012	26.4.2012	250000	30
4	कुदा मैली	16.12.2011	9.1.2012	157871	24	27.3.2012	26.4.2012	250000	30
5	चाकदेही	16.12.2011	9.1.2012	176408	24	27.3.2012	26.4.2012	250000	30
6	बिजे गांव	16.12.2011	9.1.2012	169312	24	27.3.2012	23.4.2012	250000	27
	tuin iapk;r chtkMkaMh ftyk eaMyk								
1	पाथा चौराई	16.12.2011	27.1.2012	179494	42	27.3.2012	28.4.2012	250000	32
2	बिलनागरी माल	16.12.2011	27.1.2012	278071	42	27.3.2012	28.4.2012	400000	32
3	बिजाडान्डी	16.12.2011	27.1.2012	159428	42	27.3.2012	28.4.2012	250000	32
4	लहशार	16.12.2011	27.1.2012	163765	42	27.3.2012	24.4.2012	250000	28
5	विजयपुर (पिपरीया)	16.12.2011	27.1.2012	288298	42	27.3.2012	28.4.2012	400000	32
6	बेलखेड़ी	16.12.2011	27.1.2012	192059	42	27.3.2012	28.4.2012	250000	32
	tuin iapk;r eaMyk ftyk eaMyk								
1	ओघट खापरी	16.12.2011	5.1.2012	65339	20	27.3.2012	निरंक	निरंक[1]	0
2	फुल सागर	16.12.2011	10.1.2012	174970	25	27.3.2012	26.4.2012	250000	30
3	उमरिया	16.12.2011	9.1.2012	179033	24	27.3.2012	26.4.2012	250000	30
4	जतीपुर	16.12.2011	9.1.2012	298921	24	27.3.2012	26.4.2012	400000	30
5	हिरदे नगर	16.12.2011	9.1.2012	208608	24	27.3.2012	26.4.2012	400000	30
6	कटरा	16.12.2011	9.1.2012	163823	24	27.3.2012	26.4.2012	250000	30
	tuin iapk;r eoÃ ftyk eaMyk								
1	खलाउडी	16.12.2011	9.1.2012	153315	24	27.3.2012	26.4.2012	250000	30
2	मावई	16.12.2011	9.1.2012	275075	24	27.3.2012	26.4.2012	400000	30
3	पखवार	16.12.2011	9.1.2012	148207	24	27.3.2012	26.4.2012	250000	30
4	नरहरगंज	16.12.2011	9.1.2012	169236	24	27.3.2012	26.4.2012	250000	30
5	चापरताला	16.12.2011	14.1.2012	83594	29	27.3.2012	26.4.2012	85555	30
6	सारस दोली	16.12.2011	9.1.12012	147562	24	27.3.2012	26.4.2012	247427	30

[1] उपलब्ध नहीं

	tuin iapk;r ?k?kjh ftyk eMyk								
1	खजरी	16.12.2011	9.1.2012	146195	24	27.3.2012	26.4.2012	250000	30
2	गजराज	16.12.2011	9.1.2012	193262	24	27.3.2012	26.4.2012	250000	30
3	टीकारिया	16.12.2011	9.1.2012	189929	24	27.3.2012	26.4.2012	250000	30
4	चिवला टोला	16.12.2011	9.1.2012	271075	24	27.3.2012	26.4.2012	400000	30
5	सुरेहली	16.12.2011	9.1.2012	299339	24	27.3.2012	26.4.2012	400000	30
6	बनेहरी	16.12.2011	9.1.2012	173420	24	27.3.2012	26.4.2012	250000	30
	tuin iapk;r e¨gxko] ftyk eMyk								
1	उमरिया	16.12.2011	9.1.2012	152859	24	27.3.2012	26.4.2012	250000	30
2	सिगारपुर	16.12.2011	9.1.2012	117321	24	27.3.2012	26.4.2012	244546	30
3	गिथार	16.12.2011	9.1.2012	179414	24	27.3.2012	26.4.2012	250000	30
4	डमादी	16.12.2011	9.1.2012	187014	24	27.3.2012	26.4.2012	250000	30
5	कुआ डोंगरी	16.12.2011	9.1.2012	266767	24	27.3.2012	26.4.2012	400000	30
6	खेरीमाल	16.12.2011	9.1.2012	162875	24	27.3.2012	26.4.2012	250000	30
	tuin iapk;r fuokl ftyk eMyk								
1	सुखरी	16.12.2011	27.1.2012	170716	42	27.3.2012	5.5.2012	250000	39
2	कंतग सिवनी	16.12.2011	27.1.2012	136107	42	27.3.2012	28.4.2012	250000	32
3	पायली भोर	16.12.2011	27.1.2012	175809	42	27.3.2012	5.5.2012	250000	39
4	भांगपुर बिसुरा	16.12.2011	27.1.2012	284019	42	27.3.2012	5.5.2012	400000	39
5	बामहनी	16.12.2011	1.2.2012	182000	47	27.3.2012	5.5.2012	250000	39
6	थानाम गांव	16.12.2011	27.1.2012	250944	42	27.3.2012	5.5.2012	400000	39
	tuin iapk;r uluij ftyk eMyk								
1	मास्क	16.12.2011	9.1.2012	164833	24	27.3.2012	26.4.2012	250000	30
2	जैयदीपुर	16.12.2011	9.1.2012	261964	24	27.3.2012	26.4.2012	400000	30
3	हीरापुर	16.12.2011	9.1.2012	1407113	24	27.3.2012	26.4.2012	250000	30
4	खजरबाड़ा	16.12.2011	9.1.2012	315437	24	27.3.2012	26.4.2012	400000	30
5	शाकवाह	16.12.2011	9.1.2012	161151	24	27.3.2012	26.4.2012	250000	30
6	जाहर मो	16.12.2011	9.1.2012	282474	24	27.3.2012	26.4.2012	400000	30
	tuin iapk;r fcfN;k ftyk eMyk								
1	मनोहर पुर	16.12.2011	9.1.2012	282931	24	27.3.2012	26.4.2012	400000	30
2	राजो	16.12.2011	9.1.2012	133098	24	27.3.2012	26.4.2012	250000	30
3	धरमपुरी	16.12.2011	9.1.2012	177438	24	27.3.2012	26.4.2012	250000	30
4	अहमदपुर	16.12.2011	9.1.2012	280887	24	27.3.2012	26.4.2012	400000	30
5	करिया गांव	16.12.2011	9.1.2012	172966	24	27.3.2012	26.4.2012	250000	30
6	अजांनिया	16.12.2011	9.1.2012	248746	24	27.3.2012	26.4.2012	317272	30
	tuin iapk;r chuk ftyk lkxj								
1	गिराउल	16.12.2011	5.1.2012	136449	20	27.3.2012	19.4.2012	250000	23
2	भानघर	16.12.2011	5.1.2012	290479	20	27.3.2012	19.4.2012	400000	23
3	लखाहार	16.12.2011	5.1.2012	176971	20	27.3.2012	19.4.2012	250000	23
4	बेसरा कासोई	16.12.2011	5.1.2012	178622	20	27.3.2012	19.4.2012	250000	23
5	बिलघाओ	16.12.2011	5.1.2012	274790	20	27.3.2012	19.4.2012	400000	23
6	पीपरखेड़ी	16.12.2011	5.1.2012	125330	20	27.3.2012	19.4.2012	250000	23
7	खजुरिया	16.12.2011	5.1.2012	178097	20	27.3.2012	19.4.2012	250000	23
8	किरोंद	16.12.2011	5.1.2012	184126	20	27.3.2012	19.4.2012	250000	23

	tuin ipk;r lkxj ftyk lkxj								
1	भैंसा नाका	16.12.2011	5.1.2012	333375	20	27.3.2012	19.4.2012	400000	23
2	मझगांव	16.12.2011	5.1.2012	322500	20	27.3.2012	19.4.2012	400000	23
3	कपूरीया	16.12.2011	5.1.2012	201025	20	27.3.2012	19.4.2012	250000	23
4	बारारु	16.12.2011	5.1.2012	320000	20	27.3.2012	19.4.2012	400000	23
5	पातकुई	16.12.2011	5.1.2012	162903	20	27.3.2012	19.4.2012	250000	23
	tuin ipk;r 'kkgx< ftyk lkxj								
1	मोहना	16.12.2011	5.1.2012	143934	20	27.3.2012	19.4.2012	250000	23
2	राबरा	16.12.2011	5.1.2012	123431	20	27.3.2012	19.4.2012	250000	23
3	डूलचीपुर	16.12.2011	5.1.2012	173854	20	27.3.2012	19.4.2012	400000	23
4	मागरा	16.12.2011	5.1.2012	149579	20	27.3.2012	19.4.2012	250000	23
5	खतुरा काला	16.12.2011	5.1.2012	334200	20	27.3.2012	19.4.2012	400000	23
	tuin ipk;r jgyh ftyk lkxj								
1	मझगांव	16.12.2011	5.1.2012	163795	20	27.3.2012	19.4.2012	250000	23
2	हरदी	16.12.2011	5.1.2012	348175	20	27.3.2012	19.4.2012	400000	23
3	घोघरा	16.12.2011	5.1.2012	170598	20	27.3.2012	19.4.2012	250000	23
4	राम खिरिया	16.12.2011	5.1.2012	239882	20	27.3.2012	19.4.2012	400000	23
5	खिरिया कास	16.12.2011	5.1.2012	190613	20	27.3.2012	19.4.2012	250000	23
6	जूना	16.12.2011	5.1.2012	331475	20	27.3.2012	19.4.2012	400000	23
7	खैरा	16.12.2011	5.1.2012	174196	20	27.3.2012	19.4.2012	250000	23
8	उदयपुरा	16.12.2011	5.1.2012	166628	20	27.3.2012	19.4.2012	250000	23
	tuin ipk;r [kjh ftyk lkxj								
1	नरोदा	16.12.2011	17.1.2012	109970	32	27.3.2012	16.5.2012	250000	50
2	महोना जाट	16.12.2011	5.1.2012	100713	20	27.3.2012	19.4.2012	250000	23
3	निवारी	16.12.2011	17.1.2012	209175	32	27.3.2012	1.6.2012	250000	66
4	करिया गूजर	16.12.2011	17.1.2012	139607	32	27.3.2012	5.9.2012	250000	162
5	तेबरा	16.12.2011	17.1.2012	274593	32	27.3.2012	1.6.2012	400000	66
6	मेहंसा	16.12.2011	5.1.2012	172903	20	27.3.2012	19.4.2012	250000	23
7	भीलोन	16.12.2011	17.1.2012	146219	32	27.3.2012	16.5.2012	250000	50
8	नौ खेड़ा	16.12.2011	17.1.2012	235858	32	27.3.2012	3.10.2012	400000	190
9	लखान खेड़ा	16.12.2011	5.1.2012	100032	20	27.3.2012	19.4.2012	174426	23
	tuin ipk;r jkgrx< ftyk lkxj								
1	बरखेड़ा	16.12.2011	5.1.2012	110482	20	27.3.2012	19.4.2012	250000	23
2	टोडा गौतमिया	16.12.2011	5.1.2012	34593	20	27.3.2012	19.4.2012	250000	23
	tuin ipk;r nojh ftyk lkxj								
1	डोंगर सलैया	16.12.2011	5.1.2012	207318	20	27.3.2012	19.4.2012	250000	23
2	खाम खेड़ा	16.12.2011	5.1.2012	166751	20	27.3.2012	19.4.2012	250000	23
3	मनेगांव	16.12.2011	5.1.2012	184460	20	27.3.2012	19.4.2012	250000	23
4	बरकोटी काला	16.12.2011	5.1.2012	348150	20	27.3.2012	19.4.2012	400000	23
5	सरखेड़ा	16.12.2011	5.1.2012	155463	20	27.3.2012	19.4.2012	250000	23
6	माध पिपरिया	16.12.2011	5.1.2012	128877	20	27.3.2012	19.4.2012	250000	23
7	खामरिया	16.12.2011	19.4.2012	114009	125	27.3.2012	19.4.2012	238344	23
8	जेतपुर कचैया	16.12.2011	5.1.2012	336275	20	27.3.2012	19.4.2012	400000	23

	tuin ipk;r ekyFkku ftyk lkxj								
1	श्राजवास	16.12.2011	24.2.2012	334550	70	27.3.2012	24.4.2012	400000	28
2	समेरा लोधी	16.12.2011	24.2.2012	156282	70	27.3.2012	24.4.2012	250000	28
3	बंनधारी	16.12.2011	24.2.2012	321955	70	27.3.2012	24.4.2012	470995	28
4	सगोनी	16.12.2011	24.2.2012	133697	70	27.3.2012	24.4.2012	250000	28
5	लालोई	16.12.2011	21.3.2012	161559	96	27.3.2012	24.4.2012	250000	28
	tuin ipk;r tlhuxj ftyk lkxj								
1	सागोनी खुर्द	16.12.2011	5.1.2012	134567	20	27.3.2012	19.4.2012	250000	23
2	खोरी तावरी	16.12.2011	5.1.2012	258512	20	27.3.2012	19.4.2012	400000	23
3	हिन्नोद	16.12.2011	5.1.2012	323472	20	27.3.2012	19.4.2012	400000	23
4	जामुनिया गोर	16.12.2011	5.1.2012	151423	20	27.3.2012	19.4.2012	228000	23
5	जयसिंह नगर	16.12.2011	5.1.2012	323318	20	27.3.2012	19.4.2012	495407	23
6	सेमरा गोपालम	16.12.2011	5.1.2012	331756	20	27.3.2012	19.4.2012	400000	23
	tuin ipk;r dlyh ftyk lkxj								
1	जैतपुर	16.12.2011	5.1.2012	266179	20	27.3.2012	19.4.2012	400000	23
2	खमारिया	16.12.2011	5.1.2012	114009	20	27.3.2012	19.4.2012	400000	23
3	केवलारी काला	16.12.2011	5.1.2012	321201	20	27.3.2012	19.4.2012	400000	23
4	चिखीली जामुनिया	16.12.2011	5.1.2012	147220	20	27.3.2012	19.4.2012	250000	23
5	टाडा	16.12.2011	5.1.2012	321625	20	27.3.2012	19.4.2012	400000	23
6	केसली	16.12.2011	5.1.2012	323275	20	27.3.2012	19.4.2012	500000	23

परिशिष्ट-2.3 (भाग-2)

Lkn Hkz % i`jkxzkQ 2-1-6 (पेज नं.-72½

दिनांक 31.3.12 को ग्राम पंचायत के लेखों में अव्ययित राशि को दर्शाने वाला पत्रक

ftyk dk uke	tuin iapk;r dk uke	l- Ø-	xzke iapk;r dk uke	प्रारंभिक राशि	ikfIr (2011-12)	कुल उपलब्ध राशि	व्यय (2011-12)	अव्ययित शेष
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8	9 (7-8)
eMyk	नारायणगंज	1.	खिन्हा	262744	455406	718150	175080	543070
		2.	दोभी	26094	401182	427276	93160	334116
		3.	शाह	131838	368162	500000	241450	258550
		4.	कुदा मिलाई	93260	407871	501131	330180	170951
		5.	चाकदेही	162785	430178	592963	184650	408313
		6.	बीजेगांव	0	419312	419312	201285	218027
	बीजाडोडी	7.	पाथा चोराई	0	500000	500000	17941	482059
		8.	बिलनागिरी माल	121929	678071	800000	110000	690000
		9.	बिजाडान्डी	90572	409428	500000	380000	120000
		10.	लाशर	86235	413765	500000	80000	420000
		11.	विजयपुर (पिपरिया)	307210	688298	995508	241500	754008
		12.	बेलखेड़ी	0	442059	442059	196758	245301
	मंडला	13.	ओघाट खापरी	2284	65339	67623	65339	2284
		14.	फुलसागर	0	312485	312485	131518	180967
		15.	उमरिया	0	429033	429033	69916	359117
		16.	जनतीपुर	0	698921	698921	102973	595948
		17.	हद्य नगर	0	608608	608608	278051	330557
		18.	कटरा	0	413823	413823	0	413823
	मवई	19.	खलाउडी	49080	403315	452395	295641	156754
		20.	मवई	3872	675075	678947	296860	382087
		21.	पखवार	0	398207	398207	214633	183574
		22.	नहरगंज	907	419236	420143	180000	240143
		23.	चापरतला	14096	169149	183245	182801	444
		24.	सारसडोली	154483	394989	549472	284135	265337
	घुघरी	25.	खजरी	266300	396195	662495	380000	282495
		26.	गजराज	182947	443262	626209	432555	193654
		27.	तीकारिया	145058	439929	584987	269155	315832
		28.	चिवला तोला	316111	671075	987186	418689	568497
		29.	सुरेहली	280340	699339	979679	227755	751924
		30.	बनेहरी	233039	423420	656459	567938	88521
	मोहगांव	31.	उमरिया	402859	253714	656573	239300	417273
		32.	सिगरपुर	302964	361867	664831	264595	400236
		33.	गिथार	173605	429414	603019	171619	431400
		34.	उमारधी	147654	437014	584668	529053	55615
		35.	कुआ डोंगरी	186657	666767	853424	315410	538014

		36.	खेरी मल	0	412875	412875	219102	193773
	निवास	**37.**	सुखरी	175234	420716	595950	259700	336250
		38.	कंतग सिवनी	209175	386107	595282	332133	263149
		39.	पायली बाहुर	67218	425809	493027	326744	166283
		40.	भानपुर बैसुरा	237698	684019	921717	237112	684605
		41.	बाह्मनी	124850	432000	556850	123579	433271
		42.	तानम गांव	117750	650944	768694	323855	444839
	नैनपुर	**43.**	मासके	132785	414833	547618	227124	320494
		44.	जायदपुर	104257	661964	766221	526458	239763
		45.	हीरापुर	138186	390713	528899	195192	333707
		46.	कजरबाड़ा	102660	715437	818097	412038	406059
		47.	शकवाह	59168	411151	470319	318290	152029
		48.	जहर मो	78184	682474	760658	223409	537249
	बिछिया	**49.**	मनोहरपुर	288740	682931	971671	340990	630681
		50.	राजो	258793	383098	641891	462514	179377
		51.	धरमपुरी	201190	427438	628628	578628	50000
		52.	अहमदपुर	491272	680887	1172159	418331	753828
		53.	करिया गांव	204244	422966	627210	557575	69635
		54.	अजांनिया	620367	566018	1186385	557315	629070
lkxj	बीना	**55.**	गीराउल	10883	386449	397332	105000	292332
		56.	भानघर	2985	690479	693464	290000	403464
		57.	लखाहार	1880	426971	428851	152000	276851
		58.	बेसरा कासोई	42759	428622	471381	163000	308381
		59.	बिलघो	851	674790	675641	274000	401641
		60.	पिपरखेड़ी	1032	375330	376362	118000	258362
		61.	खजुरिया	0	428097	428097	148000	280097
		62.	किरोंद	3321	434126	437447	184000	253447
	सागर	**63.**	भैंसा नाका	0	733375	733375	0	733375
		64.	मझगांव	0	722500	722500	0	722500
		65.	कपूरिया	0	451025	451025	199000	252025
		66.	बरायरु	0	720000	720000	305952	414048
		67.	पतकुई	0	412903	412903	255862	157041
	शाहगढ	**68.**	मोहना	7575	393934	401509	379331	22178
		69.	राबरा	13344	373431	386775	215000	171775
		70.	डूलचीपुर	75977	573854	649831	370000	279831
		71.	मागरा	69058	399579	468637	44346	424291
		72.	खतारुआ काला	171697	734200	905897	157798	748099
	रहली	**73.**	मेघ गांव	0	413795	413795	413000	795
		74.	हरदी	0	748175	748175	295000	453175
		75.	घोघरा	0	420598	420598	172500	248098
		76.	राम खिरिया	0	639882	639882	377928	261954
		77.	खिरिया कास	0	440613	440613	249790	190823
		78.	जूना	0	731475	731475	416200	315275
		79.	खैरा	0	424196	424196	240000	184196

		80.	उदयपुरा	0	416628	416628	180000	236628
	खुरई	**81.**	नरोदा	0	359970	359970	102901	257069
		82.	महोना जाट	0	350713	350713	100000	250713
		83.	निवारी	0	459175	459175	167000	292175
		84.	करिया गूजर	0	389607	389607	94900	294707
		85.	तेवरा	0	674593	674593	197549	477044
		86.	मुहांसा	0	422903	422903	120250	302653
		87.	भीलोन	0	396219	396219	126000	270219
		88.	नो खेड़ा	0	635858	635858	0	635858
		89.	लखान खेड़ा	0	274458	274458	85000	189458
	राहतगढ़	**90.**	बरखेड़ा	0	360482	360482	150000	210482
		91.	टोडा गौतमिया	0	284593	284593	0	284593
	देवरी	**92.**	डोंगर सलैया	74703	457318	532021	368630	163391
		93.	खाम खेड़ा	83249	416751	500000	262383	237617
		94.	मानेगांव	22411	434460	456871	320582	136289
		95.	बरकोटी काला	131045	748150	879195	693102	186093
		96.	सरखेड़ा	0	405463	405463	270350	135113
		97.	माध पिपरिया	65390	378877	444267	187500	256767
		98.	खामरिया	0	352353	352353	43468	308885
		99.	जेतपुर कचैया	0	736275	736275	36275	700000
	मालथोन	**100.**	राजवास	0	734550	734550	0	734550
		101.	समेरा लोधी	0	406182	406182	194000	212182
		102.	बंनधारी	0	792950	792950	220850	572100
		103.	सागोनी	0	383697	383697	0	383697
		104.	लालोई	0	411559	411559	249820	161739
	जैसीनगर	**105.**	सागोनी खुर्द	0	384567	384567	111920	272647
		106.	खोरी तावरी	0	658512	658512	461440	197072
		107.	हिन्नोद	0	723472	723472	277133	446339
		108.	जामुनिया गोर	0	379423	379423	118000	261423
		109.	जयसिंह नगर	0	818725	818725	0	818725
		110.	सेमरा गोपालम	0	731756	731756	315250	416506
	केसली	**111.**	जैतपुर	0	666179	666179	494000	172179
		112.	खमारिया	0	514009	514009	350000	164009
		113.	केवलारी काला	0	721201	721201	594201	127000
		114.	चिखोली जामुनिया	0	397220	397220	320200	77020
		115.	टाडा	0	721625	721625	656625	65000
		116.	केसली	226806	823275	1050081	369600	680481
			महायोग	**8761660**	**58078435**	**66840095**	**28574665**	**38265430**

परिशिष्ट-2.4 (भाग-2)

LkknHkZ % i;jkxkQ 2-1-7-1 ¼ पेज नं.-72½

दिनांक 31.3.12 को वसूली एवं शेष सम्पत्ति कर की राशि का विवरण

l-Ø	ftys dk uke	tuin iapk;r dk uke	जी.पी. के नाम	प्रारंभिक शेष	चालू मांगे (2011-12)	कुल वसूली राशि	वर्ष के दौरान प्राप्ति	शेष (31.3.2012)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7 (5+6)**	**8**	**9 (7-8)**
1.	eMyk	नारायणगंज	खिन्हा	0	0	0	0	0
2.			दोभी	0	14420	14420	0	14420
3.			शाह	19820	3429	23249	5189	18060
4.			कुदा मिलाई	0	51556	51556	0	51556
5.			चकदेही	9000	500	9500	500	9000
6.			बिजेगांव	14520	1721	16241	0	16241
7.		बीजाडोडी	पाथा चोराई	0	0	0	0	0
8.			बिलनागिरी माल	0	0	0	0	0
9.			बिजाडान्डी	0	0	0	0	0
10.			लाशर	0	0	0	0	0
11.			विजयपुर (पिपरिया)	0	0	0	0	0
12.			बेलखेड़ी	0	0	0	0	0
13.		मंडला	ओघाट खापरी	14532	2490	17022	0	17022
14.			फुलसागर	0	0	0	0	0
15.			उमरिया	0	0	0	0	0
16.			ज्नतीपुर	0	22500	22500	0	22500
17.			हद्य नगर	136172	41044	177216	15189	162027
18.			कटरा	101638	13805	115443	0	115443
19.		मवई	खलाउडी	0	58800	58800	12000	46800
20.			मवई	80000	90000	170000	29840	140160
21.			पखवार	2150	1070	3220	2150	1070
22.			न्हरगंज	0	39200	39200	2000	37200
23.			चपरतला	0	41100	41100	12000	29100
24.			सारसडोली	12350	14200	26550	3320	23230
25.		घुघरी	खजरी	0	0	0	0	0
26.			ग्जराज	0	0	0	0	0
27.			तीकारिया	0	0	0	0	0
28.			चिवला तोला	0	0	0	0	0
29.			ुरेहली	0	0	0	0	0
30.			ब्नेहरी	1715	1772	3487	1781	1706
31.		मोहगांव	उमरिया	12750	5100	17850	0	17850
32.			थ्सगरपुर	19735	9180	28915	0	28915
33.			गिथार	156088	92736	248824	0	248824
34.			उमारधी	60640	27500	88140	0	88140
35.			कुआ डोंगरी	0	0	0	0	0
36.			खेरी मल	0	0	0	0	0
37.		थ्नवास	सुखरी	0	0	0	0	0

38.			कंतग सिवनी	0	0	0	0	0
39.			पायली बाहुर	0	0	0	0	0
40.			भानपुर बैसुरा	0	0	0	0	0
41.			बाह्मनी	0	0	0	0	0
42.			तानम गांव	0	0	0	0	0
43.		नैनपुर	मसके	0	0	0	0	0
44.			जायदपुर	0	0	0	0	0
45.			ळीरापुर	0	0	0	0	0
46.			कजरबाड़ा	0	0	0	0	0
47.			शकवाह	0	0	0	0	0
48.			जहर मो	11310	12060	23370	1450	21920
49.		विछिया	म्नोहरपुर	4500	5200	9700	0	9700
50.			श्राजो	13800	15200	29000	0	29000
51.			धरमपुरी	0	0	0	0	0
52.			टहमदपुर	0	0	0	0	0
53.			करिया गांव	0	0	0	0	0
54.			अजांनिया	18394	2810	21204	0	21204
55.	lkxj	बीना	गीराउल	0	0	0	0	0
56.			भानघर	11000	22000	33000	11000	22000
57.			लखाहार	0	0	0	0	0
58.			बेसरा कासोई	0	0	0	0	0
59.			बिलघो	1000	1500	2500	0	2500
60.			पिपरखेड़ी	0	0	0	0	0
61.			खजुरिया	0	54600	54600	0	54600
62.			थ्करोंद	3000	6000	9000	0	9000
63.		सगर	भैंसा नाका	0	0	0	0	0
64.			मझगांव	0	0	0	0	0
65.			कपूरिया	0	0	0	0	0
66.			बरायरु	0	0	0	0	0
67.			पतकुई	0	0	0	0	0
68.		शाहगढ़	मेहना	0	0	0	0	0
69.			श्राबरा	25600	1190	26790	0	26790
70.			डूलचीपुर	2000	800	2800	0	2800
71.			मगरा	16866	1412	18278	0	18278
72.			खतारुआ काला	31634	1593	33227	0	33227
73.		श्रहली	मेघ गांव	0	0	0	0	0
74.			ळरदी	7500	7500	15000	0	15000
75.			घोघरा	29148	3254	32402	0	32402
76.			राम खिरिया	0	0	0	0	0
77.			खिरिया कास	0	0	0	0	0
78.			जूना	0	0	0	0	0
79.			खैरा	0	0	0	0	0
80.			उदयपुरा	0	0	0	0	0
81.		खुरई	न्रोदा	15000	17000	32000	2000	30000

82.			महोना जाट	4000	6000	10000	1200	8800
83.			थ्नवारी	2000	3000	5000	2000	3000
84.			करिया गूजर	8600	5400	14000	1200	12800
85.			त्वेरा	17000	8000	25000	4000	21000
86.			म्हांसा	6675	13120	19795	2600	17195
87.			भीलोन	9500	13000	22500	1700	20800
88.			नो खेड़ा	16500	17500	34000	1400	32600
89.			लखान खेड़ा	0	0	0	0	0
90.		राहतगढ़	बरखेड़ा	0	23507	23507	1000	22507
91.			टोडा गौतमिया	18000	2000	20000	18700	1300
92.		छेवरी	डोंगर सलैया	0	0	0	0	0
93.			खाम खेड़ा	8000	4000	12000	0	12000
94.			मनेगांव	12500	12500	25000	200	24800
95.			बरकोटी काला	8000	4000	12000	0	12000
96.			सरखेड़ा	49135	3819	52954	0	52954
97.			माध पिपरिया	0	0	0	0	0
98.			खामरिया	25000	5600	30600	0	30600
99.			जेतपुर कचैया	0	0	0	0	0
100.		मालथोन	श्राजवास	34000	3513	37513	500	37013
101.			समेरा लोधी	0	0	0	0	0
102.			बंनधारी	216523	38150	254673	23196	231477
103.			सगोनी	0	0	0	0	0
104.			लालोई	0	0	0	0	0
105.		जैसीनगर	सागोनी खुर्द	0	0	0	0	0
106.			खोरी तावरी	0	0	0	0	0
107.			हिन्नोद	0	0	0	0	0
108.			जामुनिया गोर	0	0	0	0	0
109.			जयसिंह नगर	0	0	0	0	0
110.			सेमरा गोपालम	0	0	0	0	0
111.		क्वेसली	जैतपुर	5300	5300	10600	0	10600
112.			खमारिया	15670	4575	20245	0	20245
113.			केवलारी काला	0	0	0	0	0
114.			चिखीली जामुनिया	10674	807	11481	0	11481
115.			टाडा	18000	22500	40500	31569	8931
116.			क्वेसली	702302	75070	777372	28048	749324
			महायोग	**2019241**	**955603**	**2974844**	**215732**	**2759112**
							पूर्ण ₹ 27.59 लाख	

परिशिष्ट-2.5(भाग-2)

Lkkn Hk % i jkxkQ 2-1-7-2 ¼i t u- 73½

उपभोक्त प्रभार की वसूली नहीं किया जाना (मार्च 2012) की स्थिति

l- Ø-	ftyk dk uke	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	uy ty ;kstuk					
				miHkksDrk dk u-	प्रारंभिक शेष	चालू मांगे (2011-12)	कुल वसूली राशि	वर्ष के दौरान प्राप्ति	अंतिम शेष (31.3.2012)
1	2	3	4	5	6	7	8 (6+7)	9	10 (8+9)
1.	eMyk	नारायणगंज	खिन्हा	0	0	0	0	0	0
2.			दोभी	0	0	0	0	0	0
3.			शाह	0	0	0	0	0	0
4.			कुदा मिलाई	0	0	0	0	0	0
5.			चाकदेही	0	0	0	0	0	0
6.			बीजेगांव	0	0	0	0	0	0
7.		बीजाडोडी	पाथा चोराई	0	0	0	0	0	0
8.			बिलनागिरी माल	0	0	0	0	0	0
9.			बिजाडान्डी	175	0	126000	126000	126000	0
10.			लाशर	0	0	0	0	0	0
11.			विजयपुर (पिपरिया)	0	0	0	0	0	0
12.			बेलखेड़ी	0	0	0	0	0	0
13.		मंडला	ओघाट खापरी	60	13680	28800	42480	27480	15000
14.			फुलसागर	0	0	0	0	0	0
15.			उमरिया	0	0	0	0	0	0
16.			जनतीपुर	142	36000	68160	104160	63000	41160
17.			हद्य नगर	247	153524	74100	227624	17050	210574
18.			कटरा	0	0	0	0	0	0
19.		मवई	खलाउडी	0	0	0	0	0	0
20.			मवई	95	3250	57000	60250	60000	250
21.			पखवार	0	0	0	0	0	0
22.			नहरगंज	0	0	0	0	0	0
23.			चापरतला	0	0	0	0	0	0
24.			सारसडोली	0	0	0	0	0	0
25.		घुघरी	खजरी	0	0	0	0	0	0
26.			गजराज	0	0	0	0	0	0
27.			तीकारिया	0	0	0	0	0	0
28.			चिवला तोला	0	0	0	0	0	0
29.			सुरेहली	0	0	0	0	0	0
30.			बनेहरी	0	0	0	0	0	0
31.		मोहगांव	उमरिया	0	0	0	0	0	0
32.			सिगरपुर	72	6600	25920	32520	21700	10820
33.			गिथार	0	0	0	0	0	0
34.			उमारधी	0	0	0	0	0	0

35.			कुआ डोंगरी	0	0	0	0	0	0
36.			खेरी मल	0	0	0	0	0	0
37.		निवास	सुखरी	0	0	0	0	0	0
38.			कंतग सिवनी	0	0	0	0	0	0
39.			पायली बाहुर	0	0	0	0	0	0
40.			भानपुर बैसुरा	101	48200	60600	108800	31000	77800
41.			बाह्मनी	0	0	0	0	0	0
42.			तानम गांव	0	0	0	0	0	0
43.		नैनपुर	मासके	0	0	0	0	0	0
44.			जायदपुर	0	0	0	0	0	0
45.			हीरापुर	0	0	0	0	0	0
46.			कजरबाड़ा	0	0	0	0	0	0
47.			शकवाह	0	0	0	0	0	0
48.			जहर मो	123	15090	29520	44610	18280	26330
49.		विछिया	मनोहरपुर	0	0	0	0	0	0
50.			राजो	0	0	0	0	0	0
51.			धरमपुरी	0	0	0	0	0	0
52.			अहमदपुर	115	24350	69000	93350	32350	61000
53.			करिया गांव	0	0	0	0	0	0
54.			अजानिया	628	365152	263760	628912	78034	550878
55.	lkxj	बीना	गीराउल	0	0	0	0	0	0
56.			भानघर	60	17800	28800	46600	0	46600
57.			लखाहार	0	0	0	0	0	0
58.			बेसरा कासोई	0	0	0	0	0	0
59.			बिलघो	30	7800	7200	15000	0	15000
60.			पिपरखेड़ी	0	0	0	0	0	0
61.			खजुरिया	0	0	0	0	0	0
62.			किरोंद	0	0	0	0	0	0
63.		सागर	भैंसा नाका	98	8605	88800	97405	97405	0
64.			मझगांव	0	0	0	0	0	0
65.			कपूरिया	0	0	0	0	0	0
66.			बरायरु	0	0	0	0	0	0
67.			पतकुई	0	0	0	0	0	0
68.		शाहगढ़	मोहना	0	0	0	0	0	0
69.			राबरा	0	0	0	0	0	0
70.			डूलचीपुर	0	0	0	0	0	0
71.			मागरा	0	0	0	0	0	0
72.			खतारुआ काला	270	75714	32400	108114	24740	83374
73.		रहली	मेघ गांव	0	0	0	0	0	0
74.			हरदी	100	52800	36000	88800	9600	79200
75.			घोघरा	21	7560	7560	15120	0	15120
76.			राम खिरिया	152	1100	47160	48260	0	48260
77.			खिरिया कास	0	0	0	0	0	0
78.			जूना	0	0	0	0	0	0

79.			खैरा	0	0	0	0	0	0
80.			उदयपुरा	15	0	4500	4500	0	4500
81.		खुरई	नरोदा	0	0	0	0	0	0
82.			महोना जाट	0	0	0	0	0	0
83.			निवारी	0	0	0	0	0	0
84.			करिया गूजर	0	0	0	0	0	0
85.			तेवरा	0	0	0	0	0	0
86.			मुहांसा	204	26259	19584	45843	2600	43243
87.			भीलोन	0	0	0	0	0	0
88.			नो खेड़ा	0	0	0	0	0	0
89.			लखान खेड़ा	0	0	0	0	0	0
90.		राहतगढ़	बरखेड़ा	0	0	0	0	0	0
91.			टोडा गौतमिया	0	0	0	0	0	0
92.		देवरी	डोंगर सलैया	0	0	0	0	0	0
93.			खाम खेड़ा	0	0	0	0	0	0
94.			मानेगांव	0	0	0	0	0	0
95.			बरकोटी काला	0	0	0	0	0	0
96.			सरखेड़ा	0	0	0	0	0	0
97.			माध पिपरिया	0	0	0	0	0	0
98.			खामरिया	0	0	0	0	0	0
99.			जेतपुर कचैया	0	0	0	0	0	0
100.		मालथोन	राजवास	0	0	0	0	0	0
101.			समेरा लोधी	0	0	0	0	0	0
102.			बंनधारी	355	154051	213000	367051	116907	250144
103.			सागोनी	0	0	0	0	0	0
104.			लालोई	0	0	0	0	0	0
105.		जैसीनगर	सागोनी खुर्द	0	0	0	0	0	0
106.			खोरी तावरी	0	0	0	0	0	0
107.			हिन्नोद	50	13000	12000	25000	0	25000
108.			जामुनिया गोर	0	0	0	0	0	0
109.			जयसिंह नगर	120	159076	57600	216676	0	216676
110.			सेमरा गोपालम	122	0	73200	73200	34548	38652
111.		केसली	जैतपुर	20	2200	7200	9400	3000	6400
112.			खमारिया	0	0	0	0	0	0
113.			केवलारी काला	230	110200	55200	165400	20000	145400
114.			चिखीली जामुनिया	21	17650	6300	23950	6600	17350
115.			टाडा	548	418900	164400	583300	90325	492975
116.			केसली	850	549844	255000	804844	96140	708704
			महायोग	**5096**	**2288405**	**1918764**	**4207169**	**976759**	**3230410**

परिशिष्ट 2.5 (भाग-2)

LkknHkZ % i`jkxkQ 2-1-8 ¼**पेज नं.-73**½

ग्राम पंचायतों का नाम जहां वर्ष 2011-12 में सामाजिक vd{k.k नहीं की गयी

tuin iapk;r dk uke	ftyk iapk;r dk uke	l- Ø-	xke iapk;r dk uke	lekftd vd{k.k dh fLFkfr
1	**2.**	**3**	**4**	**6**
eMyk	नारायणगंज	**1.**	खिन्हा	हां
		2.	दोभी	नही
		3.	शाह	हां
		4.	कुदा मिलाई	हां
		5.	चकदेही	नही
		6.	बिजेगांव	नही
	बीजाडोडी	**7.**	पाथा चोराई	नही
		8.	बिलनागिरी माल	नही
		9.	बिजाडान्डी	नही
		10.	लाशर	नही
		11.	विजयपुर (पिपरिया)	नही
		12.	बेलखेड़ी	नही
	मंडला	**13.**	ओघाट खापरी	हां
		14.	फुलसागर	नही
		15.	उमरिया	हां
		16.	ज्नतीपुर	नही
		17.	हद्य नगर	हां
		18.	कटरा	नही
	मवई	**19.**	खलाउडी	नही
		20.	मवई	नही
		21.	पखवार	नही
		22.	न्हरगंज	नही
		23.	चपरतला	नही
		24.	सारसडोली	नही
	घुघरी	**25.**	खजरी	नही
		26.	ग्जराज	नही
		27.	तीकारिया	नही
		28.	चिवला तोला	नही
		29.	सुरेहली	नही
		30.	बनेहरी	नही
	मोहगांव	**31.**	उमरिया	नही
		32.	सिगरपुर	नही
		33.	गिथार	नही
		34.	उमारधी	नही
		35.	कुआ डोंगरी	नही
		36.	खेरी मल	नही

	निवास	**37.**	सुखरी	नही
		38.	कंतग सिवनी	नही
		39.	पायली बाहुर	नही
		40.	भानपुर बैसुरा	नही
		41.	बाह्मनी	नही
		42.	तानम गांव	नही
	नैनपुर	**43.**	मासके	नही
		44.	जायदपुर	नही
		45.	हीरापुर	नही
		46.	कजरबाड़ा	नही
		47.	शकवाह	नही
		48.	जहर मो	नही
	विछिया	**49.**	मनोहरपुर	नही
		50.	राजो	नही
		51.	धरमपुरी	नही
		52.	अहमदपुर	नही
		53.	करिया गांव	नही
		54.	अजांनिया	नही
lkxj	बीना	**55.**	गीराउल	नही
		56.	भानघर	नही
		57.	लखाहार	नही
		58.	बेसरा कासोई	नही
		59.	बिलघो	नही
		60.	पिपरखेड़ी	नही
		61.	खजुरिया	नही
		62.	किरोंद	नही
	सागर	**63.**	भैंसा नाका	नही
		64.	मझगांव	नही
		65.	कपूरिया	नही
		66.	बरायरु	नही
		67.	पतकुई	नही
	शाहगढ़	**68.**	मोहना	नही
		69.	राबरा	नही
		70.	डूलचीपुर	नही
		71.	मागरा	नही
		72.	खतारुआ काला	नही
	रहली	**73.**	मेघ गांव	हां
		74.	हरदी	नही
		75.	घोघरा	नही
		76.	राम खिरिया	नही
		77.	खिरिया कास	हां
		78.	जूना	नही
		79.	खैरा	नही
		80.	उदयपुरा	नही

	खुरई	**81.**	नरोदा	नही
		82.	महोना जाट	हां
		83.	निवारी	नही
		84.	करिया गूजर	नही
		85.	तेवरा	नही
		86.	मुहांसा	नही
		87.	भीलोन	नही
		88.	नो खेड़ा	नही
		89.	लखान खेड़ा	नही
	राहतगढ़	**90.**	बरखेड़ा	नही
		91.	टोडा गौतमिया	नही
	देवरी	**92.**	डोंगर सलैया	नही
		93.	खाम खेड़ा	नही
		94.	मानेगांव	नही
		95.	बरकोटी काला	नही
		96.	सरखेड़ा	नही
		97.	माध पिपरिया	नही
		98.	खामरिया	नही
		99.	जेतपुर कचैया	नही
	मालथोन	**100.**	राजवास	नही
		101.	समेरा लोधी	नही
		102.	बंनधारी	नही
		103.	सागोनी	नही
		104.	लालोई	नही
	जैसीनगर	**105.**	सागोनी खुर्द	नही
		106.	खोरी तावरी	नही
		107.	हिन्नोद	नही
		108.	जामुनिया गोर	नही
		109.	जयसिंह नगर	नही
		110.	सेमरा गोपालम	नही
	केसली	**111.**	जैतपुर	नही
		112.	खमारिया	नही
		113.	केवलारी काला	नही
		114.	चिखीली जामुनिया	नही
		115.	टाडा	नही
		116.	केसली	नही

Vhi%& dqy 107 xzke iapk;rksa }kjk lkekftd vads{k.k ugha djk;k x;kA